प्राधिकरण बोर्ड की 170वीं बैठक हेतु विचारणीय विषयों की कार्य-सूची

तिथि :- 11 दिसम्बर, 2020

समय :- अपराह्न 03.00 बजे

स्थान :- मसऊद सभागार, प्राधिकरण भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 170वीं बैठक दिनांक 11.12.2020 में विचारणीय प्रस्तावों की विषय सूची

क्र0	विषय	पृष्ठ संख्या
01.	लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 15.09.2020 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।	01
02.	लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 15.09.2020 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।	06
03	भाऊराव देवरस सेवा न्यास, लखनऊ द्वारा ग्राम–सरसवा, सरोजनी नगर, लखनऊ की सामुदायिक भवन हेतु खतौनी संख्या–1077, 1079, 1078, 1080, 1081 कुल 4.0270 हे0 भूमि के भू–उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।	10
04.	भाऊराव देवरस सेवा न्यास, लखनऊ द्वारा ग्राम–सरसवा, सरोजनी नगर, लखनऊ की विद्यालय हेतु खतौनी संख्या–1062, 1063, 1065, 1026, 1103ख कुल 4.5150 हे0 भूमि के भू–उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।	25
05.	गोमती नगर योजना के विनम्र खण्ड में चयनित स्थल (क्षेत्रफल 1674.38 वर्गमी0) का भू–उपयोग ओपेन स्थल से विद्युत सब–स्टेशन तथा विशेष खण्ड में चयनित स्थल (क्षेत्रफल–764.00 वर्गमी0) का भू–उपयोग योजना के तलपट मानचित्र में बस–वे से विद्युत सब–स्टेशन में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।	57
06.	लखनऊ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में रिक्त आवासीय भूखण्डों का निस्तारण ई–ऑक्शन के माध्यम से किये जाने के सम्बन्ध में।	59
07.	ऐशबाग इण्डस्ट्रियल एरिया योजना के भूखण्ड संख्या–68/1 पर प्रस्तावित रैन बसेरा का निर्माण कर भूमि का मूल्य नगर निगम, लखनऊ/उ0प्र0 शासन से प्राप्त कर निर्माण के पश्चात् रख–रखाव व आवर्ती व्यय हेतु नगर निगम, लखनऊ को हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।	60
08.	लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित विभिन्न पार्किंग स्टैण्डों का स्वामित्व यथावत् रखते हुए पार्किंग स्टैण्डों के संचालन एवं रख–रखाव हेतु नगर निगम, लखनऊ को हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।	70

विषय संख्या : 01 पृष्ठ संख्या : 01

विषय : लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 169वीं बैठक दिनांक 15 सितम्बर, 2020 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

पुष्टिकरण

लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनाक 15.09.2020 का कार्यवृत्त दिनांक 19.09.2020 को समस्त मा0 सदस्यों को अवलोकनार्थ प्रेषित किया गया। किसी सदस्य द्वारा कोई आपत्ति एवं सुझाव उपलब्ध नहीं कराये गये है। अस्तु बैठक दिनांक 15.09.2020 का कार्यवृत्त पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 169वीं बैठक दिनांक 15 सितम्बर, 2020 का कार्यवृत्त

लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की **169वीं बैठक, बोर्ड अध्यक्ष श्री मुकेश कुमार मेश्राम, आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ** की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित हुए:–

उपस्थिति:–

01.	श्री शिवाकान्त द्विवेदी	उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
02.	श्री इन्द्रजीत विश्वकर्मा	अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, प्रतिनिधि–सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
03.	श्री अनूप कुमार श्रीवास्तव	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग।
04.	डा0 अर्चना द्विवेदी	अपर नगर आयुक्त, प्रतिनिधि–नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
05.	श्री मो0 अली शफदर	अधीक्षण अभियन्ता, प्रतिनिधि–आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
06.	सुश्री रेखा श्रीवास्तव	सहायक आयुक्त, उद्योग, प्रतिनिधि–संयुक्त आयुक्त, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
07.	श्री सुरेन्द्र सिंह परमार	परियोजना अभियन्ता प्रतिनिधि–प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम।
08.	श्री अनुपम श्रीवास्तव	क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, प्रतिनिधि–महानिदेशक पर्यटन, उ0प्र0।
09.	श्री पी0एन0 सिंह	सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
10.	श्री प्रदीप भार्गव	सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
11.	श्री पुष्कर शुक्ला	सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।

अन्य उपस्थिति:–

12.	श्री अनिल भट्नागर	सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
13.	श्री राजीव कुमार सिंह	वित्त नियंत्रक, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
14.	श्री इन्दु शेखर सिंह	मुख्य अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
15.	श्री पी0सी0 पाण्डेय	मुख्य अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
16.	श्री चक्रेश जैन	मुख्य अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
17.	श्री नितिन मित्तल	मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
18.	श्रीमती ऋतु सुहास	संयुक्त सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
19.	श्री पंकज कुमार	नजूल अधिकारी, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
20.	श्री डी0एम0 कटियार	मुख्य कर निर्धारण अधिकारी, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
21.	श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह	विशेष कार्याधिकारी, लखनऊ विकास प्राधिकरण।

सर्वप्रथम् उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड/आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ का औपचारिक स्वागत किया गया और तदुपरान्त बोर्ड बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। बोर्ड बैठक की विषय सूची में सम्मिलित विभिन्न विषयों/मदों पर निम्नवत् निर्णय लिया गया:–

मद सं0	विषय	निर्णय
169/1	लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 24.07.2020 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।	प्राधिकरण की उक्त बैठक में प्रतिभाग करने वाले समस्त सदस्यों को कार्यवृत्त प्रेषित किया गया था। किसी भी सदस्य द्वारा कार्यवृत्त के सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं करायी गयी है। अतः सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की जाती है।
169/2	लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 24.07.2020 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।	प्रस्तुत की गयी अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया एवं कतिपय विषयों पर निम्नांकित निर्देश दिये गये:– • बसंतकुंज हरदोई रोड योजना के अवशेष प्रतिकर के भुगतान के सम्बन्ध में निर्देश

03

		दिये गये कि अपर जिलाधिकारी, भूमि अध्याप्ति को प्रतिकर धनराशि प्रेषित किये जाने के उपरान्त काश्तकारों को प्रतिकर ससमय प्राप्त हो सके, इस हेतु आवश्यक पत्राचार एवं एक माह में उपभोग प्रमाण–पत्र मांगे जाने की कार्यवाही की जाय। अवशेष धनराशि दिये जाने की कार्यवाही की जाय। • निर्देश दिये गये कि सहारा इंटीग्रेटेड टाउनशिप के निरस्तीकरण उपरान्त आच्छादित समस्त भूमि का विस्तृत सर्वे कराया जाये, जिससे ग्राम समाज की भूमि, काश्तकारों/कोलोनाइजर्स के कब्जे की भूमि तथा अवैध कब्जे की भूमि की स्थिति स्पष्ट हो सके। सर्वे कार्य प्राथमिक नियोजन एवं योजना की फाइनेंसियल वायबिलिटी हेतु यथा–आवश्यकता फाइनेंसियल कंसलटेंट को आबद्ध किया जाये। प्रोजेक्ट के समग्र नियोजन की दृष्टि से कितनी भूमि पर क्या भू–उपयोग उपलब्ध होगा और प्रोजेक्ट की लागत का आंकलन किया जाय।
169/3	तीन वर्ष का आयकर रिटर्न/हैसियत प्रमाण–पत्र लिये जाने की अनिवार्यता के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा तीन वर्ष का आयकर रिटर्न/हैसियत प्रमाण–पत्र लिये जाने की अनिवार्यता को विलोपित किये जाने विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
169/4	व्यवसायिक काम्पलेक्स, सेक्टर–4, गोमती नगर विस्तार को एक साथ विक्रय करने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा सरस्वती अपार्टमेन्ट के बगल स्थित व्यवसायिक काम्पलेक्स, सेक्टर–4, गोमती नगर विस्तार को एक साथ विक्रय करने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
169/5	सीतापुर रोड में बस स्टेशन हेतु आरक्षित 5.00 एकड़ भूमि निर्धारित मूल्य का 10 प्रतिशत भुगतान परिवहन निगम द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण को करते हुए बस स्टेशन का कब्जा प्राप्त कर तत्काल स्थल से परिवहन निगम की बसों का संचालन किये जाने एवं शेष 90 प्रतिशत धनराशि 15 वर्षों में परिवहन निगम द्वारा प्रतिवर्ष समान किश्तों में भुगतान लखनऊ विकास प्राधिकरण को किये जाने की अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया एवं निर्देश दिये गये कि ब्याज सहित 15 वर्ष की वार्षिक 15 किश्तें बनायी जायेगी। यदि किश्तें जमा करने में विलम्ब होता है, तो दण्ड ब्याज देय होगा।

169/6	जनपथ (हजरतगंज) स्थित दुकान/गोदाम संख्या–04, बेसमेन्ट की सर्किल दरों के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त जनपथ (हजरतगंज) स्थित दुकान/गोदाम संख्या–04 (बेसमेन्ट) की सर्किल दरों के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए निर्णय लिया गया कि जिलाधिकारी द्वारा दिनांक 01.12.2015 को वाणिज्यिक अधिष्ठानों हेतु निर्गत मूल्यांकन सूची के अनुसार निर्माण लागत के आधार पर डिप्रीसिएटेड वैल्यू के अनुसार मूल्यांकन कर गणना की जाय।
<u>अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय</u>		
अ0वि0 169/1	लखनऊ विकास प्राधिकरण में कार्यरत श्री राजकुमार, सहायक अभियन्ता को उनके पिता के कैंसर की गम्भीर बीमारी की चिकित्सा पर व्यय धनराशि का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
अ0वि0 169/2	श्री राजीव कुमार सिंह, अधिशासी अभियन्ता (वि0/यां0), मेरठ विकास प्राधिकरण मेरठ, सम्बद्ध लखनऊ विकास प्राधिकरण की पत्नी स्व0 किरन लता सिंह, के कैंसर की गम्भीर बीमारी की चिकित्सा पर व्यय धनराशि का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
अ0वि0 169/3	लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अनुरक्षित योजनाओं में कोरोना महामारी (कोविड–19) एवं बरसात के मौसम के दृष्टिगत डेंगू बीमारी से बचाव हेतु सैनेटाइजेशन एवं एण्टीलार्वा फागिंग के सम्बन्ध में।	प्रस्तुत प्रस्ताव बोर्ड द्वारा अवलोकित किया गया।
अ0वि0 169/4	गोमती नगर योजना के विक्रान्त खण्ड स्थित बस अड्डा एवं बजट होटल के निर्माण एवं विकास कार्य में 10% से अधिक विचलन होने के कारण शासनादेश संख्या–4575/आठ–1–06–87विविध/06 दिनांक 14.07.06 के अनुसार सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त गोमती नगर योजना के विक्रान्त खण्ड स्थित बस अड्डा एवं बजट होटल के निर्माण एवं विकास कार्य में 10% से अधिक विचलन होने के कारण शासनादेश संख्या – 4575/आठ–1–06–87 विविध/06 दिनांक 14.07.2006 के अनुसार सक्षम स्तर से अनुमोदन दिये जाने विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि यू0पी0एस0आर0टी0सी0 के अनुरोध पर जो कार्य कराये गये है, उनके विवरण सहित प्रस्ताव पुनः आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

अन्त में उपरोक्त के अतिरिक्त अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड/आयुक्त, लखनऊ मण्डल द्वारा निम्न निर्देश भी दिये गये:–

- अध्यक्ष महोदय द्वारा प्राधिकरण के लगभग 4000 अनावंटित फ्लैटों के निस्तारण के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि मूलभूत कमियों को चिन्हित कर उन्हें दूर किया जाय तथा Value Addition

कर निस्तारण किया जाय। साथ ही सम्बन्धित फ्लैट का सैम्पल मॉडल तैयार किया जाय और व्यापक प्रचार–प्रसार कर फ्लैट लेने के इच्छुक जन–सामान्य को स्थल पर विजिट कराया जाए, ताकि अधिक से अधिक फ्लैटों का विक्रय किया जा सके।

- लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा यह देख लिया जाय कि पूर्व में स्कूल हेतु आवंटित भूखण्डों पर स्कूल का निर्माण किया गया है अथवा नहीं। यदि नहीं तो सम्बन्धित को नोटिस जारी कर नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जाय, साथ ही यह भी देख लिया जाय कि स्कूल भूखण्ड का किसी अन्य प्रयोजन में उपयोग तो नहीं किया जा रहा है?

15/9/2020
(शिवाकान्त द्विवेदी)
उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0,
लखनऊ।

(अनिल भटनागर)
सचिव, ल0वि0प्रा0,
लखनऊ।
15.09.20

अनुमोदित

16/09/2020
(मुकेश कुमार मेश्राम)
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण,
एवं आयुक्त, लखनऊ मण्डल,
लखनऊ।

विषयः— लखनऊ विकास प्राधिकरण की 169वीं बैठक दिनांक 15 सितम्बर, 2020 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

विषय संख्या : 1 लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 24.07.2020 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

निर्णय : प्राधिकरण की उक्त बैठक में प्रतिभाग करने वाले समस्त सदस्यों को कार्यवृत्त प्रेषित किया गया था। किसी भी सदस्य द्वारा कार्यवृत्त के सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं करायी गयी है। अतः सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की जाती है।

अनुपालन नोट किया गया।

विषय संख्या : 2 लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 24.07.2020 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

निर्णय : प्रस्तुत की गयी अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया एवं कतिपय विषयों पर निम्नांकित निर्देश दिये गयेः—

- बसंतकुंज हरदोई रोड योजना के अवशेष प्रतिकर के भुगतान के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि अपर जिलाधिकारी, भूमि अध्याप्ति को प्रतिकर धनराशि प्रेषित किये जाने के उपरान्त काश्तकारों को प्रतिकर ससमय प्राप्त हो सके, इस हेतु आवश्यक पत्राचार एवं एक माह में उपभोग प्रमाण—पत्र मांगे जाने की कार्यवाही की जाय। अवशेष धनराशि दिये जाने की कार्यवाही की जाय।
- निर्देश दिये गये कि सहारा इंटीग्रेटेड टाउनशिप के निरस्तीकरण उपरान्त आच्छादित समस्त भूमि का विस्तृत सर्वे कराया जाये, जिससे ग्राम समाज की भूमि, काश्तकारों/कोलोनाइजर्स के कब्जे की भूमि तथा अवैध कब्जे की भूमि की स्थिति स्पष्ट हो सके। सर्वे कार्य प्राथमिक नियोजन एवं योजना की फाइनेंसियल वायबिलिटी हेतु यथा—आवश्यकता फाइनेंसियल कंसलटेंट को आबद्ध किया जाये। प्रोजेक्ट के समग्र नियोजन की दृष्टि से कितनी भूमि पर क्या भू—उपयोग उपलब्ध होगा और प्रोजेक्ट की लागत का आंकलन किया जाय।

अनुपालन : प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये उपर्युक्त निर्णय के अनुपालन में आख्या निम्नवत् हैः—

- बसंतकुंज हरदोई रोड कामधेनु नगर प्रसार योजना के अन्तर्गत अर्जित भूमि के सापेक्ष समझौते के आधार पर देय रू0 149.00 बरोड़ में से अब तक धनराशि रू0 124.75 करोड़ का भुगतान अपर जिलाधिकारी—भू0अ0 को विभिन्न

तिथियों में किया जा चुका है। भूमि अध्याप्ति कार्यालय के मांग के क्रम में भुगतान की अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी। उपभोग प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में पत्र संख्या–627/एसी./तह./2020 दिनांक 20.11.2020 के माध्यम से अपर जिलाधिकारी–भू0अ0 को पत्र प्रेषित किया गया है।

- सहारा इंटीग्रेटेड टाउनशिप के निरस्तीकरण उपरान्त आच्छादित भूमि के सम्बन्ध में निर्देशानुसार अग्रेतर कार्यवाही हेतु मुख्य अभियन्ता एवं मुख्य नगर नियोजक को पत्र संख्या–623/एसी./तह./2020 दिनांक 19.11.2020 प्रेषित किया गया है।

विषय संख्या : 3 तीन वर्ष का आयकर रिटर्न/हैसियत प्रमाण–पत्र लिये जाने की अनिवार्यता के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा तीन वर्ष का आयकर रिटर्न/हैसियत प्रमाण–पत्र लिये जाने की अनिवार्यता को विलोपित किये जाने विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

अनुपालन : प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णयानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।

विषय संख्या : 4 व्यवसायिक काम्पलेक्स, सेक्टर–4, गोमती नगर विस्तार को एक साथ विक्रय करने के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा सरस्वती अपार्टमेन्ट के बगल स्थित व्यवसायिक काम्पलेक्स, सेक्टर–4, गोमती नगर विस्तार को एक साथ विक्रय करने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

अनुपालन : प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में प्रश्नगत काम्पलेक्स को ई–ऑक्सन दिनांक 25.11.2020 में विक्रय हेतु प्रस्तावित किया गया था, परन्तु कोई टेण्डर प्राप्त न होने के कारण विक्रय नहीं हो सका।

विषय संख्या : 5 सीतापुर रोड में बस स्टेशन हेतु आरक्षित 5.00 एकड़ भूमि निर्धारित मूल्य का 10 प्रतिशत भुगतान परिवहन निगम द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण को करते हुए बस स्टेशन का कब्जा प्राप्त कर तत्काल स्थल से परिवहन निगम की बसों का संचालन किये जाने एवं शेष 90 प्रतिशत धनराशि 15 वर्षों में परिवहन निगम द्वारा प्रतिवर्ष समान किश्तों में भुगतान लखनऊ विकास प्राधिकरण को किये जाने की अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया एवं निर्देश दिये गये कि ब्याज सहित 15 वर्ष की वार्षिक 15 किश्तें बनायी जायेगी। यदि किश्तें जमा करने में विलम्ब होता है, तो दण्ड

ब्याज देय होगा।

अनुपालन : प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में प्रश्नगत भूमि के सापेक्ष गणना अनुभाग से गणना कराकर प्रबन्ध निदेशक, राज्य सड़क परिवहन निगम को कार्यालय पत्र संख्या–1268/जे0एस0–डी/बल्कसेल/20 दिनांक 08.10.2020 द्वारा धनराशि जमा करने की सूचना प्रेषित कर दी गई है।

विषय संख्या : 6 जनपथ (हजरतगंज) स्थित दुकान/गोदाम संख्या–04, बेसमेन्ट की सर्किल दरों के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त जनपथ (हजरतगंज) स्थित दुकान/गोदाम संख्या–04 (बेसमेन्ट) की सर्किल दरों के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए निर्णय लिया गया कि जिलाधिकारी द्वारा दिनांक 01.12.2015 को वाणिज्यिक अधिष्ठानों हेतु निर्गत मूल्यांकन सूची के अनुसार निर्माण लागत के आधार पर डिप्रीसिएटेड वैल्यू के अनुसार मूल्यांकन कर गणना की जाय।

अनुपालन : प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में श्री रमेश निगम कार्यालय पत्र संख्या–5071/रेण्ट/2020 दिनांक 03.10.2020 द्वारा दुकान/गोदाम संख्या–04 के मद में वांछित धनराशि जमा किये जाने हेतु सूचना प्रेषित की जा चुकी है। सम्पत्ति के मद में सम्पूर्ण धनराशि जमा करने के पश्चात् नियमानुसार निबन्धन की कार्यवाही की जायेगी।

अन्य विषय

अ0वि0 संख्या : 1 लखनऊ विकास प्राधिकरण में कार्यरत श्री राजकुमार, सहायक अभियन्ता को उनके पिता के कैंसर की गम्भीर बीमारी की चिकित्सा पर व्यय धनराशि का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

अनुपालन : प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णयानुसार अनुपालन किया जा चुका है।

अ0वि0 संख्या : 2 श्री राजीव कुमार सिंह, अधिशासी अभियन्ता (वि0/यां0), मेरठ विकास प्राधिकरण मेरठ, सम्बद्ध लखनऊ विकास प्राधिकरण की पत्नी स्व0 किरन लता सिंह, के कैंसर की गम्भीर बीमारी की चिकित्सा पर व्यय धनराशि का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

अनुपालन : प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णयानुसार अनुपालन किया जा चुका है।

अ0वि0 संख्या : 3 लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अनुरक्षित योजनाओं में कोरोना महामारी (कोविड–19) एवं बरसात के मौसम के दृष्टिगत डेंगू बीमारी से बचाव हेतु सैनेटाइजेशन एवं एण्टीलार्वा फागिंग के सम्बन्ध में।

<u>निर्णय :</u> प्रस्तुत प्रस्ताव बोर्ड द्वारा अवलोकित किया गया।

<u>अनुपालन :</u> प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णयानुसार अनुपालन किया जा रहा है।

<u>अ0वि0 संख्या : 4</u> गोमती नगर योजना के विक्रान्त खण्ड स्थित बस अड्डा एवं बजट होटल के निर्माण एवं विकास कार्य में 10% से अधिक विचलन होने के कारण शासनादेश संख्या–4575/आठ–1–06–87विविध/06 दिनांक 14.07.06 के अनुसार सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के सम्बन्ध में।

<u>निर्णय :</u> सम्यक् विचारोपरान्त गोमती नगर योजना के विक्रान्त खण्ड स्थित बस अड्डा एवं बजट होटल के निर्माण एवं विकास कार्य में 10% से अधिक विचलन होने के कारण शासनादेश संख्या–4575/आठ–1–06–87 विविध/06 दिनांक 14.07.2006 के अनुसार सक्षम स्तर से अनुमोदन दिये जाने विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि यू0पी0एस0आर0टी0सी0 के अनुरोध पर जो कार्य कराये गये है, उनके विवरण सहित प्रस्ताव पुनः आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

<u>अनुपालन :</u> प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।

विषयः–भाऊराव देवरस सेवा न्यास, लखनऊ द्वारा ग्राम–सरसवा सरोजनी नगर, लखनऊ की सामुदायिक भवन हेतु खतौनी सं0–1077, 1079, 1078, 1080, 1081 कुल 4.0270 हे0 भूमि के भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में।

आख्याः

आवेदक सी.ए. जितेन्द्र अग्रवाल, संयुक्त मंत्री भाऊराव देवरस सेवा न्यास के भू–उपयोग परिवर्तन आवेदन पत्र दिनांक 23.10.2020 द्वारा लखनऊ महायोजना–2031 में भू–उपयोग मनोरंजनात्मक श्रेणी के अन्तर्गत पर्यावरण पार्क से सामुदायिक भवन (सुविधाएं) में परिवर्तन हेतु उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास (भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली, 2014 के अन्तर्गत भू–उपयोग परिवर्तन हेतु प्रारूप–5(1) पर आवेदन किया गया है (छायाप्रति अनुलग्नक–01 पर संलग्न)। प्रस्तावित भू–उपयोग परिवर्तन का विवरण निम्नवत् है–

ग्राम–सरसवां, सरोजनी नगर लखनऊ की खतौनी संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	वर्तमान भू–उपयोग	प्रस्तावित भू–उपयोग
1077	0.7470	पर्यावरण पार्क (मनोरंजनात्मक)	सामुदायिक भवन (सुविधाएं)
1079	0.1820		
1078	0.8430		
1080	0.6990		
1081	2.8740		
कुल योग	4.0270		

उपर्युक्त आवेदन के क्रम में अवगत कराना है कि उ0प्र0 शासन के आवास अनुभाग–2 के अधिसूचना सं0–3923/37–2–4– (डीए)–72 दिनांक 11.9.1974 के अन्तर्गत प्रश्नगत ग्राम–सरसवां लखनऊ विकास क्षेत्र में सम्मिलित है। प्रभावी लखनऊ महायोजना–2031 के अन्तर्गत उक्त स्थल का भू–उपयोग मनोरंजनात्मक श्रेणी के अन्तर्गत पर्यावरण पार्क अंकित है। उल्लेखनीय है कि प्रभावी लखनऊ महायोजना–2031 में मनोरंजनात्मक भू–उपयोग हेतु 13,455.81 हे0 भूमि प्रस्तावित है। जो सम्पूर्ण विकास क्षेत्र का 18.89 प्रतिशत है। आवेदक की भूमि क्षेत्रफल 4.0270 हे0 का भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने की दशा में मनोरंजनात्मक भू–उपयोग हेतु प्रस्तावित भूमि 13,451.783 हे0 अवशेष बचेगी, जो सम्पूर्ण विकास क्षेत्र का 18.88 प्रतिशत होगा। इस प्रकार लखनऊ महायोजना–2031 में मनोरंजनात्मक भू–उपयोग से परिवर्तित भूमि का प्रभाव लगभग 0.01% होगा। मनोरंजनात्मक श्रेणी के अन्तर्गत

पर्यावरण पार्क का भू–उपयोग से सुविधाएं भू–उपयोग में परिवर्तन होने की दशा में उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास (भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली, 2014 के अनुसार नियमानुसार भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क देय होगा (छायाप्रति अनुलग्नक–02 पर संलग्न)। आवेदक के आवेदन पर उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास (भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली, 2014 एवं उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–13 के क्रम में प्रश्नगत भूमि का भू–उपयोग मनोरंजनात्मक श्रेणी के अन्तर्गत पर्यावरण पार्क से सुविधायें के रूप में परिवर्तन का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

प्रस्तावः

भाऊराव देवरस सेवा न्यास, लखनऊ द्वारा ग्राम–सरसवां सरोजनी नगर, लखनऊ की सामुदायिक भवन हेतु खतौनी सं0–1077, 1079, 1078, 1080, 1081 भूमि के भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

Singh

अनुलग्नक-1

12

FORM

Application for Conversion of Land Use

Rule-5 (1)

To,

The Vice-Chairman,
Lucknow... Development Authority,
...Lucknow,..............

Sub : Application for Conversion of Land Use.

I/we the undersigned hereby apply for conversion of land use from E.P ................O..............O. (land use in the prevailing master plan/zonal development plan) to सामुदायिक सुविधाओं हेतु...... (Proposed land use for conversion) of the land parcel/plot bearing details as given below:-

(a) Name of the revenue village/tehsil and district...ग्राम सरसवां, सरोजिनी नगर लखनऊ...

(b) Details of land :-

Sl.No.	Gata numbers	Area (Hectares)
1.	1077	0.7470
2.	1079	0.1820
3.	1078	0.8430
4.	1080	0.6990
5.	1081	2.8740
	Total Area	4.0270

(c) Shajra Map on 1:4000 scale showing the gata numbers proposed for land use conversion or site plan on 1:1000 scale showing the land proposed for land use conversion, whichever is applicable (Attach copy of Shajra Map/site plan).

(d) Key Map showing the location and existing land use of the proposed site as per the prevailing master plan/zonal development plan (Attach copy).

(e) Demand draft No............ dated.................drawn on.......................(Name of the Bank) for Rs............(Rupees..................................only) as application fee. (@Rs. 1000/- per hectare or part thereof, subject to a minimum of Rs. 1000/-)

(f) Photo copy of sale deed:- (Attach copy)

(g) Any other details which the applicant desires to furnish...............................

2. I/we hereby agree to pay land use conversion charge to the Authority as per the applicable rules.

Encl.:-

(1)

(2)

(3)

(4)

Name and address of Applicant
For Bhaorao Deoras Seva Nyas
....
....

Signature & Date
....

(Sada Kant)
Principal Secretary

उद्धरण खतौनी

उद्धरण क्रमांक : 143559202009303

ग्राम क्रमांक : 143559 ग्राम का नाम / परगना : सरसवां(लखनऊ) तहसील : सरोजनी नगर जनपद : लखनऊ फसली वर्ष : 1426-1431 भाग : 1

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7-12	13
श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों केअधिकार में हो।							
00361	भाऊ राव देव रश न्यास समिति / सरस्वती कुज निरालानगर / .	पूस1413फ	1079	0.1820		आदेश न्यायालय चकबन्दी अधिकारी, सदर, लखनऊ वाद सं. 08/15-16 अन्तर्गत धारा-109ए(1) जो.चक.अधि. ग्राम सरसवां पर. व तह. व जिला लखनऊ, भाऊराव देवरस सेवा न्यास बनाम उ.प्र. सरकार आदि, आदेशानुसार ब.अ.च. अपील सं. 526/15-16 अन्तर्गत धारा-21(2) जो. चक.अधि. ता.फै. 23.09.16 व जिलाधिकारी/जिला उप संचालक चकबन्दी, लखनऊ की पूर्वानुमति/अनुमोदित दिनांक 20.10.16 के अनुपालन में ग्राम सरसवां पर. लखनऊ की नई गाटा सं. 1077मि/2-19-0 बचत से खारिज होकर भाऊराव देवरस सेवा न्यास सरस्वती कुंज के नाम दर्ज हो। गाटा सं. 1081/6-3-16 दक्षिणी भाग से भाऊराव देवरस सेवा न्यास सरस्वती कुंज का नाम खारिज होकर बचत के खाते में दर्ज हो। ह.र.का. 15.11.16 प्रमाणित चक.अधि. 15.11.16 आदेश न्यायालय अति. कलेक्टर/उप जिलाधिकारी, सरोजनीनगर, लखनऊ वाद सं. 140/टी00015/19 अन्तर्गत धारा- 80 उ.प्र.रा.सं. 2006 भाऊराव देवरस न्यास बनाम उ.प्र. सरकार ता.फै. 05.0119 अनुसार गाटा सं. 1077 रकबा 0.747हे. व 1079 रकबा 0.182हे. व 1078 रकबा 0.843हे. व 1080 रकबा 0.699हे. व 1081 रकबा 2.874हे. कुल पाँच किता कुल रकबा 4.027हे. पर भाऊराव देवरस न्यास/ समिति सरस्वती कुंज निरालानगर लखनऊ मा.गु.60ख को अकृषिक घोषित किया	
		पूस1413फ	1078	0.8430			
		पूस1413फ	1080	0.6990			
		पूस1413फ	1081	2.8740			

13

					जाता है अन्य अधिनियमों एवं मास्टर प्लान पर इसका प्रभाव नहीं होगा। इस भूमि का प्रयोग एवं इस पर निर्माण लखनऊ विकास क्षेत्र महायोजना 2021 के नियमों के अनुसार ही अनुमन्य होगा। यदि भविष्य में उक्त भूमि पर कृषि, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, बागवानी आदि से सम्बन्धित कार्य हेतु उपयोग किया जाता है तो तहसीलदार तत्काल आख्या प्रस्तुत करेंगे। पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य एवं तथ्य कभी भी अविधिक एवं फर्जी पाये जाने पर आदेश स्वत: निरस्त माना जायेगा। ह.र.का. 09.01.19	
		4	4.5980	₹19.30	2	0

कुल गाटे- चार कुल क्षेत्रफल- चार दशमलव पाँच नौ आठ शून्य (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - एक नौ दशमलव तीन शून्य रुपये

Data Digitally Signed by: BABU RAM

उपरोक्त उद्धरण खतौनी का वेरीफिकेशन http://upbhulekh.gov.in Website पर जाकर किया जा सकता है।

सक्षम अधिकारी: GYAN PRAKASH

तहसील: सरोजनी नगर जनपद: लखनऊ

दिनांक एवं समय: 15-09-2020 12:08:48

यह उद्धरण खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

14

15-09-2020 12:09

अनुलग्नक-2

15

उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3
संख्या-2281/8-3-14-194 विविध/14
लखनऊ : दिनांक : 11 दिसम्बर, 2014

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश नगर-योजना और विकास अधिनियम, 1973 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1973) की धारा 38-क की उपधारा (1) के साथ पठित धारा-55 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, अर्थात्:-

उत्तर प्रदेश नगर-योजना और विकास (भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली, 2014

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और विस्तार

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश नगर-योजना और विकास (भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली, 2014 कही जाएगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रकाशित होगी।

(3) यह समस्त विकास क्षेत्रों पर लागू होगी।

परिभाषायें

2-(1) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में,-

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर-योजना और विकास अधिनियम, 1973 से है;

(ख) "आवेदक" का तात्पर्य अधिनियम की धारा-13 के अधीन भू-उपयोग परिवर्तन के लिए आवेदन करने वाले किसी व्यक्ति से है;

(ग) 'सर्किल रेट' का तात्पर्य भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अधीन सम्बन्धित क्षेत्र में भूमि के सव्यवहार पर स्टाम्प शुल्क के निर्धारण हेतु जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अधिसूचित रेट से है;

(घ) "टेलिस्कोपिक आधार" का तात्पर्य नियम-4 के अधीन दिये गये दृष्टांत के अनुसार की गयी गणना से है।

(2) इस नियमावली में अपरिभाषित किन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए क्रमशः समनुदेशित हैं।

भू-उपयोग परिवर्तन

3- यदि किसी विकास क्षेत्र में, किसी भूमि विशेष का

शुल्क का उद्ग्रहण (धारा–38क की उप–धारा–1)

भू–उपयोग परिवर्तन अधिनियम की धारा–13 के अधीन महायोजना अथवा परिक्षेत्रीय विकास योजना में संशोधन के फलस्वरूप किया जाता है, तो प्राधिकरण संबंधित भू–स्वामी से भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क, विहित प्रक्रिया के अनुसार और नियम–4 में उल्लिखित रेट पर उद्गृहीत करने का हकदार होगाः

परन्तु यह कि भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क निम्न परिस्थितियों में उद्गृहीत नहीं किया जायेगाः–

(एक) जहां किसी भूमि विशेष का भू–उपयोग परिवर्तन महायोजना अथवा परिक्षेत्रीय विकास योजना के प्रवृत्त होने के फलस्वरूप हुआ हो;

(दो) जहां भूमि केन्द्र सरकार, राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय निकाय की हो।

(तीन) जहां पर पूर्ण या आंशिक रूप से भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क के भुगतान को अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा छूट प्रदान की जाती है, तो भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क उद्गृहीत नहीं होगा।

भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण एवं उसकी दर (धारा–38क की उपधारा–1)

4–(1) भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण एवं संग्रहण भूखण्ड के सम्पूर्ण क्षेत्रफल को उस भूमि विशेष के सर्किल रेट से गुणा करके तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची–"क" में नीचे उल्लिखित गुणांक के आधार पर किया जायेगाः–

भूमि खण्ड का क्षेत्रफल (हेक्टेअर)	गुणांक
0.25 तक	1.0
0.25 से अधिक और 1.0 तक	0.9
1.0 से अधिक और 5.0 तक	0.8
5.0 से अधिक और 10.0 तक	0.7
10.0 से अधिक	0.6

<u>नोट :</u>

(एक) भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क की गणना टेलिस्कोपिक आधार पर की जायेगी अर्थात 15.0 हेक्टेयर के भूखण्ड के लिए भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क की गणना निम्नवत् की जायेगीः–

{(0.25x1)+(1-0.25)x0.9+(5-1)x0.8+(10-5)x0.7+(15-10)x0.6} x सर्किल रेट x लागू प्रतिशत, जैसा

अनुसूची 'क' में दिया गया है।

(दो) भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर सर्किल रेट में कोई छूट अनुमन्य नहीं होगी।

(2) प्राधिकरण द्वारा भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क की गणना, प्राधिकरण बोर्ड के अन्तिम विनिश्चय के दिनांक को लागू विद्यमान भू–उपयोग हेतु प्रवृत्त सर्किल रेट को ध्यान में रखते हुए की जायेगी।

स्पष्टीकरण :

यदि किसी क्षेत्र विशेष में एक से अधिक सर्किल रेट लागू हैं, तब भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क की गणना विद्यमान भू–उपयोग के आधार पर किया जायेगा। उदाहरण स्वरूप, यदि किसी क्षेत्र में कृषि एवं आवासीय भूमि का अलग–अलग सर्किल रेट है और विद्यमान भू–उपयोग कृषि है, तब कृषि भूमि का सर्किल रेट लागू होगा। समान रूप से यदि विद्यमान भू–उपयोग आवासीय है तो आवासीय सर्किल रेट लागू होगा। यदि वहां पर केवल एक सर्किल रेट है, तो वही रेट लागू होगा।

(3) यदि निम्नलिखित भू–उपयोग हेतु सर्किल रेट उपलब्ध नहीं है, तो उसकी गणना नीचे दिये गये सूत्र के माध्यम से किया जायेगा:–

भू–उपयोग	सूत्र
(क) सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक सुविधायें	0.75xA+0.25xR
(ख) यातायात एवं परिवहन	0.50xA+0.50xR
(ग) औद्योगिक	0.25xA+0.75xR
(घ) कार्यालय	0.50xR+0.50xC
(ड.) मिश्रित उपयोग	0.25xR+0.75xC

जहां :

A – कृषि भूमि का सर्किल रेट है

R – आवासीय भूमि का सर्किल रेट है

C – व्यावसायिक भूमि का सर्किल रेट है

उपयोग परिवर्तन की ...या (धारा–13)

5–(1) आवेदक प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के समक्ष इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र में निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ आवेदन प्रस्तुत करेगा:–

(क) भूमि का विवरण (जैसा भी हो)

(एक) अविकसित क्षेत्र की स्थिति में, राजस्व ग्राम, तहसील, जिले का नाम, गाटा संख्या, गाटावार क्षेत्रफल और 1:4000 स्केल पर सजरा मैप।

(दो) निर्मित/विकसित क्षेत्र की स्थिति में, प्लाट संख्या, क्षेत्रफल, हेक्टेयर में और स्थानीय क्षेत्र का नाम एवं 1:1000 स्केल पर स्थल नक्शा।

(ख) स्वामित्व/विक्रय विलेख की प्रमाणित प्रति।

(ग) यथास्थिति प्रवृत्त महायोजना/परिक्षेत्रीय विकास क्षेत्र में भू-उपयोग।

(घ) परिवर्तन के लिए प्रस्तावित भू-उपयोग।

(ङ.) आवेदन शुल्क रु0 1,000/- प्रति हेक्टेयर या उसके भाग के लिए, न्यूनतम रु0 1000/- के अधीन रहते हुए।

(2) आवेदन पत्र की संवीक्षा के पश्चात्, यदि प्राधिकरण की राय में संशोधन अधिनियम की धारा-13 की उपधारा-(1) में विनिर्दिष्ट प्रकृति का है तो निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुपालन किया जायेगा:-

(क) प्राधिकरण आवेदन पत्र को अपने बोर्ड की बैठक में युक्तियुक्त निर्णय के लिए प्रस्तुत करेगा।

(ख) आवेदन पत्र के अनुमोदन की दशा में, प्राधिकरण अधिनियम की धारा-13 की उपधारा (3) के अनुसार सम्बन्धित विकास क्षेत्र में प्रचलित दो समाचार पत्रों में आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करते हुए सूचना प्रकाशित करेगा। आपत्तियां और सुझाव प्रस्तुत करने की न्यूनतम अवधि सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिनों की होगी।

(ग) प्राप्त आपत्तियों और सुझावों, यदि कोई हो, पर उनकी अन्तिम प्राप्ति के दिनांक से 30 दिनों के भीतर सरकार द्वारा गठित समिति द्वारा विचार किया जायेगा। समिति की आख्या और संस्तुति को अन्तिम निर्णय हेतु प्राधिकरण के बोर्ड की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा।

(घ) उप नियम-ग के अधीन अनुमोदन की दशा में,

प्राधिकरण भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क की गणना करेगा और उसका भुगतान करने के लिए आवेदक को पन्द्रह दिनों के भीतर मांग नोटिस जारी करेगा।

(3) अधिनियम की धारा-13 की उपधारा-(1) के अधीन विनिर्दिष्ट संशोधन से भिन्न संशोधनों के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुपालन किया जायेगा:-

(क) प्राधिकरण आवेदन पत्र को युक्तियुक्त निर्णय के लिए अपने बोर्ड की बैठक में प्रस्तुत करेगा।

(ख) अनुमोदन की दशा में, प्राधिकरण प्रस्ताव को अपनी संस्तुति के साथ बोर्ड के निर्णय के दिनांक से 15 दिनों के भीतर राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा।

(ग) राज्य सरकार की सहमति के पश्चात् प्राधिकरण अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (3) के अनुसार सम्बन्धित विकास क्षेत्र में प्रचलित दो समाचार पत्रों में आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करते हुए सूचना प्रकाशित करेगा। आपत्तियां और सुझाव प्रस्तुत करने की न्यूनतम अवधि सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिनों की होगी।

(घ) आपत्तियों और सुझाओं, यदि कोई हो, पर उनकी अन्तिम प्राप्ति के दिनांक से 30 दिनों के भीतर राज्य सरकार द्वारा गठित समिति द्वारा विचार किया जायेगा। समिति की आख्या और संस्तुति को अन्तिम निर्णय हेतु प्राधिकरण के बोर्ड की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाना।

(ङ.) प्राधिकरण अपनी संस्तुति को बोर्ड के निर्णय के दिनांक से 15 दिनों के भीतर राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा।

(च) राज्य सरकार अपने निर्णय के संबंध में प्राधिकरण को सूचित करेगा और तद्नुसार प्राधिकरण आवेदक को सूचित करेगा।

(छ) उप धारा-(च) के अधीन अनुमोदन की दशा में, प्राधिकरण भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क की धनराशि की गणना करेगा और उसका भुगतान

करने के लिए आवेदक को पन्द्रह दिनों के भीतर मांग नोटिस जारी करेगा।

भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क का भुगतान (धारा–38क की उपधारा(1)

6–(1) आवेदक मांग नोटिस जारी होने के दिनांक से तीन माह के भीतर भू–उपयोग परिवर्तन की सम्पूर्ण रकम देने का दायी होगा:

परन्तु यह कि प्राधिकरण का उपाध्यक्ष, भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क के भुगतान की अनुज्ञा चार त्रैमासिक किश्तों में 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज के साथ दे सकता है, जो इस शर्त के अधीन होगी कि आवेदक को एक वर्ष के भीतर पूर्ण धनराशि जमा करनी होगी :

परन्तु यह और कि प्राधिकरण आवेदक द्वारा आवेदन किए जाने पर ऐसे भुगतान के लिए एक और वर्ष दे सकता है।

(2) यदि आवेदक यथास्थिति, नियत अवधि या बढ़ायी गयी अवधि के भीतर भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान करने में विफल रहता है तो दी गयी अनुज्ञा व्यपगत समझी जायेगी।

भू–उपयोग परिवर्तन का प्रकाशन (धारा–13 की उपधारा–4)

7– (1) अधिनियम की धारा–13 की उपधारा–(1) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रकृति के संशोधन के लिए प्राधिकरण आवेदक द्वारा भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क की सम्पूर्ण धनराशि जमा किये जाने के पश्चात्, अधिनियम की धारा–13 की उपधारा–(4) के अनुसार उक्त संशोधन को सम्बन्धित विकास क्षेत्र में प्रचलित दो समाचार पत्रों में प्रकाशित करेगा और आवेदक को भी सूचित करेगा। प्राधिकरण, राज्य सरकार को ऐसे संशोधन के प्रवृत्त होने के दिनांक से 30 दिनों के भीतर उक्त संशोधन के पूर्ण विवरण की आख्या राज्य सरकार को देगा।

(2) अधिनियम की धारा–13 की उपधारा–(3) के अधीन विनिर्दिष्ट संशोधन से भिन्न संशोधनों के लिए प्राधिकरण, भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क की सम्पूर्ण धनराशि आवेदक द्वारा जमा किए जाने के पश्चात् उसकी सूचना राज्य सरकार को प्रदान करेगा। ऐसी सूचना की प्राप्ति पर, राज्य

सरकार अधिनियम की धारा–13 की उपधारा–(4) के अधीन अंतिम अधिसूचना जारी करेगी।

अवस्थापना विकास निधि (धारा–38क की उपधारा–(1))	8–	भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क के रूप में एकत्र की गयी सम्पूर्ण धनराशि एक पृथक बैंक खाते में जमा की जायेगी, जिसे ''अवस्थापना विकास निधि'' के रूप में जाना जायेगा।
भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क का वार्षिक विवरण (धारा–38क की उपधारा–(1))	9–	प्राधिकरण का उपाध्यक्ष पूर्ववर्ती वर्ष हेतु भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क के संबंध में एक विवरण प्राधिकरण बोर्ड को उपलब्ध करायेगा, जिसमें प्राधिकरण द्वारा भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क के रूप में एकत्र की गयी कुल धनराशि की सूचना एवं उसके उपयोग से संबंधित ब्यौरे होंगे। यथासंभव, यह विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्राधिकरण बोर्ड की होने वाली प्रथम बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा और इसकी प्रति राज्य सरकार को भी भेजी जायेगी।

2– प्रदेश में शहरी नियोजन के कार्य हेतु 27 विकास प्राधिकरणों के अतिरिक्त 05 विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद (जो वर्तमान में 54 नगरों में कार्यरत है) तथा 74 विनियमित क्षेत्र भी घोषित/गठित हैं, अतः प्रश्नगत नियमावली (अंग्रेजी संस्करण सहित) को उक्त अभिकरणों द्वारा अपने–अपने अधिनियमों के अधीन विहित प्रक्रियानुसार अंगीकृत किया जायेगा।

3– भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क के संबंध में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा निर्गत निम्न शासनादेश अवक्रमित समझे जायेंगे:–

(i) शासनादेश सं0–3712/9–8–3–2000–26एल.यू.सी./91, दिनांक 21.8.2001
(ii) शासनादेश सं0–473/9–अ–3–26एल.यू.सी./91, दिनांक 04.02.2002
(iii) शासनादेश सं0–3351/9–अ–3–2004–12 वि./2004, दिनांक 23.08.2004
(iv) शासनादेश सं0–4988/8–3–2006–05 महा/2005, दिनांक 18.10.2006
(v) शासनादेश सं0–204/8–3–09–20 एल.यू.सी./91, दिनांक 21.01.2010
(vi) शासनादेश सं0–1735/8–1–2010–38 विविध/10, दिनांक 23.04.2010

संलग्नक : नियम–4 में उल्लिखित अनुसूची 'क'।
नियम–5(1) में उल्लिखित आवेदन पत्र।

सदा कान्त
प्रमुख सचिव

संख्या : (1)/ 8-3-14-194 विविध/14 तद्दिनांक

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐशबाग, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे उत्तर प्रदेश के असाधारण गजट-मे दिनांकः दिसम्बर, 2014 के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) में प्रकाशित करायें तथा गजट की मुद्रित 01-01 प्रतियां सम्बंधित अधिकारियों एवं शासन को 10 प्रतियां उपलब्ध करायी जाये।

आज्ञा से,

शिव जनम चौधरी
संयुक्त सचिव

संख्या : 2281 (2)/ 8-3-14-194 विविध/14 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
4. महा निरीक्षक, निबन्धन, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
9. अध्यक्ष, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
10. नियत प्राधिकारी, समस्त विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
11. निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने तथा प्रचार-प्रसार हेतु।
12. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिव जनम चौधरी)
संयुक्त सचिव

अनुसूची 'क'
(नियम–4 देंखे)

क्र. सं.	विद्यमान भू–उपयोग	भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क, सर्किल रेट के प्रतिशत के रूप में					
		प्रस्तावित भू–उपयोग					
		सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक सुविधाएं, सेवाएं तथा उपयोगिताएं जिसके अन्तर्गत यातायात एवं परिवहन भी हैं।	औद्योगिक	आवासीय	कार्यालय	मिश्रित	व्यावसायिक
	1	2	3	4	5	6	7
1.	कृषि, पार्क, खुले स्थान एवं ग्रीन बेल्ट	20%	35%	50%	100%	125%	150%
2.	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक सुविधाएं, सेवाएं तथा उपयोगिताएं जिसके अन्तर्गत यातायात एवं परिवहन	कुछ नहीं	20%	40%	75%	100%	125%
3.	औद्योगिक	कुछ नहीं	कुछ नहीं	25%	75%	90%	110%
4.	आवासीय	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	50%	75%	100%
5.	कार्यालय	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	30%	50%
6.	मिश्रित	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	25%
7.	व्यावसायिक	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं

भू–उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन

नियम–5(1)

सेवा में,

उपाध्यक्ष,

................विकास प्राधिकरण,

....

विषयः भू–उपयोग परिवर्तन के लिए आवेदन।

मैं/हम अधोहस्ताक्षरकर्ता एतद्द्वारा..(प्रवृत्त महायोजना/परिक्षेत्रीय विकास योजना में भू–उपयोग) से भूखण्ड/गाटा के..(प्रस्तावित भू–उपयोग परिवर्तन) के रूप में उपयोग परिवर्तन के लिए आवेदन करता हूं/करते हैं, जिसके साथ दिये गये विवरण निम्नवत् हैं:–

(क) राजस्व ग्राम/तहसील और जिले का नाम..

(ख) भूमि का विवरण :–

क्र.सं.	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1		
2		
3		
4		
5		
	कुल क्षेत्रफल	

(ग) 1:4000 स्केल पर सजरा मैप, जिसमें भू–उपयोग परिवर्तन के लिए प्रस्तावित गाटा संख्या प्रदर्शित हो या 1:1000 स्केल पर स्थल नक्शा जिसमें भू–उपयोग परिवर्तन के लिए प्रस्तावित भूमि प्रदर्शित हो, जो भी लागू हो (सजरा मैप/स्थल नक्शा की प्रति संलग्न करें)

(घ) मूल नक्शा, जिसमें प्रवृत्त महायोजना/परिक्षेत्रीय विकास योजना के अनुसार प्रस्तावित स्थल की अवस्थिथि और विद्यमान भू–उपयोग प्रदर्शित हो (प्रति संलग्न करें)

(ड.) डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या.........................दिनांक...........................को... (बैंक का नाम) पर रुपये.......................(रुपये...मात्र) आवेदन शुल्क के रूप में आहरित।

(रुपये 1000/– हेक्टेयर या उसके भाग के लिए न्यूनतम रुपये 1000/– के अधीन रहते हुए)

(च) विक्रय विलेख की छायाप्रति (संलग्न करें)।

(छ) कोई अन्य विवरण जिसे आवेदक प्रस्तुत करना चाहता हो।

2– मैं/हम एतद्द्वारा लागू नियमों के अनुसार प्राधिकरण को भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क का भुगतान करने के लिए सहमति प्रदान करता हूं/करते हैं।

संलग्नक–

(1)

(2)

(3)

(4)

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर

....

....

हस्ताक्षर एवं दिनांक

(सदा कान्त)

प्रमुख सचिव

विषय सं0: 04 | पृष्ठ सं0–25

विषयः–भाऊराव देवरस सेवा न्यास, लखनऊ द्वारा ग्राम–सरसवा सरोजनी नगर, लखनऊ की विद्यालय हेतु खतौनी सख्या–1062, 1063, 1065, 1026, 1103 ख कुल 4.5150 हे0 भूमि के भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में।

आख्याः

आवेदक सी.ए. जितेन्द्र अग्रवाल, संयुक्त मंत्री भाऊराव देवरस सेवा न्यास के भू–उपयोग परिवर्तन आवेदन पत्र दिनांक 23.10.2020 द्वारा लखनऊ महायोजना–2031 में भू–उपयोग मनोरंजनात्मक श्रेणी के अन्तर्गत पर्यावरण पार्क से विद्यालय (सुविधाएं) में परिवर्तन हेतु उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास (भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली, 2014 के अन्तर्गत भू–उपयोग परिवर्तन हेतु प्रारूप–5(1) पर आवेदन किया गया है (छायाप्रति अनुलग्नक–01 पर संलग्न)। प्रस्तावित भू–उपयोग परिवर्तन का विवरण निम्नवत् है–

ग्राम–सरसवां, सरोजनी नगर लखनऊ की खतौनी संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	वर्तमान भू–उपयोग	प्रस्तावित भू–उपयोग
1062	0.3100	पर्यावरण पार्क (मनोरंजनात्मक)	विद्यालय (सुविधाएं)
1063	1.7220		
1065	1.6780		
1026	0.3190		
1103 ख	0.4360		
कुल योग	4.5150		

उपर्युक्त आवेदन के कम में अवगत कराना है कि उ0प्र0 शासन के आवास अनुभाग–2 की अधिसूचना सं0–3923/37–2–4– (डीए)–72 दिनांक 11.9.1974 के अन्तर्गत प्रश्नगत ग्राम–सरसवां लखनऊ विकास क्षेत्र में सम्मिलित है। प्रभावी लखनऊ महायोजना–2031 में उक्त स्थल का भू–उपयोग मनोरंजनात्मक श्रेणी के अन्तर्गत पर्यावरण पार्क अंकित है। उल्लेखनीय है कि प्रभावी लखनऊ महायोजना–2031 में मनोरंजनात्मक भू–उपयोग हेतु 13,455.81 हे0 भूमि प्रस्तावित है, जो सम्पूर्ण विकास क्षेत्र का 18.89 प्रतिशत है। आवेदक की भूमि क्षेत्रफल 4.5150 हे0 का भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने की दशा में मनोरंजनात्मक भू–उपयोग हेतु प्रस्तावित भूमि 13,451.295 हे0 अवशेष बचेगी, जो सम्पूर्ण विकास क्षेत्र का 18.88 प्रतिशत होगा। इस प्रकार लखनऊ महायोजना–2031 में मनोरंजनात्मक भू–उपयोग से परिवर्तित भूमि का

Singh

प्रभाव लगभग 0.01% होगा। मनोरंजनात्मक श्रेणी के अन्तर्गत पर्यावरण पार्क का भू–उपयोग से सुविधाएं भू–उपयोग में परिवर्तन होने की दशा में उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास (भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली, 2014 के अनुसार नियमानुसार भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क देय होगा (छायाप्रति अनुलग्नक–02 पर संलग्न)। आवेदक के आवेदन पर उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास (भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली, 2014 एवं उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–13 के कम में प्रश्नगत भूमि का भू–उपयोग मनोरंजनात्मक श्रेणी के अन्तर्गत पर्यावरण पार्क से सुविधायें के रूप में परिवर्तन का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

प्रस्तावः

भाऊराव देवरस सेवा न्यास, लखनऊ द्वारा ग्राम–सरसवा सरोजनी नगर, लखनऊ की विद्यालय हेतु खतौनी सख्या–1062, 1063, 1065, 1026, 1103 ख भूमि के भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

Singh

FORM

Application for Conversion of Land Use

Rule-5 (1)

To,

The Vice-Chairman,
Lucknow..... Development Authority,
........Lucknow...............

Sub : Application for Conversion of Land Use.

I/we the undersigned hereby apply for conversion of land use from ..S.P ....(land use in the prevailing master plan/zonal development plan) to ....विद्यालय हेतु.................... (Proposed land use for conversion) of the land parcel/plot bearing details as given below:-

(a) Name of the revenue village/tehsil and district...ग्राम सरसवां, लखनऊ ...ग्राम सरसवां...

(b) Details of land :-

Sl.No.	Gata numbers	Area (Hectares)
1.	1062	0.3100
2.	1063	1.7220
3.	1065	1.6780
4.	1026	0.3190
5.	1103 KHA	0.4360
	Total Area	4.5150

(c) Shajra Map on 1:4000 scale showing the gata numbers proposed for land use conversion or site plan on 1:1000 scale showing the land proposed for land use conversion, whichever is applicable (Attach copy of Shajra Map/site plan).

(d) Key Map showing the location and existing land use of the proposed site as per the prevailing master plan/zonal development plan (Attach copy).

(e) Demand draft No............ dated.................drawn on.......................(Name of the Bank) for Rs............(Rupees..................................only) as application fee. (@Rs. 1000/- per hectare or part thereof, subject to a minimum of Rs. 1000/-)

(f) Photo copy of sale deed:- (Attach copy)

(g) Any other details which the applicant desires to furnish...............................

2. I/we hereby agree to pay land use conversion charge to the Authority as per the applicable rules.

Encl.:-

(1)

(2)

(3)

(4)

Name and address of Applicant

....

....

....

Signature & Date

....

(Sada Kant)
Principal Secretary

उद्धरण खतौनी

उद्धरण क्रमांक : 143559202009304

ग्राम क्रमांक : 143559 ग्राम का नाम / परगना : सरसवां(लखनऊ) तहसील : सरोजनी नगर जनपद : लखनऊ फसली वर्ष : 1426-1431 भाग : 1

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	मौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7-12	13
श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों केअधिकार में है।							
00470	राम आसरे पाल / गंगादीन / नि. हैबतमऊ मवैया कृष्णपाल / गंगादीन / नि. हैबतमऊ मवैया मनोहन पाल / गंगादीन / नि. हैबतमऊ मवैया राम चन्द्र / गंगादीन / नि. हैबतमऊ मवैया राम मनोहर / गंगा प्रसाद / नि. हैबतमऊ मवैया दुर्गा प्रसाद / हीरालाल / नि. अर्जुनगंज गायत्री प्रसाद प्रजापति / सुकई / नि. परसावां अमेठी जिला सुल्तानपुर	1413फ 1413फ 1413फ 1413फ	1038 1026 1062 1103ख	0.3860 0.1390 0.3100 0.4360		आदेश न्यायालय चकबन्दी अधिकारी सदर जनपद लखनऊ वाद सं. 141/13-14 अन्तर्गत धारा 109ए (1) जो.च. अ. नियमावली ग्राम सरसवां प.त.जि. लखनऊ गायत्री प्रसाद प्रजापति बनाम भाऊराव देवरस सेवा न्यास ता.फै. 27.9.14 अपील सं. 870/2014 गायत्री प्रसाद प्रजापति बनाम भाऊराव देवरस सेवा न्यास स्थित सरस्वती कुन्ज में पारित आदेश दिनांक 24.9.14 के अनुपालन में ग्राम सरसवां प.त.जि. के जो.च.आ. पत्र 45 के खाता स. 97, 107, 410 पर च.अ. के आदेश दिनांक 18.4.2011 के अनुपालन में नियम 109ए (1) के अन्तर्गत पारित आदेश वाद स. 110/13-14 ता.फै. 22.5.14 मदन मोहन आदि बनाम नीता पाठक का क्रियान्वयन अपील के निस्तारण तक स्थगित किया जाता है। ह.र.का. 29.9.14 ह.प्रमाणित ए.सी.ओ. 29.9.14 न्यायालय चकबन्दी अधिकारी, सदर, लखनऊ वाद सं. 20/15-16 अन्तर्गत धारा-109ए(1) जो.चक.अधि. नियमावली, भाऊव देवरस सेवा न्यास, सरस्वती कुंज बनाम सरकार परवाना दिनाक 20.04.17 द्वारा आदेश बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, अपील सं. 123/16-17 अन्तर्गत	

28

15-09-2020 12:09

15-09-2020 12:10

उद्धरण खतौनी

उद्धरण क्रमांक : 143559202009305

ग्राम क्रमांक : 143559 ग्राम का नाम / परगना : सरसवां(लखनऊ) तहसील : सरोजनी नगर जनपद : लखनऊ फसली वर्ष : 1426-1431 भाग : 1

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	------------------------------2------------------------------	3	4	5	6	7-12	13
श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों केअधिकार में हो।							
00469	रामआसरे पाल / गंगादीन / नि.हैबतमऊ मवैया कृष्णपाल / गंगादीन / नि.हैबतमऊ मवैया शत्रोहन पाल / गंगादीन / नि.हैबतमऊ मवैया राम मनोहर / गंगा प्रसाद / नि.हैबतमऊ मवैया	पू1413फ.	1063	1.7220		आदेश न्यायालय चकबन्दी अधिकारी सदर जिला लखनऊ वाद सं. 110/13-14 अन्तर्गत धारा 109ए (1) जो.च. अधि. नियमावली ग्राम सरसवां प.त.जि. लखनऊ मदन मोहन आदि बनाम नीता पाठक ता.फै. 22.5.14 आदेशानुसार स.च.अ. वाद सं. 272+310 धारा 12 ता.फै. 7.8.2001 व चकबन्दी अधिकारी वाद सं. 9+12 धारा 12 ता.फै. 18.4.2011 के अनुपालन में स.च.अ. की आख्या दिनांक 10.9.2013 के अनुसार ग्राम सरसवां प.त.जि. लखनऊ के आकार पत्र 45 के खाता सं. 97 में अंकित नई गाटा सं. 1063/6-16-4 से लिखित खातेदार गंगादीन पुत्र महावीर नि. हैबतमऊ मवैया का नाम खारिज करके एवं खाता सं. 107 में अंकित गाटा सं. 1026/0-11-0, 1062/1-4-10, 1103ख./1-14-10 गंगादीन पुत्र महावीर व आकार पत्र 45 के खाता सं. 410 में अंकित गाटा सं. 1065/ 6-12-13 से मदन मोहन व दुर्गा प्रसाद पुत्रगण हीरालाल नि. अर्जुनगंज का नाम खारिज करके उनके स्थान पर भाऊराव देवरस सेवा न्यास सरस्वती कुंज निरालानगर लखनऊ द्वारा सचिव ज्ञानेन्द्र सिंह गौतम का नाम	

29

पूर्व खातेदार के नाम दर्ज रहेगा। ह.र.का. 09.05.17/प्रमाणित ए.सी.ओ. 09.05.17

प्रार्थना पत्र दिनांक 29.05.17/तहसीलदार सरोजनीनगर, लखनऊ दिनांक 03.06.17 अनुसार वर्तमान खतौनी खाता सं. 167, 442 व 474 पर अंकित पूर्व पारित आदेश न्यायालय चक. अधि. सदर, लखनऊ वाद सं. 20/15-16 अन्तर्गत धारा-109ए(1) ता.फै. 17.03.17 में भाऊव देवरस सेवा न्यास, सरस्वती कुंज बनाम सरकार त्रुटिपूर्व होने के कारण उसके स्थान पर सही व शुद्ध नाम भाऊराव देवरस सेवा न्यास, सरस्वती कुंज बनाम सरकार दर्ज हो। ह.र.का. 03.06.17

आदेश तहसीलदार सरोजनीनगर, लखनऊ वाद सं. 2686/06.06.17 से गाटा सं. 1065 रकबा 1.6780हे. के बकदर भाग में से रकबा 0.0332हे. मा.गु.60ख से विक्रेता श्रीमती शशिबाला सिंह पत्नी विनोद कुमार सिंह (वी.के. सिंह) नि. सी-26, आदर्श विहार, कल्याणपुर पश्चिम, लखनऊ का नाम निरस्त करके रकबा 0.0116हे. पर क्रेता श्रीमती गीता देवी पत्नी मुलायम यादव नि. चक दही जिला सन्त कबीर नगर व रकबा 0.0116हे. पर श्रीमती दुर्गावती शुक्ला पत्नी श्रीनाथ शुक्ला नि. 122, सेमरा बस्ती, कोतवाली नगर, जिला गोण्डा व रकबा 0.0100हे. पर सुरेश यादव पुत्र राज नारायण यादव नि. ग्राम बौरई पो. अलैया थाना सुजानगंज, तह. मछली शहर जिला जौनपुर का नाम बतौर सं.भू. द्वारा बैनामा अंकित किया जाये। ह.र.का. 13.06.17

आदेश तहसीलदार सरोजनीनगर, लखनऊ वाद सं. 2687/06.06.17 से गाटा सं. 1065 रकबा 1.6780हे. के बकदर भाग में से रकबा 0.0330हे. मा.गु.60ख से प्रथम विक्रेता गायत्री प्रसाद प्रजापति पुत्र शुकई नि. परसवां तह. अमेठी जिला सुल्तानपुर व द्वितीय विक्रेता श्रीमती शशिबाला सिंह पत्नी विनोद कुमार सिंह (वी.के. सिंह) नि. सी-26 आदर्श विहार, कल्याणपुर पश्चिम लखनऊ का नाम निरस्त करके रकबा 0.0116हे. पर क्रेता श्रीमती ममता पाण्डेय पत्नी रवि शंकर नि. 83 मलिकपुर जिला फैजाबाद व रकबा 0.0075हे. पर रमेश कुमार यादव पुत्र राज नारायण यादव नि. 108 कमला बाजार रोड, प्राथमिक विद्यालय मनिकापुर पो. शंकरगंज जिला जौनपुर व रकबा 0.0139हे. पर श्रीमती प्रतिभा चतुर्वेदी पत्नी अतुल चतुर्वेदी नि.

30

http://upbhulekh.gov.in/bhulekh_login/app/...

4/372-73 से.-एच, जानकीपुरम, लखनऊ का नाम बतौर सं.भू. द्वारा बैनामा अंकित किया जाये। ह.र.का. 13.06.17

आदेश तहसीलदार सरोजनी नगर, लखनऊ वाद सं. 3046/27.07.17 गाटा सं. 1065 रकबा 1.6780हे. में से रकबा 0.0227हे.मा.गु. 60ख से विक्रेता श्रीमती मीरा सिंह पत्नी दिनेश सिंह नि.115/ 241ए, मसवानपुर रावतपुर जिला कानपुर का नाम निरस्त करके रकबा 0.0157हे. पर क्रेता श्रीमती मुक्ता यादव पत्नी जुगुल किशोर यादव नि. ग्राम केशवनगर ग्रान्ट, तह. मनकापुर जिला गोण्डा व रकबा 0.0069हे. पर प्रदीप कुमार सिंह पुत्र चन्द्रकान्त सिंह नि. आजाद नगर कालोनी बस स्टेशन के पास गिर्द जिला गोण्डा उ.प्र. का नाम बतौर सं.भू. द्वारा बैनामा अंकित किया जाये। ह.र.का. 04.08.17

आदेश तहसीलदार सरोजनी नगर,लखनऊ वाद सं.4744/05.09.17 गाटा सं. 1065 रकबा 1.6780हे. में से रकबा 0.0075हे. मा.गु.60ख से प्रथम विक्रेता गायत्री प्रसाद प्रजापति पुत्र शुकई नि. परसवां तह. अमेठी जिला सुल्तानपुर व द्वितीय विक्रेता श्रीमती शशिबाला सिंह पत्नी विनोद कुमार सिंह (वी.के.सिंह) नि-सी-6 आदर्श विहार कल्याणपुर पश्चिम लखनऊ का नाम निरस्त करके क्रेता जय प्रकाश यादव पुत्र रिवाई राम यादव नि. नि-23, बदलापुर रोड प्राथमिक विद्याय ग्राम बौरई पो. अलैया, जिला जौनपुर का नाम बतौर सं.भू.द्वारा बैनामा अंकित किया जाये। ह.र.का. 11.09.17

आदेश ना.तह. बिजनौर,लखनऊ वाद सं. 3731/09.10.17 गाटा सं. 1065 रकबा 1.6780हे. में से रकबा 0.0097हे. मा.गु.60ख से विक्रेता श्रीमती मीरा सिंह पत्नी दिनेश सिंह नि-115/241ए, मसवानपुर रावतपुर जिला कानपुर का नाम निरस्त करके क्रेता अरुण कुमार यादव पुत्र स्व.राम विजय यादव नि.म.नं. 13/74, परमट थाना ग्वल टोली तह. सदर पो. सिविल लाइन कानपुर नगर का नाम बतौर सं.भू. द्वारा बैनामा दि.06.06.17 अंकित किया जाये। ह.र.का. 16.10.17

आदेश ना.तह. बिजनौर,लखनऊ वाद सं. 3732/09.10.17 गाटा सं. 1065 रकबा 1.6780हे. में से रकबा 0.0097हे. मा.गु.60ख से विक्रेता श्रीमती मीरा सिंह पत्नी दिनेश सिंह नि-115/241ए, मसवानपुर रावतपुर जिला कानपुर का नाम

(3)

15-09-2020 12:10

निरस्त करके क्रेता मनोज कुमार यादव पुत्र राम सकल यादव नि. ग्राम व पो. सठियांव थाना मुबारकपुर तह. सदर जिला आजमगढ़ का नाम बतौर सं.भू. द्वारा बैनामा दि.06.06.17 अंकित किया जाये। ह.र.का. 16.10.17

आदेश तहसीलदार सरोजनी नगर,लखनऊ वाद सं. 453/5558 व 454/5559 व 455/5560/24.10.17 गाटा सं. 1065 रकबा 1.6780हे. में से रकबा 0.0353हे. मा.गु. 60ख से विक्रेता श्रीमती मीरा सिंह पत्नी दिनेश सिंह नि.115/241ए, मसवानपुर, रावतपुर, जिला कानपुर का नाम निरस्त करके रकबा 0.00929हे. पर क्रेता श्रीमती सुमन शर्मा पत्नी सतवंत कुमार शर्मा नि. मोहल्ला सिविल लाईन्स जिला गोण्डा व रकबा 0.0120हे. पर क्रेता श्रीमती प्रियंका सिंह पत्नी राजू सिंह नि. ग्राम मल्हौर जिला बलिया व रकबा 0.01394हे. पर क्रेता श्रीमती अनीता यादव पत्नी पुष्प राज यादव नि. ग्राम रामापुर पो.महुआ डाबर तह.सैरवा जिला बस्ती का नाम बतौर सं.भू.द्वारा बैनामा अंकित किया जाये। ह.र.का. 28.10.17

आदेश तहसीलदार सरोजनीनगर, लखनऊ द्वारा प.क. 23 दिनांक 07.12.17 के अनुपालन में आदेश न्यायालय चकबन्दी अधिकारी सदर जिला लखनऊ वाद सं. 110/13-14 अन्तर्गत धारा 109ए (1) जो.च.अधि.नियमावली ग्राम सरसवां प.त.जि. लखनऊ मदन मोहन आदि बनाम नीता पाठक ता.फै. 22.5.14 आदेशानुसार स.च.अ. वाद सं. 272 व 310 धारा 12 ता.फै. 7.8.2001 व चकबन्दी अधिकारी वाद सं. 9 व12 धारा 12 ता.फै. 18.4.2011 के अनुपालन में स.च.अ. की आख्या दिनांक 10.9.2013 के अनुसार ग्राम सरसवां प.त.जि. लखनऊ के आकार पत्र 45 के खाता सं. 97 में अंकित नई गाटा सं. 1063/6-16-4 से लिखित खातेदार गंगादीन पुत्र महावीर नि. हैवतमऊ मवैया का नाम खारिज करके एवं खाता सं. 107 में अंकित गाटा सं. 1026/0-11-0, 1062/1-4-10, 1103ख/1-14-10 गंगादीन पुत्र महावीर व आकार पत्र 45 के खाता सं. 410 में अंकित गाटा सं. 1065/ 6-12-13 से मदन मोहन व दुर्गा प्रसाद पुत्रगण हीरालाल नि. अर्जुनगंज का नाम खारिज करके उनके स्थान पर भाऊराव देवरस सेवा न्यास सरस्वती कुंज निरालानगर, लखनऊ द्वारा सचिव ज्ञानेन्द्र सिंह गौतम का नाम बतौर सं.भू. अंकित हो। ह.र.का. 11.6.14 /ह.र.का. 07.12.17

32

आदेश तहसीलदार सरोजनीनगर, लखनऊ द्वारा प.क. 23 दिनांक 07.12.17 के अनुपालन में "आदेश न्यायालय चकबन्दी अधिकारी सदर जनपद लखनऊ वाद सं. 141/13-14 अन्तर्गत धारा 109ए (1) जो.च.अ. नियमावली ग्राम सरसवां प.त.जि. लखनऊ गायत्री प्रसाद प्रजापति बनाम भाऊराव देवरस सेवा न्यास ता.फै. 27.9.14 अपील सं. 870/2014 गायत्री प्रसाद प्रजापति बनाम भाऊराव देवरस सेवा न्यास स्थित सरस्वती कुंज में पारित आदेश दिनांक 24.9.14 के अनुपालन में ग्राम सरसवां प.त.जि. के जो.च.आ. पत्र 45 के खाता सं. 97, 107, 410 पर च.अ. के आदेश दिनांक 18.4.2011 के अनुपालन में नियम 109ए (1) के अन्तर्गत पारित आदेश वाद सं. 110/13-14 ता.फै. 22.5.14 मदन मोहन आदि बनाम नीता पाठक का क्रियान्वयन अपील के निस्तारण तक स्थगित किया जाता है। ह.र.का. 29.9.14 ह. प्रमाणित ए.सी.ओ. 29.9.14"/ह.र.का. 07.12.17

आदेश तहसीलदार सरोजनीनगर, लखनऊ वाद सं. 2686 अन्तर्गत धारा-201रा.सं. 2006 श्रीमती गीता देवी आदि बनाम श्रीमती शशिबाला सिंह ता.फै. 07.12.17 से प्रार्थी भाऊराव देवरस सेवा न्यास सरस्वती कुंज सचिव ज्ञानेन्द्र सिंह गौतम नि. 18 भाई जी बगिया, बडा चांदगंज, लखनऊ द्वारा मुख्तारेआम रमा शंकर श्रीवास्तव पुत्र राज किशोर श्रीवास्तव नि. से.-14/381 इन्दिरा नगर, लखनऊ द्वारा प्रस्तुत पुर्नस्थापना प्रार्थना पत्र दिनांक 01.12.17 न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है तथा पूर्व पारित एकपक्षीय आदेश दिनांक 06.06.17 निरस्त किया जाता है। ह.र.का. 07.12.17

आदेश तहसीलदार सरोजनीनगर, लखनऊ वाद सं. 2687 अन्तर्गत धारा-201रा.सं. 2006 श्रीमती ममता पाण्डेय आदि बनाम श्रीमती शशिबाला सिंह ता.फै. 07.12.17 से प्रार्थी भाऊराव देवरस सेवा न्यास सरस्वती कुंज सचिव ज्ञानेन्द्र सिंह गौतम नि. 18 भाई जी बगिया, बडा चांदगंज, लखनऊ द्वारा मुख्तारेआम रमा शंकर श्रीवास्तव पुत्र राज किशोर श्रीवास्तव नि. से.-14/381 इन्दिरा नगर, लखनऊ द्वारा प्रस्तुत पुर्नस्थापना प्रार्थना पत्र दिनांक 01.12.17 न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है तथा पूर्व पारित एकपक्षीय आदेश दिनांक 06.06.17 निरस्त किया जाता है। ह.र.का. 07.12.17

33

आदेश तहसीलदार सरोजनीनगर, लखनऊ वाद सं. 3046 अन्तर्गत धारा-201रा.सं. 2006 श्रीमती मुक्ता यादव आदि बनाम श्रीमती मीरा सिंह ता.फै. 07.12.17 से प्रार्थी भाऊराव देवरस सेवा न्यास सरस्वती कुंज सचिव ज्ञानेन्द्र सिंह गौतम नि. 18 भाई जी बगिया, बडा चांदगंज, लखनऊ द्वारा मुख्तारेआम रमा शंकर श्रीवास्तव पुत्र राज किशोर श्रीवास्तव नि. से.-14/381 इन्दिरा नगर, लखनऊ द्वारा प्रस्तुत पुर्नस्थापना प्रार्थना पत्र दिनांक 01.12.17 न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है तथा पूर्व पारित एकपक्षीय आदेश दिनांक 29.07.17 निरस्त किया जाता है। ह.र.का. 07.12.17

आदेश तहसीलदार सरोजनीनगर, लखनऊ वाद सं. 4744 अन्तर्गत धारा-201 रा.सं. 2006 जय प्रकाश यादव बनाम गायत्री प्रसाद प्रजापति ता.फै. 07.12.17 से प्रार्थी भाऊराव देवरस सेवा न्यास सरस्वती कुंज सचिव ज्ञानेन्द्र सिंह गौतम नि. 18 भाई जी बगिया, बडा चांदगंज, लखनऊ द्वारा मुख्तारेआम रमा शंकर श्रीवास्तव पुत्र राज किशोर श्रीवास्तव नि. से.-14/381 इन्दिरा नगर, लखनऊ द्वारा प्रस्तुत पुर्नस्थापना प्रार्थना पत्र दिनांक 01.12.17 न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है तथा पूर्व पारित एकपक्षीय आदेश दिनांक 05.09.17 निरस्त किया जाता है। ह.र.का. 07.12.17

आदेश तहसीलदार सरोजनीनगर, लखनऊ वाद सं. 453/5558 व 454/5559 व 455/5560 अन्तर्गत धारा-201रा.सं. 2006 श्रीमती सुमन शर्मा आदि बनाम श्रीमती मीरा सिंह ता.फै. 07.12.17 से प्रार्थी भाऊराव देवरस सेवा न्यास सरस्वती कुंज सचिव ज्ञानेन्द्र सिंह गौतम नि. 18 भाई जी बगिया, बडा चांदगंज, लखनऊ द्वारा मुख्तारेआम रमा शंकर श्रीवास्तव पुत्र राज किशोर श्रीवास्तव नि. से.-14/381 इन्दिरा नगर, लखनऊ द्वारा प्रस्तुत पुर्नस्थापना प्रार्थना पत्र दिनांक 01.12.17 न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है तथा पूर्व पारित एकपक्षीय आदेश दिनांक 24.10.17 निरस्त किया जाता है। ह.र.का. 07.12.17

आदेश ना.तह.बिजनौर,लखनऊ वाद सं. 3731/08.12.17 अन्तर्गत धारा 201 उ.प्र. रा.सं. 2006 अरूण कुमार यादव बनाम श्रीमती मीरा सिंह त.फै.08.12.17 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 201 भू- राजस्व अधिनियम दि. 01.12.2017

34

17

न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है तथा पूर्व पारित एकपक्षीय नामान्तरण आदेश दिनांक 09.10.2017 निरस्त किया जाता है। ह.र.का. 08.12.17

आदेश ना.तह.बिजनौर,लखनऊ वाद सं. 3732/08.12.17 अन्तर्गत धारा 201 उ.प्र. रा.सं. 2006 मनोज कुमार यादव बनाम श्रीमती मीरा सिंह त.फै.08.12.17 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 201 भू- राजस्व अधिनियम दि. 01.12.2017 न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है तथा पूर्व पारित एकपक्षीय नामान्तरण आदेश दिनांक 09.10.2017 निरस्त किया जाता है। ह.र.का. 08.12.17

प्रार्थना पत्र दिनांक 17.02.18 पर पारित आदेश तहसीलदार सरोजनीनगर, लखनऊ दिनांक 26.02.18 अनुसार खाता सं. 167 व 442 व 474 पर पूर्व पारित आदेश दिनांक 03.06.17 में भाऊराव देवरस सेवा न्यास सरस्वती कुंज बनाम सरकार त्रुटिपूर्ण होने के कारण उसके स्थान पर सही व शुद्ध नाम भाऊराव देवरस सेवा न्यास सरस्वती कुंज दर्ज किया जाये। ह.र.का. 27.02.18

	1	1.6780	₹6.90	22	0

कुल गाटे- एक कुल क्षेत्रफल- एक दशमलव छ: सात आठ शून्य (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - छ: दशमलव नौ शून्य रुपये

Data Digitally Signed by: BABU RAM

उपरोक्त उद्धरण खतौनी का वेरीफिकेशन http://upbhulekh.gov.in Website पर जाकर किया जा सकता है।

सक्षम अधिकारी: GYAN PRAKASH

तहसील: सरोजनी नगर जनपद: लखनऊ

दिनांक एवं समय: 15-09-2020 12:10:14

वह उद्धरण खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटलहस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

35

उद्धरण खतौनी

उद्धरण क्रमांक : 143559202009306

ग्राम क्रमांक : 143559 ग्राम का नाम / परगना : सरसवां(लखनऊ) तहसील : सरोजनी नगर जनपद : लखनऊ फसली वर्ष : 1426-1431 भाग : 1

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनॉक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	----------2----------	3	4	5	6	7-12	13
श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों केअधिकार में हो।							
00172	गायत्री प्रसाद प्रजापति / सुकई / नि. ग्राम परसवां अमेठी जिला सुलतानपुर मोहन सिंह नेगी / स्व. टीका सिंह नेगी / नि. 82/89ए 1321 मन्तनगर खुर्रमनगर, लखनऊ श्रीमती शशिबाला सिंह / पत्नी विनोद कुमार सिंह / नि. सी-26 आदर्श बिहार कल्याणपुर पश्चिम लखनऊ मीरा सिंह / पत्नी दिनेश सिंह / नि. 115/241ए मसवानपुर रावतपुर जिला कानपुर	1417फ.	1065	1.6780		अदेश त.नि. बिजनौर द्वारा प.क. 11क./9.9.13 खाता सं. 167 पर मृतक मोहन सिंह नेगी के स्थान पर श्री प्रकाश सिंह नेगी पुत्र मोहन सिंह नेगी व श्रीमती दीपा नेगी पत्नी स्व. मोहन सिंह नेगी नि. 82/89 मन्त नगर खुर्रमनगर लखनऊ का नाम बतौर वारिस दर्ज हो। ह.र.का. 10.9.13 आदेश बहवाला खाता सं. 442 पर दर्ज है। ह.र.का. 11.6.14 अदेश बहवाला खाता सं. 474 पर दर्ज है। ह.र.का. 29.9.14 ह.प्रमाणित ए.सी.ओ. 29.9.14 न्यायालय चकबन्दी अधिकारी, सदर, लखनऊ वाद सं. 20/15-16 अन्तर्गत धारा-109ए(1) जो.चक.अधि. नियमावली, भाऊव देवरस सेवा न्यास, सरस्वती कुंज बनाम सरकार परवाना दिनांक 20.04.17 द्वारा आदेश बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, अपील सं. 123/16-17 अन्तर्गत धारा-11(1) जो.चक.अधि. एवं अपील सं. 16/16-17 नियम 109ए(3) के अन्तर्गत तारीख 17.03.2017 के अनुपालन में ग्राम सरसवां पर. लखनऊ के गाटा सं. 1038/0.3860हे. व 1026/0.1390हे व 1062/0.310हे. व 1103ख/0.4360हे. व 1065/1.6780हे. व 1063/1.7220हे. पर दर्ज स्थगन आदेश समाप्त होकर यथावत	

36

पूर्व खातेदार के नाम दर्ज रहेगा। ह.र.का. 09.05.17/प्रमाणित ए.सी.ओ. 09.05.17

प्रार्थना पत्र दिनांक 29.05.17/तहसीलदार सरोजनीनगर, लखनऊ दिनांक 03.06.17 अनुसार वर्तमान खतौनी खाता सं. 167, 442 व 474 पर अंकित पूर्व पारित आदेश न्यायालय चक. अधि. सदर, लखनऊ वाद सं. 20/15-16 अन्तर्गत धारा-109ए(1) ता.फै. 17.03.17 में भाऊव देवरस सेवा न्यास, सरस्वती कुंज बनाम सरकार त्रुटिपूर्ण होने के कारण उसके स्थान पर सही व शुद्ध नाम भाऊराव देवरस सेवा न्यास, सरस्वती कुंज बनाम सरकार दर्ज हो। ह.र.का. 03.06.17

आदेश तहसीलदार सरोजनीनगर, लखनऊ वाद सं. 2686/06.06.17 से गाटा सं. 1065 रकबा 1.6780हे. के बकदर भाग में से रकबा 0.0332हे. मा.गु.60ख से विक्रेता श्रीमती शशिबाला सिंह पत्नी विनोद कुमार सिंह (बी.के. सिंह) नि. सी-26, आदर्श विहार, कल्याणपुर पश्चिम, लखनऊ का नाम निरस्त करके रकबा 0.0116हे. पर क्रेता श्रीमती गीता देवी पत्नी मुलायम यादव नि. चक दही जिला सन्त कबीर नगर व रकबा 0.0116हे. पर श्रीमती दुर्गावती शुक्ला पत्नी श्रीनाथ शुक्ला नि. 122, सेमरा बस्ती, कोतवाली नगर, जिला गोण्डा व रकबा 0.0100हे. पर सुरेश यादव पुत्र राज नारायण यादव नि. ग्राम बौरई पो. अलैया थाना सुजानगंज, तह. मछली शहर जिला जौनपुर का नाम बतौर सं.भू. द्वारा बैनामा अंकित किया जाये। ह.र.का. 13.06.17

आदेश तहसीलदार सरोजनीनगर, लखनऊ वाद सं. 2687/06.06.17 से गाटा सं. 1065 रकबा 1.6780हे. के बकदर भाग में से रकबा 0.0330हे. मा.गु.60ख से प्रथम विक्रेता गायत्री प्रसाद प्रजापति पुत्र शुकई नि. परसवां तह. अमेठी जिला सुल्तानपुर व द्वितीय विक्रेता श्रीमती शशिबाला सिंह पत्नी विनोद कुमार सिंह (बी.के. सिंह) नि. सी-26 आदर्श विहार, कल्याणपुर पश्चिम लखनऊ का नाम निरस्त करके रकबा 0.0116हे. पर क्रेता श्रीमती ममता पाण्डेय पत्नी रवि शंकर नि. 83 मलिकपुर जिला फैजाबाद व रकबा 0.0075हे. पर रमेश कुमार यादव पुत्र राज नारायण यादव नि. 108 कमला बाजार रोड, प्राथमिक विद्यालय मनिकापुर पो. शंकरगंज जिला जौनपुर व रकबा 0.0139हे. पर श्रीमती प्रतिभा चतुर्वेदी पत्नी अतुल चतुर्वेदी नि.

4/372-73 से.-एच, जानकीपुरम, लखनऊ का नाम बतौर सं.भू. द्वारा बैनामा अंकित किया जाये। ह.र.का. 13.06.17

आदेश तहसीलदार सरोजनी नगर, लखनऊ वाद सं. 3046/27.07.17 गाटा सं. 1065 रकबा 1.6780हे. में से रकबा 0.0227हे.मा.गु. 60ख से विक्रेता श्रीमती मीरा सिंह पत्नी दिनेश सिंह नि.115/ 241ए, मसवानपुर रावतपुर जिला कानपुर का नाम निरस्त करके रकबा 0.0157हे. पर क्रेता श्रीमती मुक्ता यादव पत्नी जुगुल किशोर यादव नि. ग्राम केशवनगर ग्रान्ट, तह. मनकापुर जिला गोण्डा व रकबा 0.0069हे. पर प्रदीप कुमार सिंह पुत्र चन्द्रकान्त सिंह नि. आजाद नगर कालोनी बस स्टेशन के पास गिर्द जिला गोण्डा उ.प्र. का नाम बतौर सं.भू. द्वारा बैनामा अंकित किया जाये। ह.र.का. 04.08.17

आदेश तहसीलदार सरोजनी नगर,लखनऊ वाद सं.4744/05.09.17 गाटा सं. 1065 रकबा 1.6780हे. में से रकबा 0.0075हे. मा.गु.60ख से प्रथम विक्रेता गायत्री प्रसाद प्रजापति पुत्र शुकई नि. परसवां तह. अमेठी जिला सुल्तानपुर व द्वितीय विक्रेता श्रीमती शशिबाला सिंह पत्नी विनोद कुमार सिंह (वी.के.सिंह) नि-सी-6 आदर्श विहार कल्याणपुर पश्चिम लखनऊ का नाम निरस्त करके क्रेता जय प्रकाश यादव पुत्र रिवई राम यादव नि. नि-23, बदलापुर रोड प्राथमिक विधाय ग्राम बौरई पो. अलैया, जिला जौनपुर का नाम बतौर सं.भू.द्वारा बैनामा अंकित किया जाये। ह.र.का. 11.09.17

आदेश ना.तह. बिजनौर,लखनऊ वाद सं. 3731/09.10.17 गाटा सं. 1065 रकबा 1.6780हे. में से रकबा 0.0097हे. मा.गु.60ख से विक्रेता श्रीमती मीरा सिंह पत्नी दिनेश सिंह नि-115/241ए, मसवानपुर रावतपुर जिला कानपुर का नाम निरस्त करके क्रेता अरुण कुमार यादव पुत्र स्व.राम विजय यादव नि.म.नं. 13/74, परमट थाना गवल टोली तह. सदर पो. सिविल लाइन कानपुर नगर का नाम बतौर सं.भू. द्वारा बैनामा दि.06.06.17 अंकित किया जाये। ह.र.का. 16.10.17

आदेश ना.तह. बिजनौर,लखनऊ वाद सं. 3732/09.10.17 गाटा सं. 1065 रकबा 1.6780हे. में से रकबा 0.0097हे. मा.गु.60ख से विक्रेता श्रीमती मीरा सिंह पत्नी दिनेश सिंह नि-115/241ए, मसवानपुर रावतपुर जिला कानपुर का नाम

निरस्त करके क्रेता मनोज कुमार यादव पुत्र राम सकल यादव नि. ग्राम व पो. सठियांव थाना मुबारकपुर तह. सदर जिला आजमगढ़ का नाम बतौर सं.भू. द्वारा बैनामा दि.06.06.17 अंकित किया जाये। ह.र.का. 16.10.17

आदेश तहसीलदार सरोजनी नगर,लखनऊ वाद सं. 453/5558 व 454/5559 व 455/5560/24.10.17 गाटा सं. 1065 रकबा 1.6780हे. में से रकबा 0.0353हे. मा.गु. 60ख से विक्रेता श्रीमती मीरा सिंह पत्नी दिनेश सिंह नि.115/241ए, मसवानपुर, रावतपुर, जिला कानपुर का नाम निरस्त करके रकबा 0.00929हे. पर क्रेता श्रीमती सुमन शर्मा पत्नी सतवंत कुमार शर्मा नि. मोहल्ला सिविल लाईन्स जिला गोण्डा व रकबा 0.0120हे. पर क्रेता श्रीमती प्रियंका सिंह पत्नी राजू सिंह नि. ग्राम मल्हौर जिला बलिया व रकबा 0.01394हे. पर क्रेता श्रीमती अनीता यादव पत्नी पुष्प राज यादव नि. ग्राम रामापुर पो.महुआ डाबर तह.सैरवा जिला बस्ती का नाम बतौर सं.भू.द्वारा बैनामा अंकित किया जाये। ह.र.का. 28.10.17

आदेश तहसीलदार सरोजनीनगर, लखनऊ द्वारा प.क. 23 दिनांक 07.12.17 के अनुपालन में आदेश न्यायालय चकबन्दी अधिकारी सदर जिला लखनऊ वाद सं. 110/13-14 अन्तर्गत धारा 109ए (1) जो.च.अधि.नियमावली ग्राम सरसवां प.त.जि. लखनऊ मदन मोहन आदि बनाम नीता पाठक ता.फै. 22.5.14 आदेशानुसार स.च.अ. वाद सं. 272 व 310 धारा 12 ता.फै. 7.8.2001 व चकबन्दी अधिकारी वाद सं. 9 व12 धारा 12 ता.फै. 18.4.2011 के अनुपालन में स.च.अ. की आख्या दिनांक 10.9.2013 के अनुसार ग्राम सरसवां प.त.जि. लखनऊ के आकार पत्र 45 के खाता सं. 97 में अंकित नई गाटा सं. 1063/6-16-4 से लिखित खातेदार गंगादीन पुत्र महावीर नि. हैवतमऊ मवैया का नाम खारिज करके एवं खाता सं. 107 में अंकित गाटा सं. 1026/0-11-0, 1062/1-4-10, 1103ख/1-14-10 गंगादीन पुत्र महावीर व आकार पत्र 45 के खाता सं. 410 में अंकित गाटा सं. 1065/ 6-12-13 से मदन मोहन व दुर्गा प्रसाद पुत्रगण हीरालाल नि. अर्जुनगंज का नाम खारिज करके उनके स्थान पर भाऊराव देवरस सेवा न्यास सरस्वती कुंज निरालानगर, लखनऊ द्वारा सचिव ज्ञानेन्द्र सिंह गौतम का नाम बतौर सं.भू. अंकित हो। ह.र.का. 11.6.14 /ह.र.का. 07.12.17

39

7

आदेश तहसीलदार सरोजनीनगर, लखनऊ द्वारा प.क. 23 दिनांक 07.12.17 के अनुपालन में "आदेश न्यायालय चकबन्दी अधिकारी सदर जनपद लखनऊ वाद सं. 141/13-14 अन्तर्गत धारा 109ए (1) जो.च.अ. नियमावली ग्राम सरसवां प.त.जि. लखनऊ गायत्री प्रसाद प्रजापति बनाम भाऊराव देवरस सेवा न्यास ता.फै. 27.9.14 अपील सं. 870/2014 गायत्री प्रसाद प्रजापति बनाम भाऊराव देवरस सेवा न्यास स्थित सरस्वती कुंज में पारित आदेश दिनांक 24.9.14 के अनुपालन में ग्राम सरसवां प.त.जि. के जो.च.आ. पत्र 45 के खाता सं. 97, 107, 410 पर च.अ. के आदेश दिनांक 18.4.2011 के अनुपालन में नियम 109ए (1) के अन्तर्गत पारित आदेश वाद सं. 110/13-14 ता.फै. 22.5.14 मदन मोहन आदि बनाम नीता पाठक का क्रियान्वयन अपील के निस्तारण तक स्थगित किया जाता है। ह.र.का. 29.9.14 ह. प्रमाणित ए.सी.ओ. 29.9.14"/ह.र.का. 07.12.17

आदेश तहसीलदार सरोजनीनगर, लखनऊ वाद सं. 2686 अन्तर्गत धारा-201रा.सं. 2006 श्रीमती गीता देवी आदि बनाम श्रीमती शशिबाला सिंह ता.फै. 07.12.17 से प्रार्थी भाऊराव देवरस सेवा न्यास सरस्वती कुंज सचिव ज्ञानेन्द्र सिंह गौतम नि. 18 भाई जी बगिया, बडा चांदगंज, लखनऊ द्वारा मुख्तारेआम रमा शंकर श्रीवास्तव पुत्र राज किशोर श्रीवास्तव नि. से.-14/381 इन्दिरा नगर, लखनऊ द्वारा प्रस्तुत पुर्नस्थापना प्रार्थना पत्र दिनांक 01.12.17 न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है तथा पूर्व पारित एकपक्षीय आदेश दिनांक 06.06.17 निरस्त किया जाता है। ह.र.का. 07.12.17

आदेश तहसीलदार सरोजनीनगर, लखनऊ वाद सं. 2687 अन्तर्गत धारा-201रा.सं. 2006 श्रीमती ममता पाण्डेय आदि बनाम श्रीमती शशिबाला सिंह ता.फै. 07.12.17 से प्रार्थी भाऊराव देवरस सेवा न्यास सरस्वती कुंज सचिव ज्ञानेन्द्र सिंह गौतम नि. 18 भाई जी बगिया, बडा चांदगंज, लखनऊ द्वारा मुख्तारेआम रमा शंकर श्रीवास्तव पुत्र राज किशोर श्रीवास्तव नि. से.-14/381 इन्दिरा नगर, लखनऊ द्वारा प्रस्तुत पुर्नस्थापना प्रार्थना पत्र दिनांक 01.12.17 न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है तथा पूर्व पारित एकपक्षीय आदेश दिनांक 06.06.17 निरस्त किया जाता है। ह.र.का. 07.12.17

40

आदेश तहसीलदार सरोजनीनगर, लखनऊ वाद सं. 3046 अन्तर्गत धारा-201रा.सं. 2006 श्रीमती मुक्ता यादव आदि बनाम श्रीमती मीरा सिंह ता.फै. 07.12.17 से प्रार्थी भाऊराव देवरस सेवा न्यास सरस्वती कुंज सचिव ज्ञानेन्द्र सिंह गौतम नि. 18 भाई जी बगिया, बडा चांदगंज, लखनऊ द्वारा मुख्तारेआम रमा शंकर श्रीवास्तव पुत्र राज किशोर श्रीवास्तव नि. से.-14/381 इन्दिरा नगर, लखनऊ द्वारा प्रस्तुत पुनर्स्थापना प्रार्थना पत्र दिनांक 01.12.17 न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है तथा पूर्व पारित एकपक्षीय आदेश दिनांक 29.07.17 निरस्त किया जाता है। ह.र.का. 07.12.17

आदेश तहसीलदार सरोजनीनगर, लखनऊ वाद सं. 4744 अन्तर्गत धारा-201 रा.सं. 2006 जय प्रकाश यादव बनाम गायत्री प्रसाद प्रजापति ता.फै. 07.12.17 से प्रार्थी भाऊराव देवरस सेवा न्यास सरस्वती कुंज सचिव ज्ञानेन्द्र सिंह गौतम नि. 18 भाई जी बगिया, बडा चांदगंज, लखनऊ द्वारा मुख्तारेआम रमा शंकर श्रीवास्तव पुत्र राज किशोर श्रीवास्तव नि. से.-14/381 इन्दिरा नगर, लखनऊ द्वारा प्रस्तुत पुनर्स्थापना प्रार्थना पत्र दिनांक 01.12.17 न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है तथा पूर्व पारित एकपक्षीय आदेश दिनांक 05.09.17 निरस्त किया जाता है। ह.र.का. 07.12.17

आदेश तहसीलदार सरोजनीनगर, लखनऊ वाद सं. 453/5558 व 454/5559 व 455/5560 अन्तर्गत धारा-201रा.सं. 2006 श्रीमती सुमन शर्मा आदि बनाम श्रीमती मीरा सिंह ता.फै. 07.12.17 से प्रार्थी भाऊराव देवरस सेवा न्यास सरस्वती कुंज सचिव ज्ञानेन्द्र सिंह गौतम नि. 18 भाई जी बगिया, बडा चांदगंज, लखनऊ द्वारा मुख्तारेआम रमा शंकर श्रीवास्तव पुत्र राज किशोर श्रीवास्तव नि. से.-14/381 इन्दिरा नगर, लखनऊ द्वारा प्रस्तुत पुनर्स्थापना प्रार्थना पत्र दिनांक 01.12.17 न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है तथा पूर्व पारित एकपक्षीय आदेश दिनांक 24.10.17 निरस्त किया जाता है। ह.र.का. 07.12.17

आदेश ना.तह.बिजनौर,लखनऊ वाद सं. 3731/08.12.17 अन्तर्गत धारा 201 उ.प्र. रा.सं. 2006 अरूण कुमार यादव बनाम श्रीमती मीरा सिंह त.फै.08.12.17 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 201 भू- राजस्व अधिनियम दि. 01.12.2017

41

						न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है तथा पूर्व पारित एकपक्षीय नामान्तरण आदेश दिनांक 09.10.2017 निरस्त किया जाता है। ह.र.का. 08.12.17 आदेश ना.तह.बिजनौर,लखनऊ वाद सं. 3732/08.12.17 अन्तर्गत धारा 201 उ.प्र. रा.सं. 2006 मनोज कुमार यादव बनाम श्रीमती मीरा सिंह त.फै.08.12.17 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 201 भू- राजस्व अधिनियम दि. 01.12.2017 न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है तथा पूर्व पारित एकपक्षीय नामान्तरण आदेश दिनांक 09.10.2017 निरस्त किया जाता है। ह.र.का. 08.12.17 प्रार्थना पत्र दिनांक 17.02.18 पर पारित आदेश तहसीलदार सरोजनीनगर, लखनऊ दिनांक 26.02.18 अनुसार खाता सं. 167 व 442 व 474 पर पूर्व पारित आदेश दिनांक 03.06.17 में भाऊराव देवरस सेवा न्यास सरस्वती कुंज बनाम सरकार त्रुटिपूर्ण होने के कारण उसके स्थान पर सही व शुद्ध नाम भाऊराव देवरस सेवा न्यास सरस्वती कुंज दर्ज किया जावे। ह.र.का. 27.02.18	
		1	1.6780	₹6.90	22		0

कुल गाटे- एक   कुल क्षेत्रफल- एक दशमलव छ: सात आठ शून्य (हेक्टेयर)   कुल भू-राजस्व - छ: दशमलव नौ शून्य रुपये

Data Digitally Signed by: BABU RAM

सक्षम अधिकारी: GYAN PRAKASH
तहसील: सरोजनी नगर जनपद: लखनऊ
दिनांक एवं समय: 15-09-2020 12:10:14

उपरोक्त उद्धरण खतौनी का वेरीफिकेशन http://upbhulekh.gov.in Website पर जाकर किया जा सकता है।

यह उद्धरण खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

42

अनुलग्नक-2

43

उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3
संख्या–2281/8–3–14–194 विविध/14
लखनऊ : दिनांक : 11 दिसम्बर, 2014

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश नगर–योजना और विकास अधिनियम, 1973 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1973) की धारा 38–क की उपधारा (1) के साथ पठित धारा–55 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, अर्थात्:–

उत्तर प्रदेश नगर–योजना और विकास (भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली, 2014

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और विस्तार

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश नगर–योजना और विकास (भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली, 2014 कही जाएगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रकाशित होगी।

(3) यह समस्त विकास क्षेत्रों पर लागू होगी।

परिभाषायें

2–(1) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में,–

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर–योजना और विकास अधिनियम, 1973 से है;

(ख) "आवेदक" का तात्पर्य अधिनियम की धारा–13 के अधीन भू–उपयोग परिवर्तन के लिए आवेदन करने वाले किसी व्यक्ति से है;

(ग) 'सर्किल रेट' का तात्पर्य भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अधीन सम्बन्धित क्षेत्र में भूमि के सव्यवहार पर स्टाम्प शुल्क के निर्धारण हेतु जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अधिसूचित रेट से है;

(घ) "टेलिस्कोपिक आधार" का तात्पर्य नियम–4 के अधीन दिये गये दृष्टांत के अनुसार की गयी गणना से है।

(2) इस नियमावली में अपरिभाषित किन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए क्रमशः समनुदेशित हैं।

भू–उपयोग परिवर्तन

3– यदि किसी विकास क्षेत्र में, किसी भूमि विशेष का

शुल्क का उद्ग्रहण (धारा–38क की उप–धारा–1)		भू–उपयोग परिवर्तन अधिनियम की धारा–13 के अधीन महायोजना अथवा परिक्षेत्रीय विकास योजना में संशोधन के फलस्वरूप किया जाता है, तो प्राधिकरण संबंधित भू–स्वामी से भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क, विहित प्रक्रिया के अनुसार और नियम–4 में उल्लिखित रेट पर उद्गृहीत करने का हकदार होगा:

परन्तु यह कि भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क निम्न परिस्थितियों में उद्गृहीत नहीं किया जायेगा:–

(एक) जहां किसी भूमि विशेष का भू–उपयोग परिवर्तन महायोजना अथवा परिक्षेत्रीय विकास योजना के प्रवृत्त होने के फलस्वरूप हुआ हो;

(दो) जहां भूमि केन्द्र सरकार, राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय निकाय की हो।

(तीन) जहां पर पूर्ण या आंशिक रूप से भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क के भुगतान को अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा छूट प्रदान की जाती है, तो भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क उद्गृहीत नहीं होगा।

भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण एवं उसकी दर (धारा–38क की उपधारा–1)	4–(1)	भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण एवं संग्रहण भूखण्ड के सम्पूर्ण क्षेत्रफल को उस भूमि विशेष के सर्किल रेट से गुणा करके तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची–"क" में नीचे उल्लिखित गुणांक के आधार पर किया जायेगा:–

भूमि खण्ड का क्षेत्रफल (हेक्टेअर)	गुणांक
0.25 तक	1.0
0.25 से अधिक और 1.0 तक	0.9
1.0 से अधिक और 5.0 तक	0.8
5.0 से अधिक और 10.0 तक	0.7
10.0 से अधिक	0.6

नोट :

(एक) भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क की गणना टेलिस्कोपिक आधार पर की जायेगी अर्थात 15.0 हेक्टेयर के भूखण्ड के लिए भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क की गणना निम्नवत् की जायेगी:–

{(0.25x1)+(1-0.25)x0.9+(5-1)x0.8+(10-5)x0.7+(15-10)x0.6} x सर्किल रेट x लागू प्रतिशत, जैसा

अनुसूची 'क' में दिया गया है।

(दो) भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर सर्किल रेट में कोई छूट अनुमन्य नहीं होगी।

(2) प्राधिकरण द्वारा भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क की गणना, प्राधिकरण बोर्ड के अन्तिम विनिश्चय के दिनांक को लागू विद्यमान भू–उपयोग हेतु प्रवृत्त सर्किल रेट को ध्यान में रखते हुए की जायेगी।

स्पष्टीकरण :

यदि किसी क्षेत्र विशेष में एक से अधिक सर्किल रेट लागू हैं, तब भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क की गणना विद्यमान भू–उपयोग के आधार पर किया जायेगा। उदाहरण स्वरूप, यदि किसी क्षेत्र में कृषि एवं आवासीय भूमि का अलग–अलग सर्किल रेट है और विद्यमान भू–उपयोग कृषि है, तब कृषि भूमि का सर्किल रेट लागू होगा। समान रूप से यदि विद्यमान भू–उपयोग आवासीय है तो आवासीय सर्किल रेट लागू होगा। यदि वहां पर केवल एक सर्किल रेट है, तो वही रेट लागू होगा।

(3) यदि निम्नलिखित भू–उपयोग हेतु सर्किल रेट उपलब्ध नहीं है, तो उसकी गणना नीचे दिये गये सूत्र के माध्यम से किया जायेगा:–

भू–उपयोग	सूत्र
(क) सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक सुविधायें	0.75xA+0.25xR
(ख) यातायात एवं परिवहन	0.50xA+0.50xR
(ग) औद्योगिक	0.25xA+0.75xR
(घ) कार्यालय	0.50xR+0.50xC
(ड.) मिश्रित उपयोग	0.25xR+0.75xC

जहां :

A – कृषि भूमि का सर्किल रेट है

R – आवासीय भूमि का सर्किल रेट है

C – व्यावसायिक भूमि का सर्किल रेट है

उपयोग परिवर्तन की ्या (धारा–13)

5–(1) आवेदक प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के समक्ष इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र में निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ आवेदन प्रस्तुत करेगा:–

(क) भूमि का विवरण (जैसा भी हो)

(एक) अविकसित क्षेत्र की स्थिति में, राजस्व ग्राम, तहसील, जिले का नाम, गाटा संख्या, गाटावार क्षेत्रफल और 1:4000 स्केल पर सजरा मैप।

(दो) निर्मित/विकसित क्षेत्र की स्थिति में, प्लाट संख्या, क्षेत्रफल, हेक्टेयर में और स्थानीय क्षेत्र का नाम एवं 1:1000 स्केल पर स्थल नक्शा।

(ख) स्वामित्व/विक्रय विलेख की प्रमाणित प्रति।

(ग) यथास्थिति प्रवृत्त महायोजना/परिक्षेत्रीय विकास क्षेत्र में भू-उपयोग।

(घ) परिवर्तन के लिए प्रस्तावित भू-उपयोग।

(ड.) आवेदन शुल्क रु0 1,000/- प्रति हेक्टेयर या उसके भाग के लिए, न्यूनतम रु0 1000/- के अधीन रहते हुए।

(2) आवेदन पत्र की संवीक्षा के पश्चात्, यदि प्राधिकरण की राय में संशोधन अधिनियम की धारा-13 की उपधारा-(1) में विनिर्दिष्ट प्रकृति का है तो निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुपालन किया जायेगा:-

(क) प्राधिकरण आवेदन पत्र को अपने बोर्ड की बैठक में युक्तियुक्त निर्णय के लिए प्रस्तुत करेगा।

(ख) आवेदन पत्र के अनुमोदन की दशा में, प्राधिकरण अधिनियम की धारा-13 की उपधारा (3) के अनुसार सम्बन्धित विकास क्षेत्र में प्रचलित दो समाचार पत्रों में आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करते हुए सूचना प्रकाशित करेगा। आपत्तियां और सुझाव प्रस्तुत करने की न्यूनतम अवधि सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिनों की होगी।

(ग) प्राप्त आपत्तियों और सुझावों, यदि कोई हो, पर उनकी अन्तिम प्राप्ति के दिनांक से 30 दिनों के भीतर सरकार द्वारा गठित समिति द्वारा विचार किया जायेगा। समिति की आख्या और संस्तुति को अन्तिम निर्णय हेतु प्राधिकरण के बोर्ड की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा।

(घ) उप नियम-ग के अधीन अनुमोदन की दशा में,

प्राधिकरण भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क की गणना करेगा और उसका भुगतान करने के लिए आवेदक को पन्द्रह दिनों के भीतर मांग नोटिस जारी करेगा।

(3) अधिनियम की धारा–13 की उपधारा–(1) के अधीन विनिर्दिष्ट संशोधन से भिन्न संशोधनों के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुपालन किया जायेगाः–

(क) प्राधिकरण आवेदन पत्र को युक्तियुक्त निर्णय के लिए अपने बोर्ड की बैठक में प्रस्तुत करेगा।

(ख) अनुमोदन की दशा में, प्राधिकरण प्रस्ताव को अपनी संस्तुति के साथ बोर्ड के निर्णय के दिनांक से 15 दिनों के भीतर राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा।

(ग) राज्य सरकार की सहमति के पश्चात् प्राधिकरण अधिनियम की धारा–3 की उपधारा (3) के अनुसार सम्बन्धित विकास क्षेत्र में प्रचलित दो समाचार पत्रों में आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करते हुए सूचना प्रकाशित करेगा। आपत्तियां और सुझाव प्रस्तुत करने की न्यूनतम अवधि सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिनों की होगी।

(घ) आपत्तियों और सुझाओं, यदि कोई हो, पर उनकी अन्तिम प्राप्ति के दिनांक से 30 दिनों के भीतर राज्य सरकार द्वारा गठित समिति द्वारा विचार किया जायेगा। समिति की आख्या और संस्तुति को अन्तिम निर्णय हेतु प्राधिकरण के बोर्ड की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाना।

(ड.) प्राधिकरण अपनी संस्तुति को बोर्ड के निर्णय के दिनांक से 15 दिनों के भीतर राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा।

(च) राज्य सरकार अपने निर्णय के संबंध में प्राधिकरण को सूचित करेगा और तद्नुसार प्राधिकरण आवेदक को सूचित करेगा।

(छ) उप धारा–(च) के अधीन अनुमोदन की दशा में, प्राधिकरण भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क की धनराशि की गणना करेगा और उसका भुगतान

करने के लिए आवेदक को पन्द्रह दिनों के भीतर मांग नोटिस जारी करेगा।

भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क का भुगतान (धारा–38क की उपधारा(1)

6–(1) आवेदक मांग नोटिस जारी होने के दिनांक से तीन माह के भीतर भू–उपयोग परिवर्तन की सम्पूर्ण रकम देने का दायी होगा:

परन्तु यह कि प्राधिकरण का उपाध्यक्ष, भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क के भुगतान की अनुज्ञा चार त्रैमासिक किश्तों में 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज के साथ दे सकता है, जो इस शर्त के अधीन होगी कि आवेदक को एक वर्ष के भीतर पूर्ण धनराशि जमा करनी होगी :

परन्तु यह और कि प्राधिकरण आवेदक द्वारा आवेदन किए जाने पर ऐसे भुगतान के लिए एक और वर्ष दे सकता है।

(2) यदि आवेदक यथास्थिति, नियत अवधि या बढ़ायी गयी अवधि के भीतर भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान करने में विफल रहता है तो दी गयी अनुज्ञा व्यपगत समझी जायेगी।

भू–उपयोग परिवर्तन का प्रकाशन (धारा–13 की उपधारा–4)

7– (1) अधिनियम की धारा–13 की उपधारा–(1) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रकृति के संशोधन के लिए प्राधिकरण आवेदक द्वारा भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क की सम्पूर्ण धनराशि जमा किये जाने के पश्चात्, अधिनियम की धारा–13 की उपधारा–(4) के अनुसार उक्त संशोधन को सम्बन्धित विकास क्षेत्र में प्रचलित दो समाचार पत्रों में प्रकाशित करेगा और आवेदक को भी सूचित करेगा। प्राधिकरण, राज्य सरकार को ऐसे संशोधन के प्रवृत्त होने के दिनांक से 30 दिनों के भीतर उक्त संशोधन के पूर्ण विवरण की आख्या राज्य सरकार को देगा।

(2) अधिनियम की धारा–13 की उपधारा–(3) के अधीन विनिर्दिष्ट संशोधन से भिन्न संशोधनों के लिए प्राधिकरण, भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क की सम्पूर्ण धनराशि आवेदक द्वारा जमा किए जाने के पश्चात् उसकी सूचना राज्य सरकार को प्रदान करेगा। ऐसी सूचना की प्राप्ति पर, राज्य

सरकार अधिनियम की धारा–13 की उपधारा–(4) के अधीन अंतिम अधिसूचना जारी करेगी।

अवस्थापना विकास निधि (धारा–38क की उपधारा–(1))	8–	भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क के रूप में एकत्र की गयी सम्पूर्ण धनराशि एक पृथक बैंक खाते में जमा की जायेगी, जिसे "अवस्थापना विकास निधि" के रूप में जाना जायेगा।
भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क का वार्षिक विवरण (धारा–38क की उपधारा–(1))	9–	प्राधिकरण का उपाध्यक्ष पूर्ववर्ती वर्ष हेतु भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क के संबंध में एक विवरण प्राधिकरण बोर्ड को उपलब्ध करायेगा, जिसमें प्राधिकरण द्वारा भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क के रूप में एकत्र की गयी कुल धनराशि की सूचना एवं उसके उपयोग से संबंधित ब्यौरे होंगे। यथासंभव, यह विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्राधिकरण बोर्ड की होने वाली प्रथम बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा और इसकी प्रति राज्य सरकार को भी भेजी जायेगी।

2– प्रदेश में शहरी नियोजन के कार्य हेतु 27 विकास प्राधिकरणों के अतिरिक्त 05 विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद (जो वर्तमान में 54 नगरों में कार्यरत है) तथा 74 विनियमित क्षेत्र भी घोषित/गठित हैं, अतः प्रश्नगत नियमावली (अंग्रेजी संस्करण सहित) को उक्त अभिकरणों द्वारा अपने–अपने अधिनियमों के अधीन विहित प्रक्रियानुसार अंगीकृत किया जायेगा।

3– भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क के संबंध में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा निर्गत निम्न शासनादेश अवक्रमित समझे जायेंगे:–

(i) शासनादेश सं0–3712/9–8–3–2000–26एल.यू.सी./91, दिनांक 21.8.2001
(ii) शासनादेश सं0–473/9–अ–3–26एल.यू.सी./91, दिनांक 04.02.2002
(iii) शासनादेश सं0–3351/9–अ–3–2004–12 वि./2004, दिनांक 23.08.2004
(iv) शासनादेश सं0–4988/8–3–2006–05 महा/2005, दिनांक 18.10.2006
(v) शासनादेश सं0–204/8–3–09–20 एल.यू.सी./91, दिनांक 21.01.2010
(vi) शासनादेश सं0–1735/8–1–2010–38 विविध/10, दिनांक 23.04.2010

संलग्नक : नियम–4 में उल्लिखित अनुसूची 'क'।
नियम–5(1) में उल्लिखित आवेदन पत्र।

सदा कान्त
प्रमुख सचिव

संख्या : (1)/ 8–3–14–194 विविध/14 तद्दिनांक

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐशबाग, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे उत्तर प्रदेश के असाधारण गजट मे दिनांकः दिसम्बर, 2014 के विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड (ख) में प्रकाशित करायें तथा गजट की मुद्रित 01–01 प्रतियां सम्बंधित अधिकारियों एवं शासन को 10 प्रतियां उपलब्ध करायी जाये।

आज्ञा से,

शिव जनम चौधरी
संयुक्त सचिव

संख्या : 2281 (2)/ 8–3–14–194 विविध/14 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
4. महा निरीक्षक, निबन्धन, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
9. अध्यक्ष, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
10. नियत प्राधिकारी, समस्त विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
11. निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने तथा प्रचार–प्रसार हेतु।
12. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिव जनम चौधरी)
संयुक्त सचिव

अनुसूची 'क'
(नियम–4 देंखे)

क्र. सं.	विद्यमान भू–उपयोग	भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क, सर्किल रेट के प्रतिशत के रूप में					
		प्रस्तावित भू–उपयोग					
		सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक सुविधाएं, सेवाएं तथा उपयोगिताएं जिसके अन्तर्गत यातायात एवं परिवहन भी हैं।	औद्योगिक	आवासीय	कार्यालय	मिश्रित	व्यावसायिक
	1	2	3	4	5	6	7
1.	कृषि, पार्क, खुले स्थान एवं ग्रीन बेल्ट	20%	35%	50%	100%	125%	150%
2.	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक सुविधाएं, सेवाएं तथा उपयोगिताएं जिसके अन्तर्गत यातायात एवं परिवहन	कुछ नहीं	20%	40%	75%	100%	125%
3.	औद्योगिक	कुछ नहीं	कुछ नहीं	25%	75%	90%	110%
4.	आवासीय	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	50%	75%	100%
5.	कार्यालय	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	30%	50%
6.	मिश्रित	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	25%
7.	व्यावसायिक	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं

भू—उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन

नियम—5(1)

सेवा में,

उपाध्यक्ष,

.................विकास प्राधिकरण,

....

विषयः भू—उपयोग परिवर्तन के लिए आवेदन।

मैं/हम अधोहस्ताक्षरकर्ता एतद्द्वारा..(प्रवृत्त महायोजना/परिक्षेत्रीय विकास योजना में भू—उपयोग) से भूखण्ड/गाटा के..(प्रस्तावित भू—उपयोग परिवर्तन) के रूप में उपयोग परिवर्तन के लिए आवेदन करता हूं/करते हैं, जिसके साथ दिये गये विवरण निम्नवत् हैं:—

(क) राजस्व ग्राम/तहसील और जिले का नाम..

(ख) भूमि का विवरण :—

क्र.सं.	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1		
2		
3		
4		
5		
	कुल क्षेत्रफल	

(ग) 1:4000 स्केल पर सजरा मैप, जिसमें भू—उपयोग परिवर्तन के लिए प्रस्तावित गाटा संख्या प्रदर्शित हो या 1:1000 स्केल पर स्थल नक्शा जिसमें भू—उपयोग परिवर्तन के लिए प्रस्तावित भूमि प्रदर्शित हो, जो भी लागू हो (सजरा मैप/स्थल नक्शा की प्रति संलग्न करें)

(घ) मूल नक्शा, जिसमें प्रवृत्त महायोजना/परिक्षेत्रीय विकास योजना के अनुसार प्रस्तावित स्थल की अवस्तिथि और विद्यमान भू—उपयोग प्रदर्शित हो (प्रति संलग्न करें)

(ड.) डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या.........................दिनांक............................को.. (बैंक का नाम) पर रुपये.......................(रुपये..मात्र) आवेदन शुल्क के रूप में आहरित।

(रुपये 1000/— हेक्टेयर या उसके भाग के लिए न्यूनतम रुपये 1000/— के अधीन रहते हुए)

(च) विक्रय विलेख की छायाप्रति (संलग्न करें)।

(छ) कोई अन्य विवरण जिसे आवेदक प्रस्तुत करना चाहता हो।

2— मैं/हम एतद्द्वारा लागू नियमों के अनुसार प्राधिकरण को भू—उपयोग परिवर्तन शुल्क का भुगतान करने के लिए सहमति प्रदान करता हूं/करते हैं।

संलग्नक—

(1)
(2)
(3)
(4)

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर

....

....

हस्ताक्षर एवं दिनांक

(सदा कान्त)
प्रमुख सचिव

लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 169वीं बैठक दिनांक 15 सितम्बर, 2020 का कार्यवृत्त

लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की **169वीं बैठक, बोर्ड अध्यक्ष श्री मुकेश कुमार मेश्राम, आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ** की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित हुए:-

उपस्थिति:-

01.	श्री शिवाकान्त द्विवेदी	उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
02.	श्री इन्द्रजीत विश्वकर्मा	अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, प्रतिनिधि-सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
03.	श्री अनूप कुमार श्रीवास्तव	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग।
04.	डा0 अर्चना द्विवेदी	अपर नगर आयुक्त, प्रतिनिधि-नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
05.	श्री मो0 अली शफदर	अधीक्षण अभियन्ता, प्रतिनिधि-आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
06.	सुश्री रेखा श्रीवास्तव	सहायक आयुक्त, उद्योग, प्रतिनिधि-संयुक्त आयुक्त, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
07.	श्री सुरेन्द्र सिंह परमार	परियोजना अभियन्ता प्रतिनिधि-प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम।
08.	श्री अनुपम श्रीवास्तव	क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, प्रतिनिधि-महानिदेशक पर्यटन, उ0प्र0।
09.	श्री पी0एन0 सिंह	सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
10.	श्री प्रदीप भार्गव	सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
11.	श्री पुष्कर शुक्ला	सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।

अन्य उपस्थिति:-

12.	श्री अनिल भट्नागर	सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
13.	श्री राजीव कुमार सिंह	वित्त नियंत्रक, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
14.	श्री इन्दु शेखर सिंह	मुख्य अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
15.	श्री पी0सी0 पाण्डेय	मुख्य अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
16.	श्री चक्रेश जैन	मुख्य अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
17.	श्री नितिन मित्तल	मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
18.	श्रीमती ऋतु सुहास	संयुक्त सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
19.	श्री पंकज कुमार	नजूल अधिकारी, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
20.	श्री डी0एम0 कटियार	मुख्य कर निर्धारण अधिकारी, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
21.	श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह	विशेष कार्याधिकारी, लखनऊ विकास प्राधिकरण।

सर्वप्रथम् उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड/आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ का औपचारिक स्वागत किया गया और तदुपरान्त बोर्ड बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। बोर्ड बैठक की विषय सूची में सम्मिलित विभिन्न विषयों/मदों पर निम्नवत् निर्णय लिया गया:-

मद सं0	विषय	निर्णय
169/1	लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 24.07.2020 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।	प्राधिकरण की उक्त बैठक में प्रतिभाग करने वाले समस्त सदस्यों को कार्यवृत्त प्रेषित किया गया था। किसी भी सदस्य द्वारा कार्यवृत्त के सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं करायी गयी है। अतः सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की जाती है।
169/2	लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 24.07.2020 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।	प्रस्तुत की गयी अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया एवं कतिपय विषयों पर निम्नांकित निर्देश दिये गये:- ● बसंतकुंज हरदोई रोड योजना के अवशेष प्रतिकर के भुगतान के सम्बन्ध में निर्देश

		दिये गये कि अपर जिलाधिकारी, भूमि अध्याप्ति को प्रतिकर धनराशि प्रेषित किये जाने के उपरान्त काश्तकारों को प्रतिकर ससमय प्राप्त हो सके, इस हेतु आवश्यक पत्राचार एवं एक माह में उपभोग प्रमाण–पत्र मांगे जाने की कार्यवाही की जाय। अवशेष धनराशि दिये जाने की कार्यवाही की जाय। • निर्देश दिये गये कि सहारा इंटीग्रेटेड टाउनशिप के निरस्तीकरण उपरान्त आच्छादित समस्त भूमि का विस्तृत सर्वे कराया जाये, जिससे ग्राम समाज की भूमि, काश्तकारों/कोलोनाइजर्स के कब्जे की भूमि तथा अवैध कब्जे की भूमि की स्थिति स्पष्ट हो सके। सर्वे कार्य प्राथमिक नियोजन एवं योजना की फाइनेंसियल वायबिलिटी हेतु यथा–आवश्यकता फाइनेंसियल कंसलटेंट को आबद्ध किया जाये। प्रोजेक्ट के समग्र नियोजन की दृष्टि से कितनी भूमि पर क्या भू–उपयोग उपलब्ध होगा और प्रोजेक्ट की लागत का आंकलन किया जाय।
169/3	तीन वर्ष का आयकर रिटर्न/हैसियत प्रमाण–पत्र लिये जाने की अनिवार्यता के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा तीन वर्ष का आयकर रिटर्न/हैसियत प्रमाण–पत्र लिये जाने की अनिवार्यता को विलोपित किये जाने विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
169/4	व्यवसायिक काम्पलेक्स, सेक्टर–4, गोमती नगर विस्तार को एक साथ विक्रय करने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा सरस्वती अपार्टमेन्ट के बगल स्थित व्यवसायिक काम्पलेक्स, सेक्टर–4, गोमती नगर विस्तार को एक साथ विक्रय करने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
169/5	सीतापुर रोड में बस स्टेशन हेतु आरक्षित 5.00 एकड़ भूमि निर्धारित मूल्य का 10 प्रतिशत भुगतान परिवहन निगम द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण को करते हुए बस स्टेशन का कब्जा प्राप्त कर तत्काल स्थल से परिवहन निगम की बसों का संचालन किये जाने एवं शेष 90 प्रतिशत धनराशि 15 वर्षों में परिवहन निगम द्वारा प्रतिवर्ष समान किश्तों में भुगतान लखनऊ विकास प्राधिकरण को किये जाने की अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया एवं निर्देश दिये गये कि ब्याज सहित 15 वर्ष की वार्षिक 15 किश्तें बनायी जायेगी। यदि किश्तें जमा करने में विलम्ब होता है, तो दण्ड ब्याज देय होगा।

169/6	जनपथ (हजरतगंज) स्थित दुकान/गोदाम संख्या–04, बेसमेन्ट की सर्किल दरों के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त जनपथ (हजरतगंज) स्थित दुकान/गोदाम संख्या–04 (बेसमेन्ट) की सर्किल दरों के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए निर्णय लिया गया कि जिलाधिकारी द्वारा दिनांक 01.12.2015 को वाणिज्यिक अधिष्ठानों हेतु निर्गत मूल्यांकन सूची के अनुसार निर्माण लागत के आधार पर डिप्रीसिएटेड वैल्यू के अनुसार मूल्यांकन कर गणना की जाय।
अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय		
अ0वि0 169/1	लखनऊ विकास प्राधिकरण में कार्यरत श्री राजकुमार, सहायक अभियन्ता को उनके पिता के कैंसर की गम्भीर बीमारी की चिकित्सा पर व्यय धनराशि का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
अ0वि0 169/2	श्री राजीव कुमार सिंह, अधिशासी अभियन्ता (वि0/यां0), मेरठ विकास प्राधिकरण मेरठ, सम्बद्ध लखनऊ विकास प्राधिकरण की पत्नी स्व0 किरन लता सिंह, के कैंसर की गम्भीर बीमारी की चिकित्सा पर व्यय धनराशि का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
अ0वि0 169/3	लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अनुरक्षित योजनाओं में कोरोना महामारी (कोविड–19) एवं बरसात के मौसम के दृष्टिगत डेंगू बीमारी से बचाव हेतु सैनेटाइजेशन एवं एण्टीलार्वा फागिंग के सम्बन्ध में।	प्रस्तुत प्रस्ताव बोर्ड द्वारा अवलोकित किया गया।
अ0वि0 169/4	गोमती नगर योजना के विक्रान्त खण्ड स्थित बस अड्डा एवं बजट होटल के निर्माण एवं विकास कार्य में 10% से अधिक विचलन होने के कारण शासनादेश संख्या–4575/आठ–1–06–87विविध/06 दिनांक 14.07.06 के अनुसार सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त गोमती नगर योजना के विक्रान्त खण्ड स्थित बस अड्डा एवं बजट होटल के निर्माण एवं विकास कार्य में 10% से अधिक विचलन होने के कारण शासनादेश संख्या – 4575/आठ–1–06–87 विविध/06 दिनांक 14.07.2006 के अनुसार सक्षम स्तर से अनुमोदन दिये जाने विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि यू0पी0एस0आर0टी0सी0 के अनुरोध पर जो कार्य कराये गये है, उनके विवरण सहित प्रस्ताव पुनः आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

अन्त में उपरोक्त के अतिरिक्त अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड/आयुक्त, लखनऊ मण्डल द्वारा निम्न निर्देश भी दिये गयेः–

- अध्यक्ष महोदय द्वारा प्राधिकरण के लगभग 4000 अनावंटित फ्लैटों के निस्तारण के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि मूलभूत कमियों को चिन्हित कर उन्हें दूर किया जाय तथा Value Addition

कर निस्तारण किया जाय। साथ ही सम्बन्धित फ्लैट का सैम्पल मॉडल तैयार किया जाय और व्यापक प्रचार–प्रसार कर फ्लैट लेने के इच्छुक जन–सामान्य को स्थल पर विजिट कराया जाए, ताकि अधिक से अधिक फ्लैटों का विक्रय किया जा सके।

- लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा यह देख लिया जाय कि पूर्व में स्कूल हेतु आवंटित भूखण्डों पर स्कूल का निर्माण किया गया है अथवा नहीं। यदि नहीं तो सम्बन्धित को नोटिस जारी कर नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जाय, साथ ही यह भी देख लिया जाय कि स्कूल भूखण्ड का किसी अन्य प्रयोजन में उपयोग तो नहीं किया जा रहा है?

15/9/2020

(अनिल भटनागर)
सचिव, ल0वि0प्रा0,
लखनऊ।
15.09.20

(शिवाकान्त द्विवेदी)
उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0,
लखनऊ।

अनुमोदित

16/09/2020

(मुकेश कुमार मेश्राम)
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण,
एवं आयुक्त, लखनऊ मण्डल,
लखनऊ।

विषय सं0: 05 पृष्ठ सं0– 57

विषयः गोमतीनगर योजना के विनम्रखण्ड में चयनित स्थल (क्षेत्रफल–1674.38वर्गमी0) का भू–उपयोग ओपेन स्थल से विद्युत सब–स्टेशन तथा विशेषखण्ड में चयनित स्थल (क्षेत्रफल–764.00वर्गमी0) का भू–उपयोग योजना के तलपट मानचित्र में बस–वे से विद्युत सब–स्टेशन में परिवर्तित किये जाने के संबंध में।

आख्याः

अधीक्षण अभियन्ता–एकादश मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0 लखनऊ के पत्र संख्या–356/वि.न.नि.म. (एकादश) दिनांक 24.08.2020 के क्रम में अभियन्त्रण खण्ड–1 द्वारा गोमती नगर योजना के विनम्र खण्ड एवं विशेष खण्ड के अन्तर्गत विद्युत सबस्टेशन निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने की मांग की गयी है।

व्यवसायिक सम्पत्ति अनुभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि चिन्हित भूखण्ड विनम्र खण्ड में तलपट मानचित्र के अनुसार ओपेन तथा विशेष खण्ड में बस–वे के रूप दर्शित है, का आवंटन नहीं किया गया है। जिसका अभियन्त्रण खण्ड–1 द्वारा स्थलीय परीक्षण करते हुए गोमती नगर योजना के तलपट मानचित्र में विनम्र खण्ड में चयनित भूमि (क्षेत्रफल–1674.38 वर्गमी0) चिन्हित करते हुए दर्शाया गया है जो तलपट मानचित्र में ओपेन दर्शित है तथा एवं विषेश खण्ड में चयनित भूमि (क्षेत्रफल–764 वर्गमी0) चिन्हित करते हुए दर्शाया गया है जो तलपट मानचित्र में बस–वे है।

शासनादेश सं0–2438/9–आ–3/98–60एल.यू.सी./96 दिनांक 13.10.1998 में वार्णित प्राविधान के अन्तर्गत अभियन्त्रण खण्ड–1 द्वारा चिन्हित स्थलो का भू–उपयोग परिवर्तन होने के दृष्टिगत ले–आउट प्लान संशोधित किये जाने हेतु उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–13 में निहित प्रक्रिया के तहत उपाध्यक्ष महोदय के अनुमोदन दिनांक 27.08.2020 में गोमतीनगर योजना के विनम्रखण्ड में चयनित स्थल (क्षेत्रफल–1674.38वर्गमी0) का भू–उपयोग ओपेन स्थल से सब–स्टेशन तथा विशेषखण्ड में चयनित स्थल (क्षेत्रफल–764.00वर्गमी0) का भू–उपयोग बस–वे से सब–स्टेशन में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध मे जनता से आपत्ति/सुझाव प्राप्त किये जाने के उद्देश्य से क्रमशः दैनिक समाचार पत्र आज एवं टाइम्स ऑफ इण्डिया के दिनांक 01.09.2020 तथा दैनिक समाचार पत्र आज एवं द पायनियर के दिनांक 29.08.2020 के अंक में सूचना का प्रकाशन कराया गया था। प्रकाशनोपरान्त 15 दिवस के अन्दर उक्त सूचना पर कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

उपर्युक्त के परिपेक्ष्य में गोमतीनगर योजना के विनम्रखण्ड में चयनित स्थल (क्षेत्रफल–1674.38वर्गमी0) का भू–उपयोग ओपेन स्थल से विद्युत सब–स्टेशन तथा विशेषखण्ड में चयनित स्थल (क्षेत्रफल–764.00वर्गमी0) का भू–उपयोग बस–वे से विद्युत सब–स्टेशन में परिवर्तित किये जाने के संबंध में प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

प्रस्तावः

गोमतीनगर योजना के विनम्रखण्ड में चयनित स्थल (क्षेत्रफल–1674.38वर्गमी0) का भू–उपयोग ओपेन स्थल से विद्युत सब–स्टेशन तथा विशेषखण्ड में चयनित स्थल (क्षेत्रफल–764.00वर्गमी0) का भू–उपयोग योजना के तलपट मानचित्र में बस–वे से विद्युत सब–स्टेशन में परिवर्तित किये जाने के संबंध में प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

प्रस्तावः लखनऊ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में रिक्त आवासीय भूखण्डों का निस्तारण ई-ऑक्शन के माध्यम से किये जाने के सम्बन्ध में।

विषय वस्तुः प्राधिकरण द्वारा विभिन्न योजनाओं का विकास कर आवासीय, व्यवसायिक, सामुदायिक सुविधाओं हेतु भूखण्डों का सृजन करते हुए आवंटित किये जाते हैं। प्रस्ताव है कि प्राधिकरण की आय में वृद्धि करने तथा भविष्य में योजना के अनुरक्षण पर होने वाले व्यय को दृष्टिगत रखते हुए जिन योजनाओं में कुल सृजित आवासीय भूखण्डों के 5% से कम आवासीय भूखण्ड उपलब्ध हों तो उनका निस्तारण वर्तमान दर को न्यूनतम आरक्षित मूल्य निर्धारित करते हुए ई-ऑक्शन के माध्यम से किया जाय।

प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

वित्त नियंत्रक
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ

विषय संख्या-07 पृष्ठ संख्या-60

विषयः—ऐशबाग इण्डस्ट्रियल एरिया योजना के भूखण्ड संख्या—68/1 पर प्रस्तावित रैन बसेरा का निर्माण कर भूमि का मूल्य नगर निगम, लखनऊ/उ0प्र0 शासन से प्राप्त कर निर्माण के पश्चात् रख—रखाव व आवर्ती व्यय हेतु नगर निगम, लखनऊ को हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्तावः—

ऐशबाग इण्डस्ट्रियल एरिया योजना के भूखण्ड संख्या—68/1 क्षेत्रफल—3172.29 वर्गमीटर, लखनऊ इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट द्वारा अर्जित भूखण्ड है एवं वर्तमान में ल0वि0प्रा0 के अध्यासन में है। उक्त भूखण्ड पर बेहतर सुविधा युक्त स्टेट ऑफ मॉडल मल्टी स्टोरीज रैन बसेरा का निर्माण अवस्थापना विकास निधि के द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। इस बेहतर सुविधा युक्त स्टेट ऑफ मॉडल मल्टी स्टोरीज रैन बसेरे का निर्माण किये जाने हेतु रू0 आठ करोड़ की स्वीकृति अवस्थापना विकास निधि की बैठक दिनांक 22.02.2020 एवं दिनांक 29.02.2020 में प्रदान की जा चुकी है (छायाप्रति संलग्न)। निर्माण के पश्चात् रैन बसेरा के संचालन एवं रख—रखाव हेतु नगर निगम, लखनऊ को हस्तगत किया जायेगा। अतः भूमि का मूल्य नगर निगम, लखनऊ/उ0प्र0 शासन से प्राप्त कर निर्माण के पश्चात् रख—रखाव व आवर्ती व्यय नगर निगम, लखनऊ द्वारा किया जाना वॉछनीय होगा।

प्रश्नगत भूमि का मूल्य वर्तमान जिलाधिकारी सर्किल दर के अनुसार रू0 4,44,12,060.00/— (रू0 चार करोड़ चौवालिस लाख बारह हजार साठ मात्र) है। रैन बसेरा के निर्माण हेतु ल0वि0प्रा0 की ओर से प्रस्तावित भूखण्ड संख्या—68/1, क्षेत्रफल—3172.29 वर्गमीटर का मूल्य रू0 4,44,12,060.00/—(रू0 चार करोड़ चौवालिस लाख बारह हजार साठ मात्र) का भुगतान किये जाने हेतु नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ को पत्र संख्या—1284/तह0(सं)2020 दिनांक 17.11.2020 (छायाप्रति संलग्न) प्रेषित किया जा चुका है।

उपरोक्त प्रस्ताव मा0 प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

24/11/2020
महेन्द्र कुमार दीक्षित
अवर वर्ग सहायक

(राजेश कुमार शुक्ला)
तहसीलदार
लखनऊ विकास प्राधिकरण

24/11/2020
(अशोक कुमार सिंह)

(... प्रकाश)
संयुक्त सचिव
25 Nov 20

आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ की अध्यक्षता में वित्तीय वर्ष 2019–20 (प्रथम चरण) की दिनांक 22.02.2020 को अपराह्न 3.30 बजे एवं दिनांक 29.02.2020 को सांय 4.30 बजे सम्पन्न हुई अवस्थापना विकास निधि की बैठक का कार्यवृत्त

उपरोक्त विषयक अवस्थापना विकास निधि की बैठक आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ की अध्यक्षता में दिनांक 22.02.2020 एवं दिनांक 29.02.2020 को सम्पन्न हुई, जिसमें निम्न सदस्यगण उपस्थित हुए :–

1. श्री अभिषेक प्रकाश, जिलाधिकारी, लखनऊ।
2. श्री शिवाकान्त द्विवेदी, उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0, लखनऊ।
3. डा0 इन्द्रमणि त्रिपाठी, नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
4. डा0 अर्चना द्विवेदी, अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
5. श्री पंकज कुमार यादव, वरिष्ठ प्रबंधक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
6. श्री एस0के0 गुप्ता, सामान्य प्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।

वर्ष 2019–20 हेतु अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत दिनांक 22.02.2020 एवं दिनांक 29.02.2020 को सम्पन्न हुई बैठक में निम्नलिखित कार्य स्वीकृत किये गये :–

क्र0सं0	कार्य का नाम	Quantum/ Dimension	अनुमानित/ Estimate Amount (रू0 लाख में)	जोन
	1. यातायात सुधार सम्बन्धी कार्य			
1	यातायात सुधार हेतु ट्रान्सपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत भू0सं0: सी–1/44 से सी–36 तक 24.0 मी0 सड़क के दक्षिणी मार्ग के सुदृढ़ीकरण का कार्य।	Length-1162.00m Width-7.80m RCC Road	388.70	जोन–2
2	यातायात सुधार हेतु मानसरोवर योजना के अन्तर्गत दीपशिखा अपार्टमेन्ट से ब्लू डॉट चौराहे तक सड़क व नाली सुदृढ़ीकरण का कार्य।	Length-470.00m both side Width-7.00m	78.84	जोन–2
3	सुचारू यातायात व्यवस्था हेतु कंक्रीट ट्रैफिक माड्यूलेटर (Concrete Traffic Modulators) के सम्बन्ध में।	500 no.	55.00	जोन–3
4	प्रियदर्शनी योजना के अन्तर्गत सेक्टर–बी में आन्तरिक सड़को व नालियों का सुधार कार्य। (पार्ट–ए)	Bitumineous Road 1- Length-330.00 m Width-18.00 m 2- Length-184.00 m Width-9.00 m 3- Interlocking tiles-1716.00 Sqm.	116.09	जोन–4
5	लखनऊ विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत प्रियदर्शिनी आवास योजना के सेक्टर–बी व सी के मध्य 30.00 मी0 चौड़ी एवं 174.00 मी0 लम्बी सड़क (कम्यूनिटी सेन्टर की ओर से) का सुदृढ़ीकरण, नाले, डिवाईडर की मरम्मत तथा फुटपाथ का निर्माण कार्य। (पार्ट–1)	Bitumineous Road Length-174.00 m Width-30.00 m U-type drain-Length-174.00 m (both side)	91.89	जोन–4
6	लखनऊ विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत प्रियदर्शिनी आवास योजना के सेक्टर–बी व सी के मध्य 30.00 मी0 चौड़ी एवं 180.00 मी0 लम्बी सड़क (कम्यूनिटी सेन्टर के अन्तिम सिरे से 174.00 मी0 के बाद) सीतापुर मुख्य मार्ग से 172.00 मी0 के बाद अर्थात् (पार्ट–1 व पार्ट–2 के मध्य) का सुदृढ़ीकरण, नाले, डिवाईडर की मरम्मत तथा फुटपाथ का निर्माण कार्य। (पार्ट–2)	Bitumineous Road Length-180.000 m Width-30.00 m U-type drain-Length-180.00 m (both side)	92.45	जोन–4
7	लखनऊ विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत प्रियदर्शिनी आवास योजना के सेक्टर–बी व सी के मध्य 30.00 मी0 चौड़ी एवं 172.00 मी0 लम्बी सड़क (सीतापुर मुख्य मार्ग से पश्चिम की तरफ) का सुदृढ़ीकरण, नाले, डिवाईडर की मरम्मत तथा फुटपाथ का निर्माण	Bitumineous Road Length-172.000 m Width-30.00 m U-type drain-Length-172.00 m (both side)	89.53	जोन–4

	कार्य। (पार्ट–3)			
8	जानकीपुरम् योजना, सेक्टर–जे, भाग–1 व 4 में निम्न आय वर्ग के भवनो के मध्य सड़क (इण्टरलाकिंग टाइल) के सुदृढीकरण एवं नाली सुधार कार्य।	Bitumineous Road Length-2390.00 m Width-3.50 m	43.29	जोन–5
9	जानकीपुरम् विस्तार योजना, सेक्टर–3 में ग्राम खरगापुर के शमशान घाट के पास सड़क सुदृढीकरण, नाली व पुलिया की मरम्मत का कार्य।	Bitumineous Road Length-112.00 m Width-3.50 m	11.29	जोन–5
10	जानकीपुरम् विस्तार योजना, सेक्टर–9 में पार्क संख्या 1 व 7 के चारो ओर सड़क सुदृढीकरण एवं नाली मरम्मत का कार्य।	Bitumineous Road Length-705.00 m Width-3.50 m	36.67	जोन–5
11	चारबाग एवं पॉलीटेक्निक चौराहे पर स्थित फुटओवर ब्रिज पर एक्सलेटर/एलीवेटर लगाने का कार्य।	02 No.	100.00	जोन–6
	कुल योग	Rs.	**1103.75**	
	2. मिसिंग लिंक रोड सम्बन्धी कार्य			
1	जानकीपुरम् योजना, सेक्टर–आई में व्यवसायिक भूखण्ड संख्या : सी0पी0–2 के समीप 9.00 मीटर चौड़ी सड़क, नाली एवं पुलिया का निर्माण कार्य।	Length-60.00 m Width-7.00 m	10.98	जोन–5
	कुल योग	Rs.	**10.98**	
	3. पार्किंग निर्माण सम्बन्धी कार्य			
	निल	निल	निल	निल
	4. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट सम्बन्धी कार्य			
1	मानसरोवर योजना अन्तर्गत 24.0 मी0 सड़क पर भूखण्ड संख्या–3/421 तथा भूखण्ड संख्या–3/399 के सामने क्षतिग्रस्त नाले की मरम्मत का कार्य।	Drain repair work and missing drain work Length-200.00 m	4.18	जोन–2
2	बसन्तकुंज योजना के अन्तर्गत कैटिल कालोनी में गोबर बायोगैस प्लान्ट का निर्माण।	Area approx. - 600.00 Sqm. 2000 पशुओं हेतु गोबर बायो गैस प्लान्ट का निर्माण।	250.00	जोन–7
	कुल योग	Rs.	**254.18**	
	5. सार्वजनिक शौचालय निर्माण सम्बन्धी कार्य			
	निल	निल	निल	निल
	6. सौर ऊर्जा स्थापना सम्बन्धी कार्य			
1	इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान में 800 किलोवाट एवं जनेश्वर मिश्र पार्क में 500 किलोवाट का स्थापित सोलर पैनल के संचालन एवं अनुरक्षण का कार्य।	कुल 1300 किलोवाट सोलर प्लान्ट का 04 वर्ष तक अनुरक्षण एवं संचालन।	64.15	वि0/यां0
	कुल योग	Rs.	**64.15**	
	7. जलाशयों (वाटरवाड्जि) के पुनरोद्धार/पुनर्जीवन सम्बन्धी कार्य			
1	प्राकृतिक झील के संरक्षित हेतु शारदा नगर योजना के अन्तर्गत रक्षाखण्ड एल्डिको उदयन–2 में स्थित प्राकृतिक झील को बायो इंजीनियरिंग तकनीकी के माध्यम से सौन्दर्यीकरण कराये जाने का कार्य।	Area- 3.8 Hect. Perimeter-1070.00 m (बायोइंजीनियरिंग तकनीकी से संगरक्षण एवं सौन्दर्यकरण का कार्य। जूट जियो टैक्सटाइल एवं माइक्रोबॉयल कन्सोल्टियम से जल के ट्रीटमेन्ट का कार्य।)	558.38	जोन–2
2	प्राकृतिक झील के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु शारदा नगर योजना के अन्तर्गत रक्षाखण्ड एल्डिको उदयन–2 में स्थित मुख्य झील से जुड़ने वाली प्रतिसोत्र (Upstream) पर प्राकृतिक झीलों की सफाई एवं जल स्त्रोतों की उपयोगिता हेतु झील को संरक्षित	Length- 1300.00 m (1.7 मी0 हाइट की ग्रिल बाउण्ड्रीवाल का कार्य। किनारों की सुरक्षा हेतु स्टोन	497.58	जोन–2

	करने का कार्य।	पिचिंग का कार्य एवं नाले की मरम्मत करते हुए झील से जोड़ने का कार्य।)		
3	प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत शारदा नगर विस्तार योजना में 1000 किलो लीटर क्षमता के 22.0 मीटर स्टेजिंग हाईट पर शिरोपरि जलाशय का निर्माण कार्य।	1000 किली0 क्षमता 22 मी0 स्टेजिंग।	141.40	जोन–2
4	मोहान रोड बुद्धेश्वर महादेव मन्दिर परिसर में स्थित प्राचीन सीताकुण्ड तालाब का सौन्दर्यीकरण कार्य।	90x70 = 6300.00 sqm.	157.50	जोन–3
5	मोतीझील/जमुनाझील का सौन्दर्यीकरण का कार्य।	Area approx. -16 Acr (झील हेतु डिवीडिंग, ड्रेजिंग/डिसिल्टिंग, बबल एरेशन तथा मरम्मत का कार्य एवं 02 वर्ष का रख–रखाव।)	200.00	जोन–7
6	कैम्पवेल रोड पर थाना तालकटोरा क्षेत्र में पाल तिराहे के पास काला पहाड़ तालाब का सौन्दर्यीकरण का कार्य।	Area approx. -10 Acr (फेन्सिंग, डिवीडिंग, ड्रेजिंग/डिसिल्टिंग, बायो रेमेडियल ट्रीटमेन्ट तथा 02 वर्ष का रख–रखाव।)	500.00	जोन–7
7	राजाजीपुरम स्थित सुप्पा झील का जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण कार्य।		150.00	जोन–3
	कुल योग	**Rs.**	**2204.86**	
	8. मास्टर प्लान के अन्तर्गत सड़क निर्माण सम्बन्धी कार्य			
	निल	निल	निल	निल
	9. चौराहों के सुन्दरीकरण सम्बन्धी कार्य			
1	लखनऊ विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत प्रियदर्शनी आवास योजना के सेक्टर–बी व सी के मध्य 30.00 मी0 चौड़ी सड़क पर साईन बोर्ड एवं साईनेज लगाने का कार्य।	Signage board 1- Length-30.00 m Width-1.50 m (01 No.) 2- Length- 6.00 m Width- 1.50 m (02 No.)	26.82	जोन–4
	कुल योग	**Rs.**	**26.82**	
	10. सड़कों के नवनिर्माण/चौड़ीकरण सम्बन्धी कार्य			
1	गोमती नगर योजना फेज–2 के विक्रान्त खण्ड में बस अड्डा/बजट होटल को शहीद पथ से मिलाने वाली रोड का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	1- Brick work, U-type drain Length-160.00 m 2- Bitumenous Road Length-80.00 m width-7.50 m	24.52	जोन–1
2	डिफेन्स एक्सपो 2020 हेतु आयोजित कार्यक्रम के अन्तर्गत शहीद पथ के सामान्तर स्थित सर्विस रोड (कानपुर रोड से रमाबाई रैली स्थल तक) दोनों पटरी एवं सुल्तानपुर रोड से कार्यक्रम स्थल तक दांयी पटरी सर्विस रोड पर सड़क सुदृढ़ीकरण एवं पैच रिपेयर का कार्य।	Bitumenous Road Length-9500.00 m width-7.00 m	407.25	जोन–2
3	मानसरोवर योजना के अन्तर्गत 24.0 मी0 चौड़ी रोड के उत्तरी मार्ग (बिजनौर रोड से ब्लू डाट चौराहे तक) के सुदृढ़ीकरण का कार्य।	Bitumenous Road Length-1710.00 m width-7.00 m	98.11	जोन–2
4	कृष्णा नगर थाना क्षेत्र के विष्णुलोक कालोनी के मुख्य एवं आन्तरिक सड़कों का सुदृढ़ीकरण एवं इन्द्रलोक कालोनी में भवन संख्या एल–639 से मुख्य सड़क तक जोड़ने वाले सड़क का सुदृढ़ीकरण कार्य।	Bitumenous Road 1- Length-160.00 m width-6.00 m 2- Length-370.00 m width-4.00 m 3- Length-150.00 m width-3.60 m	136.05	जोन–3

5	जानकीपुरम् योजना, सेक्टर–जे (विस्तार) स्थित जनेश्वर इन्कलेव के सामने 45.00 मीटर सड़क का सुदृढ़ीकरण एवं डिवाइडर मरम्मत का कार्य।	Bitumenous Road Length-525.00 m width-7.00 m	72.62	जोन–5
6	जानकीपुरम् विस्तार योजना में डी0पी0एस0 स्कूल के सामने 24.00 मीटर व दांयी ओर 12.00 मीटर चौड़ी सड़क सुदृढीकरण एवं डिवाइडर की मरम्मत का कार्य।	Bitumenous Road Length-860.00 m width-7.00 m	72.56	जोन–5
7	जानकीपुरम् योजना, सेक्टर–जे में आन्तरिक सड़को के सुदृढीकरण का कार्य।	Bitumenous Road Length-5200.00 m width-3.50 m	155.00	जोन–5
8	जानकीपुरम् विस्तार योजना में भिठौली क्रासिंग से भवानी चौराहे तक सड़क सुदृढीकरण, डिवाइडर एवं नाली मरम्मत तथा रंगाई–पुताई का कार्य।	Bitumenous Road Length-1500.00 m width-7.00 m	65.44	जोन–5
9	जानकीपुरम् विस्तार योजना, सेक्टर–2 की 24.00 मीटर चौड़ी मुख्य सड़क के सुदृढीकरण, डिवाइडर, फुटपाथ इत्यादि की मरम्मत का कार्य।	Bitumenous Road Length-1140.00 m width-7.00 m	82.24	जोन–5
10	जानकीपुरम् विस्तार योजना, सेक्टर–8 व 9 के मध्य 18.00 मीटर चौड़ी मुख्य सड़क के सुदृढीकरण का कार्य।	Bitumenous Road Length-490.00 m width-7.00 m	43.62	जोन–5
11	जानकीपुरम् विस्तार योजना, सेक्टर–2 में आन्तरिक सड़को के सुदृढीकरण का कार्य।	Bitumenous Road Length-570.00 m width-3.50 m	24.13	जोन–5
12	जानकीपुरम् विस्तार योजना, सेक्टर–6 की अवशेष सड़को के सुदृढीकरण का कार्य।	Bitumenous Road Length-620.00 m width-7.00 m	54.88	जोन–5
13	ज्योतिबा फूले पार्किंग चौक के संचालन हेतु सड़क सुदृढीकरण का कार्य।	Bitumenous Road Length-601.00 m width-18.00 m	98.56	जोन–7
14	बसंत कुंज योजना सेक्टर–ए, बी तथा एच में सडक चौडीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य।	Bitumenous Road <u>Sector-A</u> Length-1200.00 m width-18.00 m and 24.00 m <u>Sector-B</u> Length-824.00 m width-18.00 m <u>Sector-H</u> Length-1375.00 m width-24.00 m	450.00	जोन–7
	कुल योग	**Rs.**	**1784.98**	
	<u>11. पार्कों की स्थापना सम्बन्धी कार्य</u>			
1	मानसरोवर योजना सेक्टर–ओ विस्तार में पार्क के संख्या–5, 9 व 10 के सुदृढ़ीकरण का कार्य।	Area-10000 sqm. Boundrywall repair work, painting work, pathway repair work etc.	22.00	जोन–2
2	शारदा नगर योजना के रजनी खण्ड–2 में स्थित पार्क की मरम्मत, रंगाई, पुताई व पाथवे सुदृढ़ीकरण का कार्य।	Area-3600 sqm. Boundrywall repair work, painting work, pathway repair work etc.	9.60	जोन–2
3	सीतापुर रोड स्थित प्रियदर्शनी योजना में स्थित सेक्टर–बी में 1/271 व 1/271 ए के सम्मुख स्थित पार्क के सौन्दर्यीकरण का कार्य।	Area-995.00 sqm.	8.22	जोन–4
4	निराला नगर स्थित ठण्डी पार्क का सौन्दर्यीकरण/सुदृढ़ीकरण का कार्य।	Area-4000.00 sqm.	28.45	जोन–4
5	सीतापुर रोड योजना के अन्तर्गत सेक्टर–ई के कामर्शियल पाकेट में पार्क/पार्किंग पर बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य।	Area-5500.00 sqm.	30.35	जोन–4
6	प्रियदर्शिनी योजना के अन्तर्गत सेक्टर–डी में पार्क का निर्माण एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य।	Area-3000.00 sqm.	51.68	जोन–4
7	अलीगंज स्थित राजकीय उद्यान एवं शीतगृह केन्द्र में उद्यान का सुधार एवं विकास कार्य (प्रथम चरण)	Area-29200.00 sqm.	150.00	जोन–4
8	जानकीपुरम् विस्तार योजना, सेक्टर–3 में स्थित एकता विहार पार्क की बाउन्ड्रीवाल, ग्रिल, नाली की मरम्मत एवं पेन्टिग का कार्य।	Area-1375 sqm. Boundrywall repair work, painting work etc.	1.71	जोन–5
9	जानकीपुरम् योजना, सेक्टर–जे में पार्क संख्या पी–1, पी–4 पी–8 एवं पी–10 का जीर्णोद्धार एवं ओपेन	P1-3085.00 Sqm. P2-1245.00 Sqm. P3-1386.00 Sqm.	48.00	जोन–5

	जिम उपकरण लगाने का कार्य।	P4-2000.00 Sqm. Boundrywall repair work, painting work and open jym work etc.		
10	जानकीपुरम् विस्तार योजना, सेक्टर–8 में पार्क संख्या 1, 2 व 3 का जीर्णोद्धार एवं प्ले–फील्ड में बेंच तथा ओपेन जिम संयंत्र लगाने का कार्य।	P1-1200.00 Sqm. P2-1800.00 Sqm. P3-1600.00 Sqm. Play field-8000.00 Sqm. Boundrywall repair work, painting work and open jym work etc.	28.87	जोन–5
11	जानकीपुरम् विस्तार योजना, सेक्टर–3 में पार्क संख्या 1 व 8 का जीर्णोद्धार एवं ओपेन जिम संयंत्र लगाने का कार्य।	P1-2200.00 Sqm. P2-1650.00 Sqm. Boundrywall repair work, painting work and open jym work etc.	22.55	जोन–5
12	जानकीपुरम् विस्तार योजना, सेक्टर–7 में पार्क संख्या 1 व 9 का जीर्णोद्धार एवं ओपेन जिम संयंत्र लगाने का कार्य।	P1-1450.00 Sqm. P9-2670.00 Sqm. Boundrywall repair work, painting work and open jym work etc.	32.89	जोन–5
13	सिंचाई विभाग मुख्यालय के सामने हैदर कैनाल, हैवलक रोड पर संरक्षित सामुदायिक स्थल को विकसित कर संचालित करने हेतु आवश्यक मरम्मत एवं सुधार कार्य।	Area-6100.00 Sqm.	90.00	जोन–6
14	बेहतर सुविधा युक्त स्टेट ऑफ माडल मल्टीस्टोरीड रैन बसेरे का निर्माण कार्य।	4 मंजिला नाइट शेल्टर का कार्य प्रस्तावित है।	800.00	जोन–6
15	लखनऊ शहर के अन्तर्गत 311 पार्कों के सौन्दर्यीकरण, सुदृढ़ीकरण सिंचाई व्यवस्था, वृक्षारोपण एवं हरियाली विकसित करते हुए एक वर्ष के रख–रखाव।	Area-166.00 Acr. Open jym, designer gate, Sculpture, synthetic jogging track, kids zone, tyles, rifil wall, mural work etc.	1276.00	उद्यान अनुभाग
16	देश के अन्य महानगरों की भाँति लखनऊ शहर में विगत कई दशकों में निर्मित 12 नग ओवर ब्रिज/फ्लाई ओवर के नीचे रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था, क्षेत्र का संरक्षित करते हुए हरियाली विकसित करना तथा एक वर्ष का रख–रखाव।	तालकटोरी रोड ओवर ब्रिज, मानक नगर हरदोई रोड, बुद्धेश्वर ओवर ब्रिज, कनौसी ओवर ब्रिज, पुरनिया फ्लाईओवर, डालीगंज, निशातगंज फ्लाईओवर, मधुरिमा/मिठाईवाला चौराहा, हैनीमैन, हुसड़िया, ग्वारी चौराहा, इन्दिरा ब्रिज आदि।	840.00	उद्यान अनुभाग
17	05 पार्कों में औद्यानिक अवशिष्ट हेतु शेडर स्थापना एवं एक वर्ष संचालन का कार्य। (जी0पी0ओ0 पार्क, बेगम हजरतगंज पार्क, बुद्धा पार्क, नीबू पार्क, बटलर पार्क)	जी0पी0ओ0, बेगम हजरत महल पार्क, बुद्धा पार्क, नीबू पार्क, बटलर पार्क आदि।	50.00	उद्यान अनुभाग
18	विशाल खण्ड–2 में स्मृति पार्क का सौन्दर्यीकरण एवं सुदृढ़ीकरण, सिंचाई व्यवस्था तथा एक वर्ष के रख–रखाव का कार्य।	Area-1800 Sqm.	12.00	उद्यान अनुभाग
19	लोहिया पथ एवं नाबार्ड, रिजर्व बैंक भवन के मध्य हरित पट्टी का विकास, सिंचाई व्यवस्था एवं एक वर्ष के रख–रखाव का कार्य।	Area-1800 Sqm.	9.50	उद्यान अनुभाग
	कुल योग	**Rs.**	**3511.82**	
	12. फुट ओवरब्रिज निर्माण सम्बन्धी कार्य			
	निल	निल	निल	निल
	13. अतिरिक्त मद (नाली का निर्माण एवं जल निकासी व्यवस्था एवं सुदृढ़ीकरण सम्बन्धी कार्य)			
1	गोमती नगर योजना के अन्तर्गत नेहरू इन्क्लेव में आर–97 के आस–पास इण्टरलॉकिंग टाइल्स लगाने एवं नाली का निर्माण कार्य।	1- Brick work, U-type drain Length-115.00 m 2- Interlocking tile-1128.00 Sqm.	21.00	जोन–1
2	गोमती नगर योजना के अन्तर्गत ग्राम–जुगौली में सड़क, सीवर लाइन एवं नाले का अवशेष कार्य।	कृत कार्य में अधिक धनराशि व्यय होने के कारण अवशेष भुगतान	3.02	जोन–1

	(पार्ट–ए)	किये जाने हेतु।		
3	कानपुर रोड योजना के अन्तर्गत सेक्टर–बी स्थित ग्राम–सम्भल खेड़ा का आन्तरिक विकास, सीवर व सड़क आदि का कार्य। (पार्ट–बी)	Siverline-393.00 m CC Road-417.00 m Width-2.00 m to 4.00 m	35.37	जोन–2
4	कानपुर रोड योजना के अन्तर्गत सेक्टर–बी स्थित ग्राम–सम्भल खेड़ा का आन्तरिक विकास, सीवर व सड़क आदि का कार्य (पार्ट–ए)।	Siverline-410.00 m CC Road-410.00 m Width-2.00 m to 3.50 m	36.56	जोन–2
5	मानसरोवर योजना अन्तर्गत औरंगाबाद में सेक्टर–पी, पुलिया से कृष्णा पब्लिक स्कूल से होते हुए सजीवन लाल के घर तक सड़क, ड्रेन एवं सीवर आदि का कार्य।	Length-440.00 m Width-3.60 m to 6.60 m Drain repair work	57.80	जोन–2
6	ट्रान्सपोर्ट नगर योजना अन्तर्गत मुन्शीखेड़ा गॉव में आंशिक सड़क व नाली मरम्मत का कार्य।	Length-209.00 m Width-3.20 m to 4.90 m RCC Road, Drain repair work	18.60	जोन–2
7	शारदा नगर योजना के अन्तर्गत ग्राम भदरूख के अवशेष विकास कार्य।	Length-300.00 m Width-2.00 m to 3.50 m RCC Road, Drain repair work	23.00	जोन–2
8	बसन्तकुंज योजना में पीरनगर से हैयात नगर तालाब तक आर0सी0सी0 नाले का निर्माण कार्य।	Length-432.00 m RCC Drain construction work	90.00	जोन–7
	कुल योग			
		Rs.	285.35	
	14. अतिरिक्त मद (विद्युतीकरण, सीवर लाइन, एस0टी0पी0, जलापूर्ति एवं जल संरक्षण सम्बन्धी कार्य)			
1	मा0 श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण पारा, सदरौना के अन्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण का कार्य।	Bitumineous Road	100.00	जोन–3
2	जानकीपुरम् योजना, सेक्टर–जे में क्षतिग्रस्त पानी की लाइनों को बदलने एवं मरम्मत का कार्य।	Length-8640.00 m	50.22	जोन–5
3	लामार्ट गर्ल्स कालेज एवं के0डी0 सिंह बाबू स्टेडियम के समीप डिवाईडर पर जी0आई0 पाल पर प्रकाश व्यवस्था एवं पूर्व निर्मित ओवर हेड 11 के0वी0 एच0टी0 लाईन को भूमिगत करने का कार्य।	1- 9 Mtr GI Octagonal Poles-18 No. 2- LED Street Light-36 No. 3- Transformer with all complete. 4- 500 mtr. line shifting work	3.16	वि0/यां0
4	ग्राम भदरूख में धरना स्थल एवं सेक्टर–डी व्यवसायिक भूखण्ड हेतु स्थापित नलकूप के वार्षिक संचालन, अनुरक्षण एवं विद्युत देयक आदि का कार्य।	02 नग नलकूप 15 एच.पी. मोटर पम्प सेट एवं अनुरक्षण एवं विद्युत बिल का भुगतान	10.00	वि0/यां0
5	हनुमान सेतु डालीगंज पुल तक नदी के बाई और प्रकाश व्यवस्था एवं हाईमास्ट के अनुरक्षण एवं संचालन का कार्य। (छः माह)	**(A) Material Part** 1- 10.5 Mtr GI Octagonal Poles With Bracket -58 no. and light-116 no. 2. 20 mtr long Octagonal high mast with 400 W LED Fitting complete in all respect.-02 no.	15.00	वि0/यां0
6	विभिन्न नजूल/हेरिटेज जोन पार्क्स के विद्युतीय अनुरक्षण दो वर्षो हेतु इले0/हेल्पर की आपूर्ति का कार्य।	Two years maintainance (2 electrician & 12 helper.)	39.00	वि0/यां0
7	गोमती नगर आवासीय योजना भाग–1 में ग्वारी चौराहे के पास विराम खण्ड–5 में किसानो के लिए बनी दुकानो एवं चबूतरा हेतु विद्युतीकरण एवं प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	1- SP 9mtr Pole-23 no. 2- Transfermer-01 no. 250KVA 3- Underground 11KV line 250 mtr. 4- LT line 650 mtr.	24.00	वि0/यां0
8	पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृतिका, चौक स्थित डा0 राम मनोहर लोहिया पार्क राजा राम पाल पार्क, सुभाष चौराहा, लक्ष्मण पार्क में प्रकाश व्यवस्था से सम्बन्धित मरम्मत एवं फाउण्टेन की रिपेयरिंग इत्यादि का कार्य।	पार्कों का प्रकाश व्यवस्था एवं फाउण्टेन की रिपेयर आदि	66.62	वि0/यां0

9	बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा एवं रूमी गेट पर स्थापित प्रकाश व्यवस्था के वार्षिक संचालन, अनुरक्षण एवं विद्युत देयक पर व्यय।	LED Luminaries (10 W to 130 W)- 217 no.	172.00	वि0/यां0
10	पुराना लखनऊ हुसैनाबाद क्षेत्र में समेकित विकास कार्यों के अन्तर्गत सम्पादित विद्युत/यांत्रिक कार्यों के संचालन एवं अनुरक्षण एवं विद्युत देयक पर व्यय।	1. (लगभग 10 किलो मी0 परिक्षेत्र में, 1250 मार्ग प्रकाश बिन्दु) 2. 01 म्यूजिकल फाउण्टेन अनुरक्षण 3. सतखण्डा भवन पर आडियों, विडियो सिस्टम इत्यादि हेतु 04 प्रोजेक्टर। 4. 30 एल.ई.डी. स्क्रीन आदि। 5. मार्ग प्रकाश बिन्दु के नियंत्रण हेतु फाई फाई चलित इन्टेलिजेन्ट सिस्टम	335.00	वि0/यां0
11	पिपराघाट पुल से गोमती नदी के बाये तटबन्द पर मार्ग प्रकाश व्यवस्था के वार्षिक अनुरक्षण तथा विद्युत देयक का कार्य।	1. 35 वाट एलoईoडीo माड्यूलर–540 नं0 2. 250 वाट सोडियम लाइट–400 नग 3. 63 के0वी0ए0 ट्रांसफार्मर 4. आवश्यक केबिल (16X4– 12380 मी0) (25X4– 6452 मी0)	86.00	वि0/यां0
12	बी0एस0यू0पी0 के अन्तर्गत 05 नग नलकूपों का संचालन/विद्युत देयक पर व्यय।	अनुरक्षण एवं बिजली बिल का भुगतान	30.00	वि0/यां0
	कुल योग	Rs.	**931.00**	
	<u>महायोग (01 से 14 तक)</u>	Rs.	**10177.89**	

बैठक में स्वीकृत कार्यो के सम्पादन हेतु निम्न आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गयेः–

1. सीमेन्ट कंक्रीट के कार्यो में यथा सम्भव आर0एम0सी0 का प्रयोग किया जाये।
2. बिटूमिनस सड़क कार्यो में हॉट मिक्स प्लान्ट का ही प्रयोग किये जाये तथा इसमें यथा सम्भव वेस्ट प्लास्टिक का प्रयोग किया जाये।
3. पार्को के निर्माण में मियावाकी प्लान्टेशन सिस्टम का (कम से कम एक यूनिट 160 वर्गमी0) का प्रयोग किया जाये।
4. तालाबों के पुर्नजीवित करने हेतु NEERI, CSE, IIT's आदि विशेषज्ञ संस्थानों से अनुमोदित तकनीक पर ही कार्य कराया जाये। इन्हें कन्सलटेंट के रूप में भी लगाया जा सकता है तथा यह भी सुनिश्चित किया जाये कि किसी भी दशा में तालाबों में सीवर का पानी न जाये। आवश्यकतानुसार अमृत योजना अथवा अन्य मद से एस0टी0पी0 बनाकर स्वच्छ पानी की रीसाइकलिंग कर तालाबों में जल संभरण किया जाये।
5. सभी निर्माण विशेषकर सडकों के निर्माण में डिफेक्ट लाइबिल्टी पीरियड कम से कम तीन वर्ष रखा जाये अथवा 03 वर्ष की ए0एम0सी0 सहित टेण्डर कराये जाये।
6. बायोगैस प्लान्ट का निर्माण पी0पी0पी0 मॉडल पर किया जाये, मात्र VGF की व्यवस्था प्राधिकरण करे, इस मॉडल पर ही कार्य किया जाये। इसमें ISKCON, DHYAM Foundation, HCL Foundation आदि से सहयोग/कन्सलटेंसी प्राप्त कर ली जाये।

7. रेन वाटर हार्वेस्टिंग तथा अन्य जल संरक्षण सम्बन्धी कार्यो हेतु इस क्षेत्र में कार्य करने वाले विशेषज्ञों जैसे जलपुरूष श्री राजेन्द्र सिंह एवं श्री मोदी (सेवानिवृत्त आई0पी0एस0), सुश्री सुनीता नरायण CSE आदि से भी सलाह ली जाये।
8. जिन कार्यो हेतु अनुमानित लागत स्थापित की गयी है, उनकी निविदा विस्तृत आगणन तैयार कर ही स्थल पर कार्य कराया जाये।
9. ज्योतिबा फूले पार्किंग के पास प्रस्तावित सड़क सुदृढीकरण कार्य में सडक पर मैक्सफाल्टिंग भी करायी जाये।
10. सभी कार्य निर्धारित गुणवत्ता एवं निर्धारित समय के अन्तर्गत पूर्ण कराये जाये।

प्रतिनिधि
उ0प्र0 जल निगम,
लखनऊ

(डा0 इन्द्रमणि त्रिपाठी)
नगर आयुक्त,
नगर निगम, लखनऊ

(शिवाकान्त द्विवेदी)
उपाध्यक्ष
ल0वि0प्रा0, लखनऊ

(अभिषेक प्रकाश)
जिलाधिकारी,
लखनऊ

अनुमोदित,

13/03/2020
(मुकेश कुमार मेश्राम)
आयुक्त,
लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण,लखनऊ

प्रेषक :– उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण, नवीन भवन, गोमतीनगर, लखनऊ। संख्या : 1284/ई0(ई)/2020 दिनांक : 17-11-2020	सेवा मे :– नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ। नत्थी :

–:विषय :–

ऐशबाग इण्डस्ट्रियल एरिया योजना के भूखण्ड संख्या–68/1 पर प्रस्तावित रैन बसेरा के निर्माण हेतु भूमि के मूल्य के भुगतान के सन्दर्भ में।

महोदय,

अवगत कराना है कि ऐशबाग इण्डस्ट्रियल एरिया योजना के भूखण्ड संख्या–68/1 क्षेत्रफल–3172.29 वर्गमीटर, लखनऊ इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट द्वारा अर्जित भूखण्ड है एवं वर्तमान में ल0वि0प्रा0 के अध्यासन में है। उक्त भूखण्ड पर बेहतर सुविधा युक्त स्टेट ऑफ मॉडल मल्टी स्टोरीज रैन बसेरा का निर्माण अवस्थापना विकास निधि के द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। निर्माण के पश्चात् रैन बसेरा के संचालन एवं रख–रखाव हेतु नगर निगम, लखनऊ को हस्तगत किया जायेगा। अतः भूमि का मूल्य व निर्माण के पश्चात् रख–रखाव व आवर्ती व्यय नगर निगम, लखनऊ द्वारा किया जाना वॉछनीय होगा।

प्रश्नगत भूमि का मूल्य वर्तमान जिलाधिकारी सर्किल दर के अनुसार रू0 4,44,12,060.00/– (रू0 चार करोड़ चौवालिस लाख बारह हजार साठ मात्र) है। कृपया रैन बसेरे के निर्माण हेतु ल0वि0प्रा0 की ओर से प्रस्तावित भूखण्ड संख्या–68/1, क्षेत्रफल–3172.29 वर्गमीटर का मूल्य रू0 4,44,12,060.00/–(रू0 चार करोड़ चौवालिस लाख बारह हजार साठ मात्र) का भुगतान ल0वि0प्रा0 को करने का कष्ट करे।

भवदीय

(अभिषेक प्रकाश)
उपाध्यक्ष

प्रतिलिपिः–

1. अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन, उ0प्र0 शासन, लखनऊ महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ महोदय को इस अनुरोध के साथ कि प्रश्नगत भूमि के मूल्य के भुगतान हेतु नगर निगम, लखनऊ को निर्देशित करने का कष्ट करे।
3. आयुक्त, लखनऊ मण्डल लखनऊ महोदय को अवलोकनार्थ।

(अभिषेक प्रकाश)

विषय :- लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित विभिन्न पार्किंग स्टैण्डों का स्वामित्व यथावत् रखते हुए पार्किंग स्टैण्डों का संचालन एवं रख-रखाव हेतु नगर निगम, लखनऊ को हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव :-

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर शहर को सुव्यवस्थित बनाये रखने हेतु विभिन्न स्थानों पर पार्किंग स्टैण्ड का निर्माण किया गया है, जिनमें मल्टी लेविल पार्किंग, भूमिगत पार्किंग एवं ओपेन पार्किंग हैं। संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है:-

क. स.	पार्किंग स्टैण्ड का नाम	प्रकृति
1	मल्टी लेविल पार्किंग हजरतगंज	मल्टी लेविल निर्मित
2	सरोजनी नायडू भूमिगत पार्किंग स्टैण्ड	भूमिगत निर्मित
3	भूमिगत पार्किंग चन्दर नगर, आलमबाग	भूमिगत निर्मित
4	भूतनाथ मार्केट स्थित भूमिगत पार्किंग स्टैण्ड	भूमिगत निर्मित
5	गोल मार्केट भूमिगत पार्किंग स्टैण्ड	भूमिगत निर्मित
6	डॉ0 राम मनोहर लोहिया पार्क की पार्किंग स्टैण्ड	ओपेन पार्किंग
7	कानपुर रोड स्थित स्मृति उपवन की पार्किंग स्टैण्ड की पार्किंग	ओपेन पार्किंग
8	शहीद स्मारक पार्क की पार्किंग स्टैण्ड एवं कैन्टीन	ओपेन पार्किंग
9	ज्योतिबा फूले जोनल पार्क स्थित कानपुर रोड योजना की पार्किंग स्टैण्ड	ओपेन पार्किंग
10	महानगर स्थित फातिमा अस्पताल के सामने की पार्किंग,	ओपेन पार्किंग
11	डा0 बी0बार0 अम्बेडकर पार्क स्थित वनस्थली की पार्किंग व प्रवेश टिकट	ओपेन पार्किंग
12	बेगम हजरत महल पार्क स्थित पार्किंग स्टैण्ड	ओपेन पार्किंग
13	नेहरू बाल वाटिका (अलीगंज) के बाहर पार्किंग स्टैण्ड	ओपेन पार्किंग
14	गौतम बुद्धा पार्क के गेट पर पार्किंग स्टैण्ड/प्रवेश पार्क टिकट	ओपेन पार्किंग
15	बसन्त कुंज योजना स्थित जागर्स पार्क की पार्किंग स्टैण्ड/प्रवेश पार्क टिकट	ओपेन पार्किंग

उपरोक्त वर्णित स्थल वर्तमान समय में नगर निगम, लखनऊ की शहरी सीमा में निहित है। इन पार्किंग स्टैण्डों का संचालन अभी तक लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाता रहा है। नगर निगम, लखनऊ सीमा के अन्दर स्थित होने के कारण उचित होगा कि उपरोक्त कुल 15 पार्किंग स्टैण्डों का स्वामित्व यथावत् रखतें हुए संचालन एवं रख रखाव हेतु नगर निगम, लखनऊ को हस्तांतरित कर दिया जायें।

हस्तांतरित करने के उपरान्त उक्त पार्किंग स्टैण्डों के सम्बन्धित समस्त करों की देयता, बिजली बिल, अनुरक्षण, रख–रखाव, फायर फाईटिंग सिस्टम, गृहकर तथा अन्य व्यय की देयता का वहन नगर निगम, लखनऊ द्वारा किया जायेगा। संचालन एवं रख–रखाव के क्रम में नगर निगम, लखनऊ द्वारा उक्त पार्किंग स्टैण्डों पर नियमुनसार पार्किंग शुल्क अधिरोपित कर आय प्राप्त की जायेगी।

उक्त पार्किंग स्टैण्ड हस्तान्तरित होने के उपरान्त यदि इन पार्किंग स्टैण्डों के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार से शासकीय/अशासकीय व्यय अथवा अनापत्ति प्राप्त किये जाने की स्थिति उत्पन्न होती है तो नगर निगम, लखनऊ द्वारा ऐसे समस्त कार्य नियमानुसार किये जायेगें।

अतः उपरोक्तानुसार लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित विभिन्न पार्किंग स्टैण्डों का स्वामित्व यथावत् रखते हुए पार्किंग स्टैण्डों का संचालन एवं रख–रखाव हेतु नगर निगम, लखनऊ को हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड बैठक के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

Proposal as per 01/12/20 directions

विषयः– जनपद लखनऊ के लाजपत नगर कालोनी के निकट कोनेश्वर चौराहा, चौक पर स्थित फायर स्टेशन से लगी हुई नजूल की भूमि (खसरा संख्या–01 (भाग) मोहल्ला–किला मच्छी भवन स्थित नजूल भूखण्ड संख्या–39 (भाग) क्षेत्रफल 2275.39 वर्गमी0) पर मल्टीलेवल पार्किंग व अन्य व्यावसायिक गतिविधियों का निर्माण कराये जाने हेतु उक्त नजूल भूमि गृह विभाग, उ0प्र0 शासन से वापस लेकर लखनऊ विकास प्राधिकरण को निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–1825/आठ–1–20–70बजट/2020 दिनांक 09.12.2020 के क्रम में प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा दिनांक 10.12.2020 को जनपद लखनऊ के लाजपत नगर कालोनी के निकट कोनेश्वर चौराहा, चौक पर स्थित फायर स्टेशन से लगी हुई नजूल की भूमि पर मल्टीलेवल पार्किंग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में बैठक की गई। बैठक में प्रमुख सचिव महोदय द्वारा प्रश्नगत भूमि को मल्टीलेवल पार्किंग के निर्माण हेतु उपयुक्त मानते हुए पार्किंग व अन्य व्यावसायिक गतिविधियाँ संचालित किये जाने हेतु यथाशीघ्र शासन को प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई है।

अवगत कराना है कि नजूल भूखण्ड संख्या–39(भाग) क्षेत्रफल 24,483.25 वर्गफिट अर्थात् 2275.39 वर्गमीटर स्थित खुनखुनजी रोड, चौक, लखनऊ को फायर सर्विसेज कर्मचारियों के आवास एवं वाहनों के गैराज निर्माण हेतु फायर स्टेशन के पक्ष में आवंटित किये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा पत्रांक–86/फा0स0–86 दिनांक 08.02.2005 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा अनुरोध किया गया था। उक्त के क्रम में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा पत्र संख्या–319/एन0एस0 दिनांक 29.03.2005 (छायाप्रति संलग्न) के माध्यम से प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया। विभाग द्वारा प्रेषित पत्र के क्रम में शासन के पत्र संख्या–319/एनएस/8–4–05–16एन/2020 दिनांक 22.06.2006 (छायाप्रति संलग्न) के माध्यम से प्रश्नगत नजूल भूमि खसरा संख्या–01 (भाग) मोहल्ला–किला मच्छी भवन स्थित नजूल भूखण्ड संख्या–39 (भाग) क्षेत्रफल 2275.39 वर्गमी0 स्थित खुनखुनजी रोड, चौक, लखनऊ को फायर सर्विसेज कर्मचारियों के आवास एवं वाहनों के गैराज निर्माण हेतु कतिपय शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन गृह विभाग के पक्ष में निःशुल्क आवंटित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। तत्पश्चात् प्राप्त स्वीकृति के क्रम में दिनांक 22.06.2006 को प्रश्नगत नजूल भूमि का कब्जा सम्बन्धित विभाग को प्राप्त करा दिया गया (छायाप्रति संलग्न)।

वर्तमान में मौके पर प्रश्नगत भूमि रिक्त है। गृह विभाग, उ0प्र0 शासन को दिनांक 22.06.2006 को हस्तान्तरित भूमि का प्रयोग नहीं किया गया है। हस्तान्तरण आदेश दिनांक 22.06.2006 के बिन्दु संख्या–3 में उल्लिखित है कि **प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता न होने की दशा में भूमि को शासन के आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को हस्तान्तरित कर दी**

जायेगी। अतः प्रश्नगत भूमि गृह विभाग, उ0प्र0 शासन से वापस लेकर मल्टीलेवल पार्किंग एवं अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के निर्माण हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण को निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव उ0प्र0 शासन को प्रेषित किये जाने हेतु प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तावित है।

<u>प्रस्तावः–</u>

जनपद लखनऊ के लाजपत नगर कालोनी के निकट कोनेश्वर चौराहा, चौक पर स्थित फायर स्टेशन से लगी हुई नजूल की भूमि (खसरा संख्या–01 (भाग) मोहल्ला–किला मच्छी भवन स्थित नजूल भूखण्ड संख्या–39 (भाग) क्षेत्रफल 2275.39 वर्गमी0) पर मल्टीलेवल पार्किंग व अन्य व्यावसायिक गतिविधियों का निर्माण कराये जाने हेतु उक्त नजूल भूमि गृह विभाग, उ0प्र0 शासन से लखनऊ विकास प्राधिकरण को निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव उ0प्र0 शासन को प्रेषित किये जाने हेतु प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

प्रेषक,

अरूणेश कुमार द्विवेदी
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

बैठक दि0 10.12.2020
संख्या 1825/आठ–1–20–79बजट/2020

सेवा में,

1. प्रमुख सचिव,
नगर विकास विभाग,
उ0प्र0 शासन।

2. उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 लखनऊः दिनांक 9 दिसम्बर, 2020

विषयः जनपद लखनऊ के लाजपत नगर कालोनी के निकट कोनेश्वर चौराहा, चौक स्थित फॉयर स्टेशन से लगी हुई लखनऊ विकास प्राधिकरण की नजूल की भूमि पर मल्टीलेवल पार्किंग का निर्माण कार्य कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया मा0 मंत्री, नगर विकास, शहरी समग्र विकास, नगरीय रोजगार गरीबी उन्मूलन विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांक 01.12.2020 (प्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद लखनऊ के लाजपत नगर कालोनी के निकट कोनेश्वर चौराहा, चौक स्थित फॉयर स्टेशन से लगी हुई लखनऊ विकास प्राधिकरण की नजूल की भूमि पर मल्टीलेवल पार्किंग का निर्माण कार्य कराये जाने हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण को निर्देशित किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2– उल्लेखनीय है कि प्रकरण में विचार–विमर्श करने हेतु प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में **दिनांक 10.12.2020 को पूर्वान्ह 10.30 बजे** शहीद पथ स्थित स्थानीय निकाय निदेशालय में बैठक आहूत की गयी है।

3– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त बैठक में संगत सूचनाओं सहित प्रतिभाग करने हेतु सुभिज्ञ अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,
9.12.2020
(अरूणेश कुमार द्विवेदी)
उप सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निजी सचिव, प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,
(अरूणेश कुमार द्विवेदी)
उप सचिव।

A.P.G.O-19

04

1825 | आ6 - 1-20

आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"
मन्त्री
नगर विकास, शहरी समग्र विकास,
नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग

1232 [illegible]
[illegible] 01 [illegible] /2020

कार्यालय 2238896
सी०यू०जी० 2213751
कक्ष संख्या 59-59ए, मुख्य भवन
विधान भवन, लखनऊ

दिनांक 01.12.2020

प्रमुख सचिव,
आवास एवं शहरी नियोजन, उ0प्र0 शासन

जनपद लखनऊ के लाजपत नगर कॉलोनी के निकट कोनेश्वर चौराहा, चौक स्थित फॉयर स्टेशन से लगी हुई लखनऊ विकास प्राधिकरण की नजूल की भूमि खाली पड़ी है, चूंकि चौक में व्यापारिक प्रतिष्ठान एवं अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों के कारण लोगों का आवागमन अत्यधिक है, जिससे पार्किंग की समस्या रहती है। यदि इस नजूल की रिक्त भूमि पर मल्टीलेबल कार पार्किंग बना दी जाये तो वाहनों के पार्किंग की समस्या से निजात मिल सकता है।

अतः उपरोक्त के सम्बन्ध में लाजपत नगर कॉलोनी के निकट कोनेश्वर चौराहा, चौक स्थित फॉयर स्टेशन से लगी हुई लखनऊ विकास प्राधिकरण की नजूल की खाली पड़ी भूमि पर मल्टीलेबल कार पॉर्किंग का निर्माण कराने हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण को निर्देशित करने का कष्ट करें।

श्री आशुतोष
01/12/20

आशुतोष टण्डन

28.11.2020

(आशुतोष टण्डन "गोपाल जी")
मन्त्री
नगर विकास, शहरी समग्र विकास,
नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

964/408
10/2/05
05

प्रेषक,

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
लखनऊ।

सेवा में,

संयुक्त सचिव,
उ0प्र0शासन,
आवास अनुभाग-4
बापू भवन सचिवालय,
लखनऊ।

पत्रांकः ब-86/फा.स.-86 दिनांकःफरवरी 8,05

विषयः- फायर स्टेशन चौक हेतु नजूल भू-खण्ड का हस्तान्तरण।

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्याः ब-86/फा.स.--86 दिनांकः06.11.2001 का अवलोकन करने का कष्ट करें, इस विषयक में पुनः सादर अवगत कराना है कि फायर स्टेशन चौक जो हरदोई रोड पर कोनेश्वर मन्दिर चौराहे के निकट स्थित है इस फायर स्टेशन के ठीक पीछे बिल्कुल सटी हुई 2275.39 वर्ग मीटर एवम फायर स्टेशन के मन्दिर के पास स्थित 4690 वर्ग फीट भू-खण्ड काफी समय से खाली पड़ा हुआ है जो लखनऊ विकास प्राधिकरण के नजूल विभाग की सम्पत्ति है। खाली भू-खण्ड होने के कारण अनेकों बार स्थानीय नागरिकों द्वारा उस पर अवैध अतिक्रमण का प्रयास किया जाता रहा है। जिसे अग्निशमन विभाग द्वारा अपने स्तर से विफल किया जाता रहा है तथा उक्त भू-खण्ड को फायर स्टेशन चौक को विकसित करने हेतु फायर स्टेशन चौक के पक्ष में आवंटित करने के लिए काफी समय से विभाग द्वारा पत्राचार किया जाता रहा है परन्तु उस पर आप के स्तर से कार्यवाही न होने के कारण अभी तक प्रकरण लम्बित है।

उक्त के सम्बन्ध में निम्नलिखित बिन्दु/तथ्य उल्लेखनीय हैः-

अग्निशमन विभाग में अग्नि सुरक्षा/जीव रक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के दृष्टिकोण से अग्निशमन कर्मियों को 24 घण्टे लगातार फायर स्टेशन पर उपलब्ध रहना नितान्त आवश्यक होता है जिसके लिए उन्हें आवासीय सुविधा का दिया जाना बहुत ही आवश्यक होता है। फायर स्टेशन चौक के पास भूमि कम होने के कारण समस्त कर्मचारियों के लिए

(श्याम सुन्दर शर्मा)
संयुक्त सचिव

6789/35 9
9.2.05

..2

आवास उपलब्ध कर आवासीय सुविधा दिया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है जिसके कारण कर्मचारियों को नाइट पास की सुविधा दी जाती है जिससे रात्रि के समय वह नगर के विभिन्न स्थानों पर स्थित अपने निवासों पर जो कि फायर स्टेशन से दूर होते है पर चले जाते है और रात्रि के समय अग्निकाण्डों की सूचना आने पर कर्मचारियों का अभाव होता है उक्त के अतिरिक्त विभाग के बहुमूल्य वाहन भी गैराज की पर्याप्त उपलब्धता न होने के कारण खुले आसमान के नीचे रहते है जिससे इनके रख-रखाव में कुप्रभाव पड़ता है । कर्मचारियों को आवासीय व एवम वाहनों के गैराज निर्माण हेतु फायर स्टेशन चौक को उक्त भू-खण्डों की नितान्त आवश्यकता है ।

2- उक्त खाली भू-खण्ड जो नजूल विभाग लखनऊ विकास प्राधिकरण की सम्पत्ति है तथा फायर स्टेशन चौक से बिल्कुल सटी होने के कारण फायर स्टेशन को विकसित करने हेतु उपयुक्त है ।

3- उक्त भू-खण्ड जो फायर स्टेशन से बिल्कुल सटा हुआ है और आवागमन का मात्र एक ही रास्ता है जो फायर स्टेशन चौक से हो कर जाता है जिसके कारण उक्त भू-खण्ड किसी अन्य के लिए कोई रास्ता न होने के कारण बिल्कुल अनुपयुक्त है ।

4- उपरोक्त बिन्दुओं से स्पष्ट होता है कि अग्नि सुरक्षा व जीव रक्षा जैसे जनहित के कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए उचित प्रतीत होता है कि उक्त दोनो भू-खण्ड फायर स्टेशन चौक को विकसित करने हेतु आवश्यक है ।

अतः आप से पुनः अनुरोध है कि उपरोक्त बिन्दुओ को दृष्टिगत रखते हुए उक्त दोनो भूखण्ड फायर स्टेशन चौक को हस्तान्तरित/आवंटित करने हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण को आदेश पारित करने का कष्ट करें ।

8/12/05

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
लखनऊ ।

प्रतिलिपि:-

श्री श्याम सुन्दर शर्मा, विशेष नजूल अधिकारी लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ को सूचनार्थ एवम आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्रेषक : उपाध्यक्ष
लखनऊ विकास प्राधिकरण
६, जगदीश चन्द्र बोस मार्ग, लखनऊ

संख्या 319/N.S.

दिनांक 29.03.05

सेवा में
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन,
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-4
बापू भवन, लखनऊ।

नत्थी

विषय
फायर स्टेशन चौक, लखनऊ हेतु नजूल भूमि का हस्तान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, आवास अनुभाग-4 को सम्बोधित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ के पत्र संख्या ब-86/फा०स०-86 दिनांक 8.2.05[प्रति संलग्न] का अवलोकन करने का कष्ट करें।

इस संबंध में अवगत कराना है कि नजूल भूमि खसरा संख्या-01[भाग] मो० मच्छी भवन स्थित नजूल भूखण्ड संख्या 39[भाग] क्षेत्रफल 28650 वर्गफुट छन्नुन जी रोड, चौक, लखनऊ के आवंटन की स्वीकृति शासनादेश संख्या ओ-109/9-2[एन]/62 दिनांक 15.12.66 एवं तदोपरांत उपरोक्त वर्णित खसरा/भूखण्ड संख्या 39[भाग] क्षेत्रफल 7250 वर्गफुट फायर स्टेशन व क्वार्टर्स के निर्माण के लिये हस्तान्तरण की स्वीकृ कतिपय शर्तों के अधीन उपसचिव, उ०प्र० शासन, नजूल अनुभाग- के पत्र संख्या 3137/9-नजू 2एन/62, दिनांक 17.9.80[प्रति संलग्न] द्वारा प्रदान की गयी थी। तदोपालन में हस्तान्तरित भूमि का कब्जा सम्बन्धित विभाग को दिनांक 25.10.80 को प्राप्त करा दिया गया था। उक्तवत् हस्तान्तरित भूमि के पीछे संलग्न नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शित भूमि क्षेत्रफल 24,483.25 वर्गफुट आवंटन से रिक्त है, जिसे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ द्वारा अपने उपरोक्त वर्णित पत्र के माध्यम से फायर स्टेशन के विस्तार हेतु हस्तान्तरित किये जाने का अनुरोध किया गया है। प्रश्नगत अनुरोधित भूमि के निकास का कोई अन्य मार्ग न होने के कारण उक्त भूमि फायर स्टेशन के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है। प्रश्नगत स्थल का सर्किल रेट जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा प्रकाशित रेट तालिका दिनांक 18.6.04 के अनुसार रु० 3,000/- प्रति वर्गमीटर है जिसके अनुसार प्रश्नगत भूमि का अनुमानित मूल्य रु० 68,26,170/- होता है।

अतः उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्नगत नजूल भूमि खसरा संख्या-01 [भाग] मो० मच्छी भवन स्थित नजूल भूखण्ड संख्या 39[भाग] क्षेत्रफल

क्रमशः--2

॥ 2 ॥

24,483·25 वर्गफुट अर्थात 2275·39 वर्गमीटर जुन जुन जी रोड, चौक, लखनऊ का आवंटन/हस्तान्तरण फायर स्टेशन एवं क्वार्टर्स के निर्माण हेतु गृह ॥पुलिस॥ विभाग के पक्ष में किये जाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा लिये गये निर्णय से अवगत कराने का कष्ट करें ।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

॥ बी॰बी॰सिंह ॥
उपाध्यक्ष,

संख्या–319/एन0एस0/आठ–4–05–16एन/2002

09

प्रेषक,

के0एल0 मीना,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–4

लखनऊः दिनॉक 22 जून, 2006

विषयः फायर स्टेशन, चौक लखनऊ, हेतु नजूल भूमि का हस्तांतरण किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–319/एम0एस0, दिनॉक 29.03.2005 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के वित्त (लेखा) अनुभाग–2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–ए–2–75/दस–77–14(4)/74, दिनॉक 03.02.1977 के अधीन लखनऊ स्थित नजूल भूमि खसरा संख्या–01 (भाग) मुहल्ला मच्छी भवन–नजूल भूखण्ड संख्या–39 (भाग) खुनखुन जी रोड़ लखनऊ के पीछे स्थित नजूल भूमि क्षेत्रफल 2275.39 वर्गमीटर को फायर सर्विसेस कर्मचारियों के आवास एवं वाहनों के गैराज निर्माण हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन गृह विभाग के पक्ष में निःशुल्क आवंटित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैः–

i– प्रश्नगत नजूल भूमि का उपयोग निर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोग में नहीं लाया जायेगा।
ii– भूमि का विभाजन अथवा स्थानान्तरण नहीं किया जायेगा।
iii – प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता न होने की दशा में भूमि को शासन के आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को हस्तानान्तरित कर दी जायेगी।

2– अतः कृपया उपर्युक्तानुसार आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही तत्काल करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(के0एल0 मीना)
सचिव

संख्या– 319 (1)/आठ–4–2006 तद्दिनॉकः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2– प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3– आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
4– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ।
5– निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उ0प्र0, इलाहाबाद।
6– गृह (पुलिस) अनुभाग–7
7– वित्त (लेखा) अनुभाग–2
8– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग –8
9– गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(जी0पी0 मिश्र)
विशेष सचिव

RC-7476
CFO
वांछित अपेक्षित कार्यवाही शीघ्र करें।
CFO
LCW

1

स्वात्याधिकार प्रमाण–पत्र

शासनादेश सं0 319/एन0एस0आर-405-16एन-2002 दिनांक 22-6-06 द्वारा पुलिस विभाग को फायर स्टेशन एवम् क्वाटर्स बनाने हेतु हस्तांतरित खसरा सं0–1, मच्छी भवन से क्षेत्रफल-26,483.25 व0फु0 नजूल भूमि का अधिपत्य मुख्य अग्निशमन अधिकारी लखनऊ, को दिया गया। भूमि की चौहद्दी एवम् मापें समझा दिया गया है, जो निम्न प्रकार है।

उत्तर – 153'-0"

दक्षिण – 152-0"

पूरब – 171-0"

पश्चिम – 150'-0"

[signature]
10/07/07
पूर्व निरीक्षक नजूल
कब्ज़ा देने वाले के हस्ताक्षर

[signature] 10/7/07
कब्ज़ा प्राप्त करने वाले के हस्ताक्षर

कृ0 पृ0 94 में एस.पी.सिंह के पास

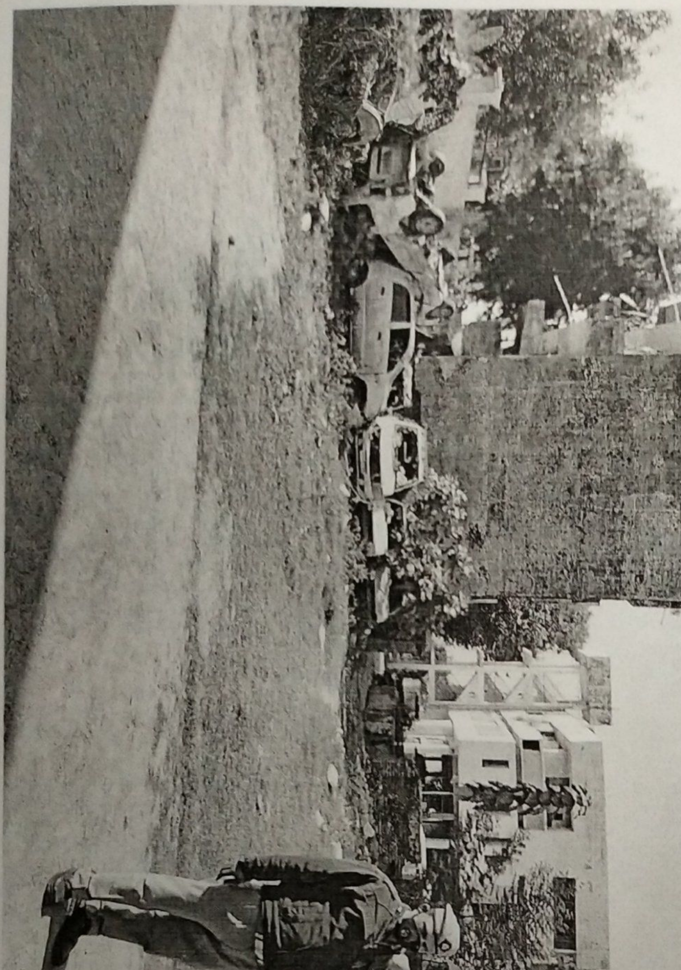

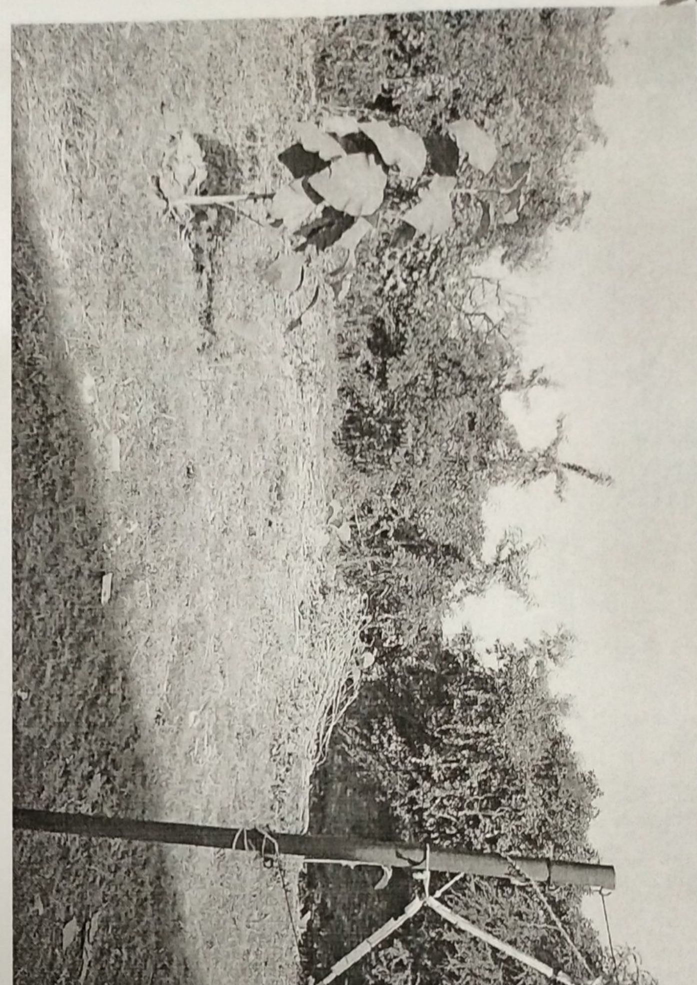

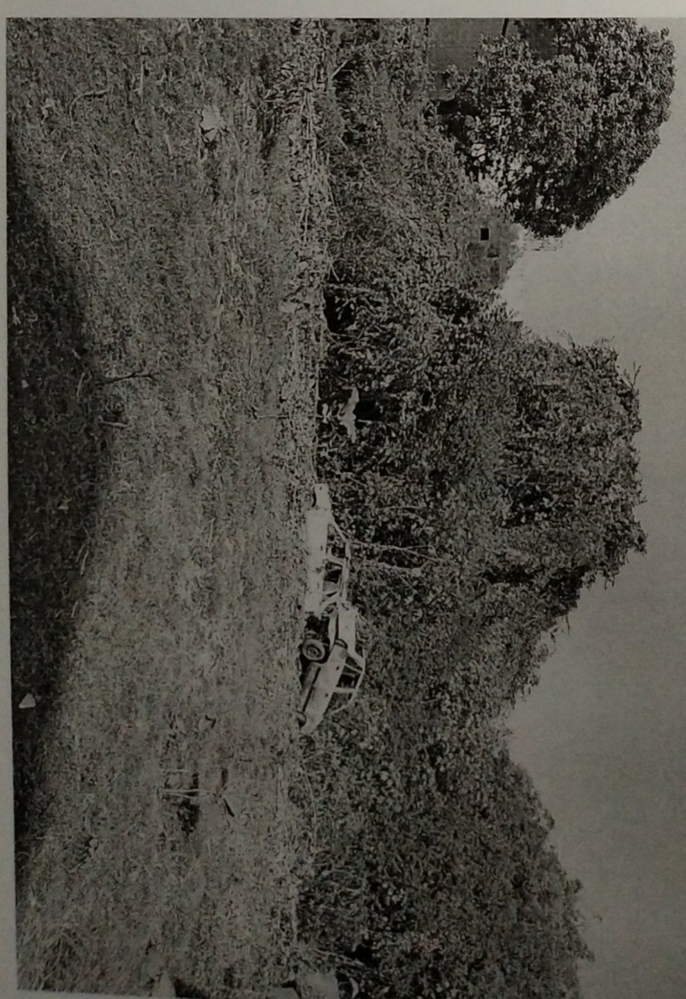

अनु०विषय सं०-2 पृ०सं०-12

विषय :– लखनऊ विकास प्राधिकरण में कार्यरत 02 संविदा वाहन चालक (श्री राम निवास मौर्या एवं श्री सुनील यादव) को नियमित वेतनमान एवं उस पर समय–समय पर देय मंहगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता, ग्रेड–पे, भवन किराया भत्ता एवं एन.पी.ए. भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में।

लखनऊ विकास प्राधिकरण में वर्तमान समय में दो वाहन चालक श्री राम निवास मौर्या एवं श्री सुनील यादव संविदा पर कार्यरत है। उपरोक्त दोनों संविदा चालक लगभग–17 वर्षों से प्राधिकरण में कार्यरत है। प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 24.10.2016 में वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–वे.आ.–2–562/दस–54(एम)/2008टी.सी. दिनांक 30.08.2013 के अनुसार दोनों वाहन चालकों को सम्बन्धित पद पर अनुमन्य वेतन बैन्ड देय मंहगाई भत्ते के समान धनराशि को जोड़ते हुए संविदा राशि अनुमन्य करायी जा रही है।

अवगत कराना है कि बोर्ड बैठक दिनांक 15 जनवरी, 2019 विषय संख्या–15 पर प्रस्तुत किया गया, जिसमें निर्णय लिया गया कि ''सम्यक् विचारोपरान्त लखनऊ विकास प्राधिकरण में कार्यरत 02 संविदा वाहन चालकों (श्री राम निवास मौर्य एवं श्री सुनील यादव) को नियमित वेतनमान एवं अन्य भत्ते दिये जाने विषयक प्रस्ताव के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों के शासनादेशों के अनुसार न होने के कारण वित्त नियन्त्रक को भविष्य में ऐसी गलती न होने की चेतावनी निर्गत करने के निर्देश दिये गये। यदि पूर्व की बोर्ड बैठक में इस तरह का कोई प्रकरण शासनादेशों के विपरीत हुआ तो उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण उसका भी परीक्षण कारकर सुधारात्मक कार्यवाही करें।'' प्रश्नगत प्रकरण में संविदा कार्मिकों की अर्हता एवं सेवाकाल के दृष्टिगत प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रकरण पुनःविचार हेतु निवेदित है। वर्तमान में चालक पद हेतु न्यूनतम अर्हता कक्षा–8 पास तथा वैध ड्राईविंग लाईसेंस होना निर्धारित है। प्राधिकरण में कार्यरत दोनों संविदा चालकों द्वारा उपरोक्त अर्हता पूर्ण की जा रही है। विदित है कि प्राधिकरण में 16 मृतक आश्रित कार्मिक (समूह–'ग'–1 तथा समूह–'घ'–15) संविदा पर कार्यरत है। जिन्हें प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 26.12.2016 में लिये गये निर्णय अनुसार अनुमन्य वेतनमान का न्यूनतम वेतन, मंहगाई भत्ता, ग्रेड–पे, भवन किराया भत्ता, वाहन भत्ता एवं समाचार–पत्र भत्ते का भुगतान किया जा रहा है।

अतः उपरोक्तानुसार 16 मृतक आश्रित कार्मिक (समूह–'ग'–1 तथा समूह–'घ'–15) संविदा पर कार्यरत है। जिन्हें प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 26.12.2016 में लिये गये निर्णय अनुसार अनुमन्य वेतनमान का न्यूनतम वेतन, मंहगाई भत्ता, ग्रेड–पे, भवन किराया भत्ता, वाहन भत्ता एवं समाचार–पत्र भत्ते का भुगतान किया जा रहा है, की भाँति दोनों संविदा चालकों को भवन किराया भत्ता, वाहन भत्ता एवं समाचार–पत्र भत्ता आदि जोड़कर पारिश्रामिक दिये जाने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचार किये जाने हेतु प्रस्तुत है।

11/12/2020

11/12

अनुभाग अधिकारी (अधिष्ठान)
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ

11/12
(राजेश कुमार शुक्ला)
तहसीलदार
ल०वि०प्रा०

11/12/2020
F.C.